

भावना - बुजुर्गों का परिवार

भावना संदेश

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति
की
रजत जयंती स्मारिका-2025



भावना

वरिष्ठ नागरिकों व निर्बल एवं असहायजनों के हितों को समर्पित
अखिल भारतीय समाजसेवी महासमिति

भावना के संस्थागत सदस्य

मिरर फाउन्डेशन फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेन्ट
एन्ड नेचुरल लिविंग,

श्री पवन ग्रोवर, संस्थापक अध्यक्ष,

फोन: 0522-4002197/2311168/8770726334,

ई. मेल: pawangrover@yahoo.com

स्वास्थ्य एवं जड़ी बूटी विकास संस्थान,

डॉ. जी. पार्थ प्रोतिम, सचिव,

फोन: 0522-6592459/9235878417,

ई. मेल: drparthaprotimgain@yahoo.com

कॉमर्सियल टैक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स

एसोसिएशन उत्तर प्रदेश (COMRAN),

श्री अमरेश श्रीवास्तव, महासचिव,

फोन: 7379630000,

ई. मेल: madanmkatiyar@yahoo.in

परमहंस योगानन्द सोसायटी फॉर

स्पेशल अनफोल्डिंग एन्ड मोल्डिंग (PYSSUM),

डॉ. नवल चन्द्र पंत, अध्यक्ष एवं अधिशासी निदेशक,

फोन: 0522-6545944/9452062323,

ई. मेल: pyssum@gmail.com

श्री तारीफ़ सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट,

श्रीमती शिखा सिंह, महासचिव,

ग्राम जमालपुर नंगली, पो. कुरमाली, जिला शामली (उ.प्र.)-247776,

फोन: 9990103691

रुद्राक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति बगहा,

श्री अशोक कुमार सिंह, अध्यक्ष,

ग्राम बगहा, पो. जमखनवां-227205, जिला लखनऊ, फोन: 8874924774

वरिष्ठ नागरिक समिति (ग्रामीण) हरौनी,

श्री राम स्वरूप यादव, सचिव,

ग्राम हरौनी शमसुद्दीनपुर, पो. समदपुर हरदास-229881,

ब्लॉक व तहसील, हसनगंज, जिला उन्नाव, उ.प्र., फोन: 9455508230,

ई. मेल: yadav.ramswaroop@yahoo.com

कमला सोशल वेलफेयर सोसायटी (रेंजिंग होम्स),

डॉ. सिद्धार्थ मिश्रा, मुख्य कार्यकारी,

फोन: 9450013010/9915408989,

ई. मेल: drsmishra.dsm@gmail.com

रिटायर्ड एल. आई. सी. क्लास 1 आफिसर्स एसोसियेशन,

श्री चन्द्र शेखर, सचिव,

फोन: 8840159860 ई. मेल: lic.chandra.shekhar@gmail.com

आस्था सेन्टर फॉर जेरियाट्रिक मेडीसिन, पालिएटिव केयर, हॉस्पिटल,

हॉस्पिस एन्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी,

डॉ. अभिषेक शुक्ला, संस्थापक अध्यक्ष,

फोन: 0522-3240000/9336285050,

ई. मेल: enquiry@hospiceindia.org

विद्युत पेन्शनर्स परिषद उत्तर प्रदेश,

श्री कप्तान सिंह, प्रमुख महासचिव,

फोन: 9984040271, 9453797471

ई. मेल: vidyutpensioners_lko@rediffmail.com

वैटरन सहायता समिति,

कैप्टेन (डॉ.) आर.वाई.एस. चौहान, उपाध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष,

फोन: 9935713181, ई. मेल: rcdhyanprem@yahoo.co.in

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (ग्रामीण) भौली,

श्री हरि नारायण शुक्ल, अध्यक्ष,

फोन: 9415768055

पलाश ग्रामीण वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति,

श्री विमलेश दत्त मिश्र, सचिव,

ग्राम व पोस्ट भगवतीपुर, नगर पंचायत बी.के.टी., जिला लखनऊ-226201,

फोन: 9412417108

विजय श्री फाउन्डेशन (प्रसादम् सेवा),

श्री विशाल सिंह, सचिव,

सदस्य, भावना प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ,

फोन: 9935888887, ई. मेल: vishalvirat@gmail.com

एल.एस.जी.ई.डी./उ.प्र. जल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन,

श्री नवीन चन्द्र पाण्डेय, महासचिव,

फोन: 0522-2352748/9450365052,

ई. मेल: ncpandey32@rediffmail.com

हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स एक्स-ऑफिसर्स

वेलफेयर एसोसिएशन,

श्री भोला शंकर, महासचिव,

फोन: 9008507473, ई. मेल: bholashankar58@gmail.com

निकाम फाउन्डेशन (सेरीन होम्ज़)

श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, सी.ई.ओ.,

सेरीन होम्ज़, एस.डी.-41 व 42, सेक्टर-45, नोएडा-201303

फोन: 9810829138 ई. मेल: cppassion@yahoo.co.in

भावना-बुजुर्गों का परिवार



भावना संदेश

रजत जयंती स्मारिका-2025

सम्पादन समिति

इं० अमर नाथ	— प्रधान संपादक
श्री पुरुषोत्तम केसवानी	— सम्पादक
प्रो० (डॉ०) अवनीश अग्रवाल	— सह सम्पादक
श्री आदित्य प्रकाश सिंह	— सह सम्पादक

प्रकाशक

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति

पंजीकृत कार्यालय— पी 4-403,
चन्द्रा पैनोरमा, सुशान्त गोल्फ सिटी,
शहीद पथ, लखनऊ — 226030,
दूरभाष: 9335902137

पंजीकरण संख्या: 666 / 2000-01

कैम्प कार्यालय:

- (1) अध्यक्ष, 2 / 518, विजयखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
(2) प्रमुख महासचिव, डी-43, महानगर विस्तार, लखनऊ-226006

वेबसाइट : www.bhavanaindia.org

bhavana.aark@gmail.com

Facebook page : Bharatiya Varishtha Nagrik Samiti

Bhavana Google Group : [bhavanamembers@googlegroups.com](https://www.google.com/groups?hl=en&ik=hi&as_scm=groups)

मुद्रक

श्री केशव प्रिंट प्वाइंट

जी-7, आरिफ चैम्बर्स, सेक्टर-एच,
अलीगंज, लखनऊ
मो. : 9335532342

ईमेल : hariom.printingpress9@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र. विषय	पृ.सं.
1. भावना का संकल्प गीत व सूत्र वाक्य	2
2. शुभकामना संदेश	3
3. प्रधान सम्पादक की कलम से	7
4. अध्यक्ष की कलम से	8
5. प्रमुख महासचिव का प्रतिवेदन	10
6. भावना के स्वर्णिम 25 वर्ष	17
7. कार्यकारिणी दि. 30.11.24 का कार्यवृत्त	25
8. The Maintenance and Welfare of Parents & Senior Citizens Act (2007)	27
9. वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 की नियमावली	28
झलकियाँ - रंगीन पृष्ठ	
शीतकालीन सहायता शिविर	
हमारे संरक्षक	
हैपी होम फार एल्डर्स	
गणतंत्र दिवस समारोह, स्वास्थ्य शिविर	
10. संस्कार	43
11. वार्षिक स्वास्थ्य शिविर	45
12. दान दाताओं की सूची	46
13. गणतंत्र दिवस समारोह एवं निर्धन जन सेवा	50
14. नारी शिक्षा एवं सशक्तीकरण	51
15. स्वास्थ्य खाना पचेगा या सड़ेगा	52
16. वर्ष 2025 का स्वागत	53
17. योगाभ्यास एवं स्वास्थ्य	54
18. भारतीय संविधान	57
19. सेहत का उत्सव	60
20. संक्षेप में -माता-पिता एवं व. ना. भ. भ. अ.	61
21. वरिष्ठ नागरिक हमारे वरिष्ठ जन	62
22. हंसना हंसाना	66
23. लघुकथा	66
24. प्रबंधकारिणी के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य	67



भावना का संकल्प गीत

भावना सहयोग सेवा स्वावलम्बन से चले,
भावना की राह में संकल्प का दीपक जले।
भावना में डूब के इतने सहिष्णु हम हुए,
आस्था, विश्वास के साँचे में हम फिर-फिर ढले।
भावना ये है बुजुर्गों को किसी भी हाल में,
इस बदलते दौर की तल्खी न रत्ती भर खले।
भावना का एक ही सन्देश है सबके लिए,
शेष जीवन भर कोई अब जिन्दगी को न छले।
विश्व में इक मंच देने को वरिष्ठों के लिए,
भावना की 'शान्त' पलकों पे कई सपने पले।
— इं. देवकी नन्दन 'शान्त'

भावना सूत्र वाक्य

संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया।
इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया।।

— श्री मैथिली शरण गुप्त

निदेशक, हेल्पएज इण्डिया की ओर से

अनूप पंत

स्टेट हेड- उत्तर प्रदेश
हेल्पएज इंडिया



प्रिय भावना परिवार,

हमें गर्व और खुशी के साथ भावना की 25 वर्षों की अविश्वसनीय यात्रा का जश्न मनाने का अवसर मिला है, जो हमारे बुजुर्गों और समाज की सेवा के प्रति समर्पित रही है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि आपकी करुणा, समर्पण और कठिन परिश्रम का प्रमाण है, जिसने जरूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।

पिछले 25 वर्षों से, भावना हमारे बुजुर्गों के लिए आशा की किरण रही है, उन्हें देखभाल, सम्मान और अपनापन प्रदान किया है। समाज में बदलाव लाने के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता सेवा, करुणा और निःस्वार्थता की सच्ची भावना को दर्शाती है। आपके द्वारा किए गए कार्यों ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है।

यह यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन आपने हर चुनौती को जिस संकल्प और प्रेम के साथ पार किया है, वह आपके मूल्यों और मिशन को दर्शाता है। आपने जो भी कदम उठाए हैं, वे बुजुर्गों और समुदाय के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ते कदम रहे हैं, और इसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं और आपके द्वारा किए गए सार्थक कार्यों के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। आपके प्रयासों ने दूसरों को समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया है और हमें यह याद दिलाया है कि जरूरतमंदों की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है।

आने वाले 25 वर्ष और भी अधिक सफलता, विकास और प्रभाव लेकर आएँ, ताकि आप उसी जुनून और प्रतिबद्धता के साथ सेवा जारी रख सकें। हम आपके इस सफर में निरंतर सफलता और समाज व हमारे बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

सादर,

अनूप पंत

स्टेट हेड- उत्तर प्रदेश
हेल्पएज इंडिया

अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक महासमिति की ओर से

श्याम पाल सिंह

अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक महासमिति, लखनऊ (उ०प्र०)

सदस्य, वरिष्ठ नागरिक राज्य परिषद, उ०प्र०

8, लक्ष्मणपुरी

अयोध्या रोड, लखनऊ

मो०: 9919628304



प्रिय स्नेही बन्धुओं,

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) अपना रजत जायंती वर्ष मना रही है। किसी भी सामाजिक संस्था के लिए सेवा पथ पर निरन्तर 25 वर्षों की सफल एवं प्रगतिशील यात्रा अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। आपकी संस्था द्वारा अपने स्थापना काल से ही वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में पूरी निष्ठा व मनोयोग से अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं।

भावना ने पिछले 25 वर्षों में जो ख्याति अर्जित की है वह भावना परिवार के वरिष्ठ जनों के सहयोग, संगठन, सेवा व समर्पण भाव से सम्भव हुआ है जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भावना वरिष्ठजन कल्याणार्थ एवं समाजोत्थान में निरन्तर अबाध गति से बढ़ती रहें।

शुभकामनाओं सहित सभी का अभिनन्दन।

आपका ही,
श्यामपाल सिंह

संरक्षक, संस्थापक सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावना



विनोद कुमार शुक्ल

संरक्षक, संस्थापक सदस्य तथा
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति,
पी 4-403, चन्द्रा पैनोरमा, सुशान्त गोल्फ सिटी,
शहीद पथ, लखनऊ
दूरभाष: 9335902137

प्रिय साथियों,

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) के रजत जयन्ती वर्ष के अवसर पर भावना परिवार की इस यात्रा में समय-समय पर जुड़े सदस्यगण, भावना के सभी 18 संस्थागत सदस्य तथा समाज के सभी वर्ग बधाई के पात्र हैं।

किसी भी सामाजिक संस्था के लिए सेवा पथ पर निरन्तर 25 वर्षों की सफल व प्रगतिशील यात्रा एक सुखद अनुभूति व उपलब्धि है। पिछले 25 वर्षों में भावना परिवार ने जो ख्याति अर्जित की है, वह केवल वरिष्ठजनों के सहयोग, संगठन व सेवा से ही सम्भव हो पाया है। हमारे इस विशाल व समृद्ध परिवार की स्थापना तथा उत्तरोत्तर वृद्धि में सभी वर्तमान एवं दिवंगत साथियों का अद्वितीय एवं अविस्मरणीय सहयोग रहा है। हम उन सभी के ऋणी हैं जिन्होंने स्वावलम्बन, सहयोग, सहिष्णुता व समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करने की भावना प्रोत्साहित की है तथा हमें सेवा का अवसर दिया है।

भावना देश विदेश में रह रहे संवेदनशील उदारमन भारतीय नागरिकों एवं समाजसेवी संस्थाओं से अनुरोध करती है कि भावना के सदस्य बन कर अथवा वैसे भी वरिष्ठजनों तथा निर्बल व असहायजनों के हित में भावना चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देकर पुण्य के भागीदार बनें।

शुभकामनाओं सहित सभी का अभिनन्दन,

विनोद कुमार शुक्ल
संरक्षक

संरक्षक, संस्थापक सदस्य एवं पूर्व उपाध्यक्ष, भावना



सुशील शंकर सक्सेना

संरक्षक, संस्थापक सदस्य तथा
पूर्व उपाध्यक्ष, भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति,
सी-1103, इन्दिरा नगर लखनऊ
मो0: 9415104198

प्रिय भावना परिवार,

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर मुझे हार्दिक प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। **भावना** के सभी सम्मानित सदस्यों के संयुक्त प्रयासों का फल है कि **भावना** नित्य नई-नई ऊचाइयों को छूने में सफल हुयी।

भावना के सिल्वर-जुबली महाअधिवेशन के अवसर पर हार्दिक शुभ कामनायें।

जय भावना, जय भारत

सुशील शंकर सक्सेना
संरक्षक

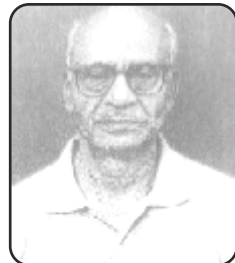
प्रधान संपादक की कलम से..

अमरनाथ

प्रधान संपादक

भावना संदेश

मो0: 8707482594



भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) के रजत-जयन्ती शुभ अवसर पर प्रकाशित स्मारिका आपके सम्मुख प्रस्तुत करना हम सब के लिए एक सुखद अनुभूति है।

इस स्मारिका के प्रकाशन में सदस्यों द्वारा दिये समर्पित सहयोग एवं विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र में समयबद्ध निर्वहन के हम हृदय से आभारी हैं जिसके सहयोग से बहुत ही थोड़े समय के नोटिस पर स्मारिका का प्रकाशन किया जाना सम्भव हो सका है। स्मारिका में **भावना** परिवार की जानकारी संबंधी सूचना के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार से संबंधित अधिनियम, नियमावली, को भी सम्मिलित किया गया है।

सम्पादक समिति उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है जिन्होंने स्मारिका में अपनी संस्था का विज्ञापन प्रकाशित करवा कर **भावना** को आर्थिक एवं नैतिक सहयोग प्रदान किया है। यद्यपि स्मारिका में प्रकाशित सभी सूचनाओं रचनाओं के प्रकाशन में सजगता एवं सावधानी रखी गयी है, तथापि मानवीय अथवा तकनीकी कारणों से कोई अशुद्धि/त्रुटि रह गयी है उसके लिए सुधी पाठकगण कृपया हमें क्षमा करेंगे। स्मारिका में प्रकाशित सूचनाओं, रचनाओं आदि में व्यक्त विचार प्रस्तुतकर्ता रचनाकारों के हैं।

सम्पादन समिति सभी के सुखद भविष्य की मंगलकामना करती है।

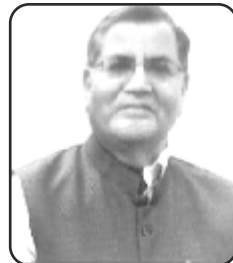
अमरनाथ

प्रधान संपादक

अध्यक्ष, भावना की कलम से

रामलाल गुप्ता, (पी.ए.एस.)

अध्यक्ष, भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति,
2/518, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
मो0: 9335231118



सम्मानित साथियों,

आज मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (**भावना**) के रजत जयन्ती वर्ष के अवसर पर 25वें महाधिवेशन का आयोजन इन्शटीट्यूट आफ इंजीनियर्स, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ में सफलतापूर्वक सम्पन्न करने में हम सफल हुए हैं। **भावना परिवार** की इस यात्रा में समय-समय पर जुड़े सदस्यगण तथा भावना के सभी 18 संस्थागत सदस्य बधाई के पात्र हैं।

भावना की स्थापना दिनांक 17 जुलाई 2000 में केवल 11 सदस्यों से हुई थी, वर्तमान में 1100 सदस्य हैं और 18 ग्रामीण व शहरी समितियाँ/संस्थान **भावना** की संस्थागत सदस्य हैं। यदि सभी की सदस्यता जोड़ ली जाए तो सदस्य संख्या लाखों से ऊपर हो जायेगी। भावना की चार शाखाएं भी हैं जैसे उन्नाव, ओबरा (सोनभद्र), एन,सी,आर, एवं नेडा। किसी भी सामाजिक संस्था के लिए सेवा पथ पर निरन्तर 25 वर्षों की सफल व प्रगतिशील यात्रा एक सुखद अनुभूति व उपलब्धि है। पिछले 25 वर्षों में **भावना परिवार** ने जो ख्याति अर्जित की है, वह केवल वरिष्ठजनों के सहयोग, संगठन व सेवा से ही सम्भव हो पाया है। हमारे इस विशाल व समृद्ध परिवार की स्थापना तथा उत्तरोत्तर वृद्धि में सभी वर्तमान एवं दिवंगत साथियों का अद्वितीय एवं अविस्मरणीय सहयोग रहा है। हम उन सभी के ऋणी हैं जिन्होंने स्वावलम्बन, सहयोग, सहिष्णुता व समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करने की **भावना** को प्रोत्साहित किया है तथा हमें सेवा का अवसर दिया है।

भावना अपनी स्थापना के समय से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरन्तर प्रयासरत है। आज भावना उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष में अग्रणी वरिष्ठ नागरिकों की संस्थाओं में से एक है और अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बना चुकी है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ **भावना** ने विभिन्न संस्थाओं जैसे वर्ड यू3ए, आई एस यू3ए, अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ, वरिष्ठ नागरिक कल्याण महासमिति उत्तरप्रदेश, हेल्पएज इंडिया, हेल्पएज इंटरनेशनल आदि संस्थाओं से सम्बद्धता/अंतरंग समन्वय स्थापित किया है। इन सभी संस्थाओं का योगदान

प्रशंसनीय रहा है। सभी सम्बद्ध/अंतरंग संस्थाएं प्रशंसा की पात्र हैं।

भावना के मुख्य रूप से घोषित उद्देश्य हैं (1) वरिष्ठ नागरिकों की सेवा, व (2) समाज के कमजोर वर्ग तथा निराश्रित महिलाओं, बच्चों, विकलांगों तथा निर्बल व असहायजनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

अपने सदस्यों के सक्रिय सहयोग व उपलब्ध सीमित साधनों से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए **भावना** सतत प्रयत्नशील रही है। मैं यहां उल्लेख करना समीचीन समझता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कानून 2007 कुछ प्रदेशों में लागू होने के बावजूद उत्तर प्रदेश जैसा विशाल प्रदेश इससे वंचित रह गया था। फलस्वरूप हेलपेज इन्डिया, महासमिति और अन्य समितियों के सहयोग से भावना ने भी सविनय संघर्ष चालू किया। फलस्वरूप निरंतर प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2014 को अधिसूचना जारी की गई और 24 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति बनाई गई तथा वरिष्ठ नागरिक राज्य समिति का गठन हुआ। लेकिन निहित प्राविधानों के लागू करने की गति कछुआ की गति के समान हैं क्योंकि सरकार द्वारा उदासीनता वरती जा रही है। अतएव संघर्ष जारी रखने की आवश्यकता है जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इस पुनीत कार्य में आप का छोटा से छोटा योगदान **भावना** के लिए अनमोल सिद्ध होगा। वृद्धा अवस्था परिपक्व ज्ञान और अनुभव की कसौटी में कसी बुद्धिमता का भंडार है। यदि यौवन की उर्जा, महिलाओं का सहयोग व वरिष्ठ जनों द्वारा अर्जित ज्ञान की पूंजी मिलकर समाजोत्थान में लग जाय तो राष्ट्रीय चेतना और विकास के परवान चढ़ने में कोई देर नहीं लगेगी। ऐसा मेरा विश्वास है।

भावना देश विदेश में रह रहे संवेदनशील उदारमन भारतीय नागरिकों एवं समाजसेवी संस्थाओं से अनुरोध करती है कि **भावना** के सदस्य बन कर अथवा वैसे भी वरिष्ठजनों तथा निर्बल व असहायजनों के हित में **भावना** द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देकर पुण्य के भागीदार बनें। समिति के रजत जयंती के अवसर पर मैं संस्था के संस्थापक सदस्यों, सभी सदस्यों, सहयोगियों, दान दाताओं और शुभचिन्तकों को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ तथा आगामी वर्षों में समिति की उन्नति के लिए शुभकामनायें व्यक्त करता हूँ।

सभी का अभिनन्दन।

राम लाल गुप्ता

अध्यक्ष

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति

समिति का पच्चीसवां महाधिवेशन 09 फरवरी 2025

प्रमुख महासचिव का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

भावना के रजत जयंती वर्ष में पच्चीसवें महाधिवेशन की इस अप्रतिम अवसर पर आदरणीय अध्यक्ष श्री रामलाल गुप्ता जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय जी भावना के संरक्षक एवं संस्थापक सदस्यों में से उपस्थित श्री विनोद कुमार शुक्ला जी एवं श्री सुशील शंकर सक्सेना जी मंचासीन अन्य विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित छात्रगण एवं विद्यालयों के प्रतिनिधि सभागार में उपस्थित सभी देवीओं और सज्जनों का मैं भावना परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

किसी भी सामाजिक संस्था की लगातार 25 वर्षों तक की प्रगतिशील यात्रा अपने आप में एक उपलब्धि है। संस्था के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भावना परिवार की इस यात्रा में समय समय पर जुड़े सभी सदस्य गण बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस यात्रा में अपना विशिष्ट योगदान देने के अनंतर काल कवलित हुए सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए याद दिलाना चाहूँगा कि भावना की स्थापना वर्ष 2000 में मंच पर आसीन संस्थापक सदस्यों में से श्री विनोद कुमार शुक्ला जी एवं श्री सुशील शंकर सक्सेना जी द्वारा की गयी थी। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के हितलाभों को सुनिश्चित कराना तथा उनमें स्वावलंबन सहयोग सहिष्णुता एवं सेवा की भावना बलवती करना रहा है जिससे उनमें सकारात्मक उर्जा का प्रवाह हो एवं वे प्रसन्न, स्वस्थ एवं सार्थक जीवन सुचारु रूप से जी सकें। **भावना** के उद्देश्य में समाज के कमजोर वर्गों यथा निराश्रित महिलाओं बेसहारा बच्चों दिव्यांगजनों, निर्बल एवं असहायजनों के कल्याण सरीखे विषयों को भी सम्मिलित किया गया है। यह सर्वजन हितकारी कार्यक्रम भावना को वरिष्ठ नागरिकों की अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं, जो केवल वरिष्ठ नागरिकों के हित चिंतन में ही लगी रहती हैं, से भिन्न बनाते हैं। भावना का हर सदस्य स्वयं को समाज से जुड़ा हुआ महसूस करता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भावना उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में सक्रिय वरिष्ठ नागरिक समितियों में प्रमुख स्थान रखती है।

भावना की विगत 25 वर्षों की यात्रा का संक्षिप्त अवलोकन उपस्थित संस्थापक सदस्य गणों द्वारा कराया जायेगा जिसे सुन कर यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों एवं अतिथि गणों को गर्व की अनुभूति अवश्य होगी। **भावना** द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों के ही परिणाम स्वरूप वर्तमान में भावना के मुख्यालय लखनऊ सहित विभिन्न शाखाओं यथा ओबरा उन्नाव नोयडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे अर्थॉरिटी (NCR) की सम्मिलित आजीवन सदस्यों की संख्या लगभग 1100 है और इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वरिष्ठ नागरिकों का हित चिंतन वाली 18 अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं भावना की संस्थागत सदस्य हैं। इन संस्थाओं से जुड़े लोगों को सम्मिलित करते हुए भावना परिवार की संख्या लाखों में पहुँच जाती है, जो एक सुखद अनुभूति देती है।

भावना द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अधोवर्णित 12 प्रकोष्ठों का गठन कर उनके दायित्वों का निर्धारण किया गया है। हर प्रकोष्ठ अपने दायित्वों के अनुरूप योजनाएँ बना कर उन्हें कार्यान्वित करता है। हर प्रकोष्ठ में संयोजक सहित आवश्यकतानुसार ऐसे सदस्यों का मनोनयन किया गया है जिनकी सम्बंधित कार्य विषय में रुचि है :

1. वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ
2. शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ
3. ग्राम्यांचल एवं निर्धन जन सेवा प्रकोष्ठ
4. सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ
5. वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ
6. प्रसादम सेवा प्रकोष्ठ
7. सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ
8. महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ
9. पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ
10. संपादन प्रकोष्ठ
11. संसाधन प्रबन्ध प्रकोष्ठ
12. अनौपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ

गत अधिवेशन के बाद से अब तक समिति के विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से भावना द्वारा किये गये तथा आगामी वर्ष में नियोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों । योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत प्रस्तुत है:-

1. वाह्य संपर्क प्रकोष्ठ :

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में संख्या बल के विशेष महत्व के दृष्टिगत भावना ने अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य निर्धन एवं बेसहारा लोगों के लिए काम करने वाली कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं को अपने साथ जोड़ने एवं कुछ अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं से जुड़ने के कार्य को प्राथमिकता दी है । साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ कार्य करने वाली अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी नियमित संपर्क बनाये रखा जाता है जिससे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु वरिष्ठ नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भावना द्वारा वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । इस प्रकोष्ठ के संयोजक श्री राम मूर्ति सिंह जी हैं ।

भावना ने इस सम्बन्ध में All India Senior Citizen Confederation (AISCON), Indian Society of Universities of Third Age (ISU3A), World U3A, U3A asia pacific Alliance Helpage International, Helpage India, help your NGO, Guide Star India, Senior Citizen Council of Delhi, Jharkhand, Chandigarh, Nepal and Daman, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद तथा वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध स्थापित किये हैं ।

भावना द्वारा अपनाई गयी सहयोग नीति के कारण संस्था को निम्न प्रमुख कार्यों को लागू करवाने में सफलता मिली:

- (अ) भावना द्वाारा हेल्पेज इंडिया सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक समितियों के साथ मिल कर प्रयास करने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार से माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम को 28 अगस्त 2012 को अंगीकार कराने में सफलता मिली । शासन द्वाारा दिनांक 14 फरवरी 2014 को “माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014” की अधिसूचना जारी कर दी गयी तथा माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता वाली राज्य परिषद् में गैर सरकारी पदों में से 2 पद भावना के पूर्व अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं तत्कालीन उप महासचिव (एडवोकेसी) श्री सत्य देव तिवारी की नियुक्ति समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा की जा चुकी है ।
- (आ) हेल्पेज इंडिया वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश तथा भावना द्वाारा अन्य समितियों के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति 21 मार्च 2016 को निर्गत कराई गयी । भावना इस नीति के प्राविधानों का अनुपालन कराने हेतु सतत प्रयास में लगी हुई है ।
- (इ) भावना अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिल कर केंद्र एवं राज्य सरकारों में पृथक वरिष्ठ नागरिक मन्त्रालय गठित कराने हेतु प्रयासरत है ।
- (ई) भावना के 23वें अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्तावों को लागू करवाने हेतु सम्बंधित विभिन्न मन्त्रालयों / विभागों को पत्र लिखे गए हैं तथा आगे भी इस सम्बन्ध में सार्थक परिणामो हेतु कार्यवाही की जाएगी ।

2. शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ :

भावना द्वाारा वर्ष 2007 में निर्धन तथा मेधावी छात्रछात्राओं को आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया गया

आरंभ में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया। बाद के वर्षों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन से प्रभावित हो कर कुछ दान दाताओं द्वारा शिक्षा सहायता प्राप्त कर चुके मेधावी छात्र/छात्राओं को स्नातक शिक्षा के लिए सहायता राशि प्रदान करने का संकल्प लिया गया। एक दान दाता द्वारा एक निर्धन मेधावी छात्रा के लिए कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए पूरी फीस, कॉपी किताबें एवं यूनिफार्म का व्यय वहन करने का संकल्प लिया गया। इसके अतिरिक्त सहृदय दान दाताओं द्वारा कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 छात्रों को विशेष पुरस्कार देने का संकल्प लिया। सम्मानित 2 सदस्यों द्वारा 3 छात्र/छात्राओं को प्रोफेशनल/टेक्निकल शिक्षा हेतु कोर्स की अवधि में प्रतिवर्ष दी जाने वाली पूरी फीस के भुगतान का संकल्प भी लिया गया। इस प्रकोष्ठ के सचिव श्री प्रमोद कुमार गुप्ता हैं।

वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक चयनित छात्र छात्रों को रूपए 1200.00 कक्षा 9 और 10 तक रूपए 1800.00 एवं कक्षा 11 और 12 के लिए रूपए 2400.00 प्रति शिक्षा सत्र हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। इस धनराशि का भुगतान स्कूलों के माध्यम से किया जाता है ताकि सहायता राशि का उपयोग छात्र छात्रा की फीस में किया जा सके। गत वर्ष तक इस योजना में 1438 छात्र/छात्राओं को रूपए 25,24,646.00 की राशि वितरित की जा चुकी है।

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान शिक्षा सत्र 2024-25 में निम्न विवरण के अनुसार शिक्षा सहायता प्रदान की गयी है:

क्रम	विवरण	छात्रों की संख्या	सहायता राशि	कुल धनराशि
1.	कक्षा 1 से 8 तक	101	1,200.00	1,21,200.00
2.	कक्षा 9 एवं 10	22	1,800.00	1,800.00
3.	कक्षा 11 एवं 12	6	2,000.00	2,000.00
4.	सुश्री श्रुष्टि सुश्री ज्योति यादव स्नातक शिक्षा हेतु (सुश्री आंचल भारद्वाज के सहयोग से)	बी0ए0 तृतीय बी0ए0 प्रथम	6,000.00 6,000.00	6,000.00 6,000.00
5.	श्री सौरभ गौतम स्नातक शिक्षा हेतु (सुश्री अंगीरा भारद्वाज के सहयोग से)	बी0ए0 द्वितीय	6,000.00	6,000.00
6.	सुश्री आकृति मौर्या श्री अनमोल श्रीवास्तव (प्रोफेशनल टेक्निकल शिक्षा हेतु ब्रिगेडियर श्री अशोक पाण्डेय जी के सहयोग से)	बी0 टेक द्वितीय डिपलोमा	1,30,700.00 19,440.00	1,30,700.00 19,440.00
7.	सुश्री नंदनी यादव (श्री आमोद कुमार जी के सहयोग से)	कक्षा 11	27,802.00	27,802.00
8.	सुश्री प्राची शुक्ला (श्री विपिन कुमार पाण्डेय जी द्वारा प्रायोजित स्वर्गीय कृष्ण दत्त पाण्डेय स्मृति पुरस्कार)	कक्षा 12	21,000.00	21,000.00
9.	श्री सूरज मोदी (श्री विपिन कुमार पाण्डेय जी द्वारा प्रायोजित स्वर्गीय गायत्री देवी पाण्डेय स्मृति पुरस्कार)	कक्षा 10	11,000.00	11,000.00
10.	सुश्री ज्योति यादव (श्रीमती वीना तिवारी जी द्वारा प्रायोजित स्वर्गीय रमेश चन्द्र तिवारी पुरस्कार)	कक्षा 12	15,000.00	15,000.00
11.	सुश्री सजल श्रीवास्तव (श्रीमती वीना तिवारी जी द्वारा प्रायोजित स्वर्गीय रमेश चन्द्र तिवारी पुरस्कार)	कक्षा 10	10,000.00	10,000.00

वर्तमान शिक्षा सत्र 2024-25 में सहयोग करने वाले सभी भावना के सदस्यों गैर सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।

3. ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा प्रकोष्ठ

इस प्रकोष्ठ दवारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों विधवा / निराश्रित महिलाओं बेसहारा बच्चों विकलांग जनों तथा अन्य निर्बल निर्धन एवं असहाय जनों को कैम्प लगा कर केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उन्हें अनुमन्य हित लाभों के बारे में जागरूकता एवं सहयोग हेतु नियोजन एवं कार्यक्रमों का आयोजन तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वच्छता के साथ बिना औषधि स्वस्थ रहने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी कैम्प में ऊनी कम्बलों एवं पुराने उपयोगी वस्त्रों को वितरित किया जाता है। इस कार्य के लिए स्थान का चयन ग्राम प्रधान के सहयोग से पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है एवं दिन, समय निर्धारित कर एकत्रित जन समुदाय को उक्त जानकारीयां प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा दी जाती हैं। इस प्रकोष्ठ के संयोजक श्री एस. के. वर्मा जी हैं।

इस वर्ष प्रकोष्ठ द्वारा 7 कैम्प निम्न विवरण के अनुसार आयोजित कर चयनित पात्र गरीब जनों को कम्बल और पुराने उपयोगी वस्त्र भी वितरित किये गये :

1.	25.12.24	ग्राम बरगदी कलां, तहसील बी0के0टी0, लखनऊ	100
2.	29.12.24	ग्राम पुरहिया, विकास खंड मोहन लाल गज, लखनऊ	108
3.	14.1.25	ग्राम शमशुद्दीन पुर, विकास खंड हसन गंज, तहसील हसनगंज, उन्नाव	100
4.	24.1.25	ग्राम ऐन, सरोजिनी नगर के पास लखनऊ	110
5.	26.1.25	संत गाडगे पार्क, रतन खंड, लखनऊ	25 कम्बल एवं 53 स्वेटर
6.	28.1.25	ग्राम शेरपुर, निगोहा, निकट शंकर जी मंदिर, लखनऊ	100
7.	30.1.25	राम समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, देवहरी, निकट बी0के0टी0 चन्द्रिका देवी मंदिर, लखनऊ	100

4. प्रसादम सेवा प्रकोष्ठ

भावना की संस्थागत सदस्य विजय श्री फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रसादम सेवा के अंतर्गत लखनऊ के मेडिकल कॉलेज और लोहिया अस्पताल में भती गरीब मरीजों के तीमारदारों को दोपहर का भोजन बैठा कर सम्मान के साथ कराया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 600 गरीब तीमारदार भोजन प्राप्त कर रहे हैं। भावना के सदस्य गण भी इस सेवा में सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकोष्ठ के सचिव श्री अशोक कुमार अरोड़ा हैं।

यह व्यवस्था वर्ष 2015 से नियमित रूप से की जा रही है। कोविड महामारी के समय इस संस्था दवारा लगभग 7.5 लाख प्रभावित लोगों की सेवा की थी जिसके कारण शासन स्तर एवं कई विभागों दवारा इस संस्था की सराहना की गयी थी।

विजयश्री फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 8 अस्थायी रैन बसेरे भी स्थापित किये हैं। इन बसेरों में 450 से अधिक गरीब तीमारदार रहते हैं। इन तीमारदारों को मौसम के अनुसार रहने व खाने की सुविधा प्रदान

की जाती है।

5. अनौपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ

भावना द्वारा विगत कई वर्षों से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रकोष्ठ द्वारा गरीब बच्चों को आरंभिक शिक्षा ज्ञान, सफाई स्वास्थ्य एवं अच्छे संस्कारों के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है। यह कार्य 2 अध्यपकों द्वारा किया जा रहा है। कोरोना काल में यह कार्यक्रम प्रभावित रहा। माह अगस्त 2022 से यह कार्यक्रम रतन खंड शारदा नगर स्थित संत गाडगे जलाशय पार्क में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जुड़े बच्चों को मौसम के अनुसार यूनिफार्म भी दी जाती है। शिक्षण केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम बच्चों के साथ मनाये जाते हैं। दिनांक 26.1.2025 को केंद्र पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें भावना के अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर बच्चों को मिष्ठान और पुरस्कार दिए गए। इस प्रकोष्ठ के संयोजक श्री अमर नाथ हैं।

6. सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ

इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य भावना के सदस्यों से नियमित सम्पर्क में रहते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इसके लिए लखनऊ नगर को 10 क्षेत्रों में बाँट कर हर क्षेत्र के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया जाता है। सम्बन्धित प्रभारी द्वारा अपने क्षेत्र के सदस्यों को आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान किया जाता है और किसी आपात स्थिति से निबटने के लिए मदद की जाती है। इस प्रकोष्ठ के संयोजक श्री राज देव स्वर्णकार हैं। इस प्रकोष्ठ द्वारा सदस्यों के जन्म दिन वैवाहिक वर्षगांठ आदि अवसरों पर उनको बधाई एवं शुभकामना सन्देश देने के साथ ही 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सदस्यों एवं वैवाहिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करने पर सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाता है एवं सदस्यों को भावना सन्देश पत्रिका के वितरण की व्यवस्था की जाती है।

7. सम्पादन प्रकोष्ठ

भावना द्वारा माह मार्च 2001 से त्रैमासिक पत्रिका **भावना सन्देश** का प्रकाशन किया जा रहा है। वर्ष 2024 के अंत तक पत्रिका के कुल 92 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। यह प्रकोष्ठ पत्रिका के नियमित प्रकाशन के साथ साथ अपने सदस्यों के निजी प्रकाशन में सहयोग और उनके द्वारा रचित पुस्तकों का विमोचन भी कराता आ रहा है। इस प्रकोष्ठ के प्रधान संपादक श्री अमर नाथ जी हैं।

8. सांस्कृतिक प्रकोष्ठ

इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है। **भावना** के वार्षिक महाधिवेशन एवं अन्य समारोहों में काव्य पाठ गीत संगीत एवं लघु नाटकों द्वारा सदस्यों का मनोरंजन किया जाता है। इस प्रकोष्ठ के संयोजक श्री उदय भान पाण्डेय जी हैं।

इस प्रकोष्ठ द्वारा विगत वर्ष में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं इस वर्ष माह जनवरी में नव वर्ष के कार्यक्रम आयोजित किये गए।

9. वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ

इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य सदस्यों एवं उनके परिजनो के स्वास्थ्य के प्रति उन्हें सजग रहने हेतु वैकल्पित चिकित्सा पद्धतियों योग, अध्यात्मिक जागृति आदि से सम्बंधित कार्यशालाएँ आयोजित कर उन्हें जागरूक करना है। इस हेतु सदस्यों को आयुर्वेद होम्योपैथ एक्जूप्रेशर, एक्जुपंक्चर, योग क्रिया आदि वैल्पिक चिकित्सा के बारे में अवगत कराया जाता है। इस प्रकोष्ठ की संयोजक डॉक्टर (कु0) अंजली गुप्ता जी हैं।

इस वर्ष भी प्रकोष्ठ द्वारा कार्यशालाएँ एवं वेबिनार आयोजित कर वैकल्पिक चिकित्सा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी जिनमें काफी संख्या में सदस्यों द्वारा भाग लिया गया ।

10. वेब साईट

भावना की वेबसाइट www-bhavanaindia-org पर भावना के कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी दी जाती है । इस वेब साईट का रख रखाव और अपडेशन का कार्य वाह्य संपर्क प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है ।

11. मेडिकल कैम्प

दिनांक 8.12.2024 को भावना द्वारा आस्था अस्पताल के सहयोग से विदिशा पार्क महानगर में एक निःशुल्क मेडिकल कैम्प लगाया गया । कैम्प में 7000 मूल्य से अधिक लगभग 20 विभिन्न जांचें जैसे HbA1C, PFT, Fibroscan, ECG, Neuropathy, Lipidprofile, PSA, Retinopathy, Hearing, Acupressure, Acupunture आदि करवाने का प्रबन्ध किया गया था । इस कैम्प में आस पास के क्षेत्रों के 1000 से अधिक निवासियों ने भाग लिया । जाँच के बाद डॉक्टरों से परामर्श एवं आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया । इस कैम्प में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी प्रबंध किया गया था जिसका लाभ 77 वरिष्ठ जनों द्वारा उठाया गया ।

12. अस्पतालों से अनुबंध

वर्तमान में सदस्यों के नियमित जाँच उपचार हेतु आस्था अस्पताल और अवध अस्पताल से अनुबंध किये गये हैं । इन अस्पतालों द्वारा बहुत कम दरों पर वार्षिक मेम्बरशिप के आधार पर उपचार की सुविधा दी जा रही है । इसी प्रकार के अनुबंध इस वर्ष संजीवनी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से किया गया है ।

13. YEIDA में प्रस्तावित ओल्ड ऐज होम

यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी (YEIDA) द्वारा भावना के वृद्धाश्रम के लिए आवंटित भूमि पर निर्माण कराया जाना है । इस निर्माण के लिए भावना के राजधानी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार शर्मा को अधिकृत किया गया है ।

14. नए सदस्य

विगत आम सभा के बाद अभी तक 24 नए सदस्य बनाये गये हैं । इनमें से 14 आजीवन सदस्य हैं एवं 10 विशिष्ट सदस्य हैं ।

गत वर्ष में सम्पन्न सभी कार्यक्रमों में समय समय पर मार्गदर्शन हेतु मैं भावना के संस्थापक सह संरक्षक सदस्य श्री विनोद कुमार शुक्ला जी एवं श्री सुशील शंकर सक्सेना जी निवर्तमान अध्यक्ष श्री जगमोहन लाल वैश्य जी वर्तमान अध्यक्ष श्री रामलाल गुप्ता जी उपाध्यक्ष श्री तुंग नाथ कनौजिया जी एवं श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ला जी तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु महासचिव श्री जगमोहन लाल जैसवाल जी श्री सतपाल सिंह जी एवं सभी उप महासचिवों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ । साथ ही संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप सफलता पूर्वक संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजकों / सचिवों एवं सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूँ । उल्लेखनीय है कि विगत 25 वर्षों से भावना द्वारा नियमित रूप से वार्षिक लेखे ससमय तैयार करा कर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किये गए हैं और उसी क्रम में इस वर्ष भी प्रबन्ध कारिणी से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के अंतिम लेखे के अनुसार IT रिटर्न ससमय दाखिल किये गये हैं । कोष के कुशल प्रबंधन के लिए कोषाध्यक्ष श्री राम कृष्ण आनन्द सह कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार उप्रेती जी एवं सम्प्रेक्षक श्री राकेश चन्द्र अग्रवाल जी के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ । मैं अपने निवर्तमान प्रमुख महासचिव श्री रमा कान्त पाण्डेय जी का विशेष

आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिनका अपने पारिवारिक उलझनों के बीच भी मनोयोग पूर्वक मुझे निरंतर मार्गदर्शन ही नहीं प्राप्त रहा अपितु विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन में अग्रणी भूमिका भी रही ।

भावना के सभी संस्थागत सदस्यों को भी यथा समय सक्रिय सहयोग देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके माध्यम से **भावना** के कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुँच सकी ।

अंत में मैं **भावना** की 25 वर्षों की यात्रा में सहयोग प्रदान करने वाले सभी सदस्यों, दान दाताओं, सहयोगी संस्थाओं का अभिवादन करते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि **भावना** के कार्यक्रमों में उन सभी की निष्ठा बनी रहेगी तथा सक्रिय सहयोग आगे भी प्राप्त होता रहेगा जिससे सेवा पथ पर अग्रसर हमारी और आप सभी की यह संस्था **भावना** नये आयाम प्राप्त करेगी ।

अब अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व **भावना** के सभी वरिष्ठ सदस्यों की तरफ से सामूहिक रूप से जीवन के इस पड़ाव पर वाल्मीकि रामायण की पंक्ति पढ़ते हुए जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहूँगा-

न भीतो मरणादसिय केवलं दूषितो यशः
अर्थात् मैं मरने से नहीं बल्कि अपयश से डरता हूँ।

जय भारत, जय भावना ।



राजेन्द्र कुमार चुघ
महासचिव प्रशासन / प्रमुख महासचिव
भावना

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति के स्वर्णिम 25 वर्ष

किसी भी सामाजिक संस्था के लिए सेवा पथ पर निरन्तर 25 वर्षों की सफल एवं प्रगतिशील यात्रा अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति 'भावना' ने पिछले 25 वर्षों में जो ख्याति अर्जित की है, वह केवल वरिष्ठजनों के सहयोग, संगठन, सेवा व समर्पण से ही सम्भव हो पाया है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं।

त्वं कामये राज्य न स्वर्ग न पुनर्भवम् ।
कामये दुःख तन्ताजाम प्राणिनामार्तनाशबम् ॥

न मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की, न ही पुनर्जन्म की। मैं दुःख से पीड़ित लोगों के दुःख को दूर करने में काम आ सकूँ।

कुछ इन्हीं उद्देश्यों को लेकर **भावना** की स्थापना की गयी। **भावना** के स्थापना—इतिहास का सिंहावलोकन करने पर हम पाते हैं कि सेवानिवृत्त साथियों की पेंशन व अन्य विभागीय समस्याओं के निस्तारण में होने वाली अमानवीय उत्पीड़न को कर हमारे सरंक्षक व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इं० विनोद कुमार शुक्ल को विचार उत्पन्न हुआ कि इन सेवानिवृत्त साथियों की सहायता के लिए एक संगठन बनाया जाय। तदानुसार उन्होंने 11 वरिष्ठ जनों के समूह को संगठित कर 17 जुलाई 2000 को पहली कार्यकारिणी की बैठक आहूत की। इन 11 वरिष्ठ जनों के नाम हैं:— इं० विनोद कुमार शुक्ल, इं० सुशील शंकर सक्सेना, इं० हरि वंश तिवारी, इं० के०पी० वाष्णेय, श्री हरी मोहन श्रीवास्तव, श्री पी.के. अग्रवाल, श्री नीलकंठ कुरील, इं० कृष्ण देव कालिया, श्री आन्नद अग्रवाल, डॉ० हरीश चन्द्र एवं इं० अशोक कुमार मिश्र। 19 अगस्त 2000 को रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज़ के कार्यालय में **भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना)** का पंजीकरण हुआ। अतः इसी तिथि को **भावना** का स्थापना दिवस घोषित किया गया।

भावना के घोषित उद्देश्य निम्नवत हैं:—

1. वरिष्ठ नागरिकों में स्वावलम्बन, सहयोग, सहिष्णुता एवं सेवा की भावना बलवती करना ताकि वे सम्मान के साथ सुखी व स्वस्थ रह सकें।
2. समाज के कमजोर वर्ग यथा निराश्रित महिलाओं व बच्चों, विकलांगों तथा निर्बल व असहाय जनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

सभी क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए **भावना** ने विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया है:—

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. ग्राम्यांचल एवं निर्धन—जन सेवा प्रकोष्ठ, | 7. सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ, |
| 2. सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ, | 8. वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ, |
| 3. प्रसादम सेवा प्रकोष्ठ, | 9. पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ, |
| 4. वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ, | 10. अनौपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ |
| 5. महिला सशक्तीकरण प्रकोष्ठ, | 11. भावना त्रैमासिक पत्रिका प्रकोष्ठ |
| 6. शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ | 12. संसाधन प्रबंधन प्रकोष्ठ। |

सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी व सदस्य अपने—अपने क्षेत्र में समर्पित भाव से कार्यरत हैं।

भावना का संकल्प गीत, सूत्रवाक्य, लोगो व वेबसाइट—

भावना की साधारण सभा दिनांक 13 मार्च 2005 में इं० देवकीनन्दन शांत द्वारा रचित संकल्प गीत को **भावना** द्वारा अपनाने की स्वीकृत दी गयी। बाद में इस गीत का इं० देवकीनन्दन शांत एवं इं० उदयभान पांडे जी द्वारा संगीतबद्ध भी किया गया। राष्ट्रीय कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के महाकाव्य साकेत की इन दो पंक्तियों को **भावना** का सूत्र वाक्य घोषित किया गया:



संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया ।
इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया ॥



भावना का पूर्व लोगो
(अप्रैल 2000 से सितम्बर 2011 तक)

भावना का वर्तमान लोगो
(अक्टूबर 2011 से)

भावना की वेबसाइट WWW.BHAVANAINDIA.ORG

जनवरी 2003 में **भावना** की वेबसाइट लॉन्च की गयी जो तकनीकी कारण से निरस्त हो गयी थी जिसे वर्ष 2006 में पुनः लॉन्च किया गया जो सुचारु रूप से चल रही है। इसमें **भावना** की अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहती है। इस वेब साइट का रख-रखाव और अपडेशन वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

भावना का कार्यालय

भावना का पहला पंजीकृत मुख्यालय श्री विनोद कुमार शुक्ल के आवास 3/361, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ था जो परिवर्तित होकर भावना के संरक्षक व संस्थापक सदस्य के निवास स्थान — 507, कसमण्डा रीजेन्ट अपार्टमेंट्स, पार्क रोड, लखनऊ हुआ। अब परिवर्तित कार्यालय उनके वर्तमान निवास पी. 4, 403, चन्द्रा पैनारमा, सुशान्त गोल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ है। **भावना** अपने स्वयं के कार्यालय-भवन के लिए प्रयासरत है। आशा है कि भगवत-कृपा से यह लक्ष्य संसाधन उपलब्ध होने पर प्राप्त होगा।

भावना-संदेश त्रैमासिक पत्रिका तथा भावना द्वारा प्रकाशित स्मारिका जीवन संध्या-

भावना-संदेश हमारी त्रैमासिक पत्रिका है जो मार्च, 2002 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। विषम परिस्थितियों एवं वर्ष 2020-21 के कोरोना काल के कारण इसके नियमित प्रकाशन में दो-तीन बार व्यावधान पड़ा था। हमें दो-तीन बार त्रैमासिक अंकों के संयुक्तांक प्रकाशित करने पड़े थे। अब तक **भावना संदेश** के 92 त्रैमासिक/संयुक्तांक प्रकाशित हो चुके हैं। **भावना-संदेश** के सम्पादन में अनेक गणमान्य सदस्यों का सक्रिय सहयोग रहा है, यथा श्री आनन्द अग्रवाल, श्रीमती नीता चांद, श्रीमती दया शुक्ला, श्री रामबाबू गंगवार, इं० श्री धर्मवीर, इं० अरुण कुमार, श्री सुशील कुमार शर्मा, श्रीमती सीमा तिवारी। वर्तमान में **भावना-संदेश** के प्रधान सम्पादक इं० अमर नाथ, सम्पादक श्री पुरुषोत्तम केसवानी तथा सह सम्पादक प्रोफेसर (डा०) अवनीश अग्रवाल एवं श्री आदित्य प्रकाश सिंह हैं।

पहले इसका वार्षिक शुल्क 100 रुपये किया गया था। 24 जनवरी 2010 को प्रबंधकारिणी ने निर्णय लेकर इस पत्रिका का आजीवन शुल्क रु० 1000 अनिवार्य रूप से लागू किया। यद्यपि यह पत्रिका **भावना** के आजीवन सदस्यों को ही वितरित की जाती है किन्तु इसकी लोकप्रियता से इसकी मांग अन्य संगठनों द्वारा भी की जाती है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **भावना-संदेश** त्रैमासिक पत्रिका की पी.डी.एफ. प्रति नियमित रूप से **भावना** की वेबसाइट तथा वाट्सअप पर उपलब्ध करायी जाती है। पाठकगण इसका लाभ उठा सकते हैं।

वर्ष 2013 में **भावना** ने अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ (AISCCON) के 13वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन का सफल आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में 22 व 23 नवम्बर 2013 को किया था। इस महाअधिवेशन में देश-विदेश से वरिष्ठ नागरिकों के अनेक संगठनों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों, सदस्यों एवं अतिथियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर **भावना** द्वारा एक आकर्षक स्मारिका **“जीवन संध्या”** का प्रकाशन किया था। इस स्मारिका में वरिष्ठ नागरिकों हेतु महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर सामग्री प्रकाशित की गयी थी। इस वृहद अधिवेशन के सफल आयोजन पर इं० देवकी नन्दन शांत द्वारा प्रस्तुत पक्तियाँ उल्लेखनीय हैं:-

हम अकेले चले थे, कारवाँ जुड़ता गया,
उत्साह हमारा देख कर, रास्ता मिलता गया।
यद्यपि हमारे सामने थी कई बड़ी चुनौतियाँ,
छू लेंगे हम आसमाँ, गर आप हमारे साथ हैं।

अन्य संघों/महासंघों से सम्बद्धता—

भावना स्थापना के समय से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरन्तर प्रयासतर है। हमें गर्व है कि इतनी अल्प अवधि में ही **भावना** उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु भारतवर्ष में अग्रणी वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं में से एक हो गयी है और आज **भावना** अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बना चुकी है। **भावना** के सदस्यों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिक के हितार्थ कार्यकर अन्य संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जानकारी उपलब्ध हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर **भावना** उन संस्थाओं को सहयोग दे सके अथवा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनसे सहयोग प्राप्त कर सके। इस अभिप्राय से **भावना** द्वारा निम्न संस्थाओं से सम्बद्धता/अंतरंग समन्वय स्थापित किया है:—

सम्बद्धता:

Society of U3A (ISU3A), अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ (AISCCON), वरिष्ठ नागरिक कल्याण महासमिति उ०प्र० एवं वरिष्ठ नागरिक महासमिति उ०प्र०।

अंतरंग समन्वय:

WordU3A, U3A Asia Pacific Alliance, Help Age International, Help Age India, Help Your NGO, Senior Citizens Confederation of Delhi, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन आफ चण्डीगढ़, दमन एवं उतराखण्ड, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद आदि।

भावना के सदस्य इन संस्थाओं में होने वाली गतिविधियों एवं अधिवेशनों में पूरी निष्ठा एवं कर्तव्य से भाग लेते रहे हैं। जिन सम्मेलनों/कार्यकलापों में **भावना** के सदस्यों ने भाग लिया, उनमें प्रमुख निम्न हैं:—

1. WordU3A के 8, 9 व 10 फरवरी 2010 को चित्रकूट (म०प्र०) में तथा 8 अगस्त 2011 को सिंगापुर में सम्पन्न अधिवेशनों में **भावना** के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी की।
2. ISU3A (Indian Society University of Third Age) के अक्टूबर 2012 को चिन्मय वानप्रस्थ संस्थान, पुणे में सम्पन्न विश्व सम्मेलन में **भावना** के 60 सदस्यों ने भाग लिया।
3. नवम्बर 2012 में अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ (AISCCON) ने तिरुवनन्तपुरम अधिवेशन में **भावना** के 6 सदस्यों ने भाग लिया।
4. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के तत्वाधान में 1 मार्च से 3 मार्च 2013 ऋषिकेश में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में **भावना** के 53 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया।
5. सीनियर सिटीजन फोरम द्वारा आयोजित 3 मार्च 2013 को हरिद्वार में आहूत बैठक में **भावना** के चार सदस्यों ने भाग लिया।
6. टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज द्वारा 29.03.2013 से 02.04.2013 तक मुम्बई में आयोजित Capacity Building of key functionaries of NGOs in Generic Counseling पर कार्यशाला में **भावना** के 3 सदस्यों ने भागीदारी की।
7. ISU3As की वार्षिक बैठक खुजराहो, म०प्र० में 13 जुलाई, 2014 को आयोजित की गयी जिसमें हमारे 35 सदस्यों ने भाग लिया।
8. ISU3As के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों का विश्व सम्मेलन अक्टूबर 2014 काठमाण्डू (नेपाल) में हुआ जिसमें **भावना** के 23 सदस्यों ने भाग लिया।
9. उदयपुर राजस्थान में 21 व 22 फरवरी 2015 को आयोजित AISCCON की सभा में **भावना** के सदस्यों ने सक्रिय भाग लिया।
10. ISU3A की 20 सितम्बर, 2015 को दिल्ली में आयोजित सालाना बैठक में **भावना** सदस्यों ने अपनी भागीदारी की।
11. ISU3A की 10 अक्टूबर 2015 को बेंगलोर में आयोजित सेमीनार में **भावना** सदस्यों ने भाग लिया।

12. अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ की सेन्ट्रल काउंसिल की दिनांक 30.09.2015 को आयोजित बैठक में श्री एस0 डी0 तिवारी ने **भावना** का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया।
13. अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ (AISCCON) 6 व 7 मार्च 2016 को गोवा में आयोजित 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में **भावना** के कई सदस्यों ने भाग लिया।
14. अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ (AISCCON) की दिनांक 29.05.2016 को इन्दौर में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में महासंघ के लखनऊ में 13वें सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु **भावना** की आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ल, सचिव श्री ए0के0 मल्होत्रा एवं ट्रेजरर श्री आर0पी0 गुप्ता को महासंघ की ओर से स्मृति-चिन्ह प्रदान किए गए।
15. हरिद्वार में दिनांक 7 से 10 मार्च 2017 को आयोजित सीनियर सिटीजन कान्फ्रेंस में **भावना** के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही।
16. 17 व 18 सितम्बर 2022 को गोवा में आयोजित ISU3A के अधिवेशन में **भावना** के 16 सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वर्ष 2020 एवं 2021 में कोरोना महामारी के कारण इन सम्मेलनों/कार्यशालाओं के आयोजन में ग्रहण सा लग गया था। अब स्थितियाँ सामान्य रूप ले रही हैं। पूर्व की तरह वरिष्ठ नागरिक इन कार्यक्रमों में भौतिक रूप से भाग ले रहे हैं। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि कोरोना काल में भी हमारे वरिष्ठ जनों ने जूम इत्यादि के आनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से सभाओं एवं सम्मेलनों में वर्चुअल रूप से बढ़-चढ़कर सक्रिय भाग लिया।

इसके अतिरिक्त **भावना** के सदस्यों द्वारा समय-समय पर भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते रहे हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में हुए भ्रमण कार्यक्रम निम्न प्रमुख हैं:-

- (1) भावना के 35 सदस्यों के समूह ने 13 व 14 अक्टूबर 2019 को कानपुर जनपद के आध्यात्मिक महत्व वाले स्थल बिठूर का दो दिवसीय भ्रमण किया।
- (2) भावना के 45 सदस्यों के समूह ने 15 जनवरी 2020 से 23 जनवरी 2020 तक गुजरात का भ्रमण किया जिसमें निम्न स्थानों का भ्रमण प्रमुख है : साबरमती आश्रम, अक्षरधाम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग, कच्छ का रन आदि।

संस्थाएं जो **भावना** की संस्थागत सदस्य हैं-

इस समय 18 संस्थाओं ने **भावना** की संस्थागत सदस्यता ग्रहण की है। **भावना** द्वारा इन संस्थाओं के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है तथा **भावना** इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करती है, ताकि निरन्तर जानकारी एवं सेवाओं का आदान-प्रदान हो सके। इन संस्थाओं को अपने से जोड़ने से उन संस्थाओं को भी लाभ पहुँचा है एवं **भावना** को अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने में सहायता मिली। इन सहयोगी संस्थाओं में ऐसी कई संस्थाएं हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। **भावना** का सहयोग मिलने से उन्हें अपने कार्यों को बढ़ाने तथा तीव्र गति देने में सफलता प्राप्त हुई। ये सभी संस्थागत सदस्य सामाजिक कार्यों में अग्रणी हैं, यथा विजयश्री फाउण्डेशन। **भावना** अपने "प्रसादम् सेवा प्रकोष्ठ" के माध्यम से उनके कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से संलग्न है। विजयश्री फाउण्डेशन (प्रसादम् सेवा) द्वारा नियमित रूप से लखनऊ के मेडिकल कालेज, बलरामपुर अस्पताल एवं लोहिया अस्पताल में प्रसादम् सेवा की जा रही है।

भावना के सामाजिक सरोकार के कार्य:

भावना के मुख्य रूप से घोषित उद्देश्य है :-

- (1) वरिष्ठ नागरिकों की सेवा, तथा
- (2) समाज के कमजोर वर्ग तथा निराश्रित महिलाओं व बच्चों, विकलांगों तथा निर्बल व असहाय जनों के कल्याण के लिए कार्य करना।

दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए अर्थात् सामाजिक सरोकार के कार्य हेतु **भावना** सतत् प्रयत्नशील रही है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:-

1. गरीब, बेसहारा, लावारिस बच्चों के लिए साक्षरता अभियान

भावना द्वारा विगत कई वर्षों में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पूर्व में लखनऊ बिजनौर मार्ग पर बिजली पासी किला चौरहा से औरंगाबाद रेलवे क्रासिंग से महज 100 मीटर दायीं ओर मानसरोवर योजना के सेक्टर 'पी' में एक अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र श्री चन्द्र भूषण तिवारी जी के दिशा-निर्देशन में **भावना** द्वारा संचालित था। कोरोना काल में यह कार्यक्रम प्रभावित रहा। अगस्त 2022 से यह कार्यक्रम रतन खण्ड, शारदा नगर लखनऊ स्थिति संत गाडगे जलाशय पार्क में संचालित किया जा रहा है। इस कार्य हेतु दो अध्यापक नियुक्त हैं। इसमें 40 से 50 तक बच्चे निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस स्कूल में निकटस्थ झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा के अतिरिक्त **भावना** सदस्यों द्वारा समय-समय पर इन बालकों को स्टेशनरी, लंच-पैकेट्स, वस्त्र आदि भी सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इस केन्द्र के संचालन में सबसे बड़ी बाधा, केन्द्र की अपनी भूमि उपलब्ध न होना है, जिसके कारण बार-बार स्थान परिवर्तित करना पड़ता है। केन्द्र के सुगम संचालन के लिए स्थायी रूप से भूमि की व्यवस्था करने के लिए **भावना** प्रयासरत है।

भावना की एन0सी0आर0 शाखा द्वारा भी इस योजना में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इन्दिरापुरम (गाजियाबाद) के निकट कनकावनी ग्राम में स्थित महापण्डित राहुल अनौपचारिक विद्यालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने, हैण्डपम्प लगवाने, बच्चों को पुस्तकें आदि प्रदान करने में विगत पांच वर्षों में लगभग रुपए तीन लाख से अधिक का योगदान शाखा के सदस्यों द्वारा किया गया है।

2. बालक-बालिकाओं की शिक्षा सहायता योजना-

यह सहायता योजना 26 अगस्त 2007 से सुचारु रूप से कार्यरत है जो **भावना** के शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ द्वारा संचालित है। इसके अर्न्तगत कक्षा 12 तथा नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे गरीब किन्तु मेधावी छात्रों/छात्राओं को सहायता स्कूल फीस तथा पुस्तकों आदि के रूप में सम्बन्धित विद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। विशेष परिस्थितिजन्य अपवादों को छोड़कर सामान्यतः किसी भी छात्र/छात्रा को अथवा उसके माता-पिता/अभिभावक को सहायता नगद नहीं दी जाती है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत कक्षा एक से कक्षा आठ तक के चयनित छात्र/छात्राओं को प्रति शिक्षा सत्र रु0 1200, कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्रा को रु0 1800 तथा कक्षा 11 व 12 के छात्र/छात्रा को रु0 2000 प्रति शिक्षा सत्र की सहायता धनराशि प्रदान की जा रही है।

भावना के दयालु दानदाताओं द्वारा भी अतिरिक्त प्रायोजित पुरस्कार सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सहय दान-दाताओं द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वोत्तम अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं तथा **भावना** के स्थापना दिवस समारोहों में प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता के अतिरिक्त सभी बच्चों को सदस्यों द्वारा उपहार भी दिए जाते हैं। कुल लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या लगभग 150 रहती है। इस मद में वितरित सहायता राशि में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि सन्तोष का विषय है। वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 शिक्षा सत्र में कुल रु0 2,31,100 एवं रु0 1,63,400 धनराशि क्रमशः सहायता के रूप में वितरित की गयी। वर्ष 2022-23 में रु0 3,69,180 शिक्षा सहायता के अर्न्तगत वितरित किए गये। वर्ष 2023-24 में शिक्षा सहायता के रूप में रु0 4,26,866 वितरित किए गये हैं। वर्तमान वर्ष 2024-25 में अब तक रु0 4,25,742 शिक्षा सहायता के अर्न्तगत वितरित किये गए हैं।

3. ग्रामांचल एवं निर्धन-जन सेवा योजना-

इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ तथा आस-पास के जनपदों में ग्रामांचल एवं निर्धन-जन सेवा प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों की सहायता से निर्धन एवं गरीब लोगों को चिन्हित कर उन व्यक्तियों के निवास के समीपस्थ स्थान में पूर्व घोषित तिथि व समय पर कार्यक्रम आयोजित करके एक-एक नया ऊनी कम्बल प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों, नेत्रहीन, विधवा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित शेष गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को नए-पुराने वस्त्र एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं भी वितरित की जाती हैं। इन सभी कार्यक्रमों में उपस्थिति महिलाओं एवं पुरुषों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विविध जन

हितकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है, ताकि जानकारी के अभाव में वे लाभ से वंचित न रह जाएं।

4. भावना समर्थित प्रसादम सेवा योजना—

इस योजना का संचालन भावना की संस्थागत संस्था विजय श्री फाउण्डेशन द्वारा किया जा रहा है तथा भावना की ओर से प्रसादम सेवा प्रकोष्ठ उनको अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब मरीजों के पूर्व चिन्हित तीमारदारों का निःशुल्क सात्विक एवं ताजा भरपेट स्वस्थ भोजन कराने की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में इस सेवा के लिए तीन स्थानों यथा मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, बलरामपुर चिकित्सालय एवं डॉ० राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा स्थान एवं बिजली, पानी की निःशुल्क सुविधा कराई गई है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 600 तीमारदारों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। विजय श्री फाउण्डेशन की इस योजना को भावना द्वारा यथा सम्भव भौतिक एवं आर्थिक सहायता की जाती है। भावना द्वारा इस कार्य हेतु रु० 90,000 से अधिक की वित्तीय सहायता, रु० 20,000 के मूल्य का एक रेफ्रीजरेटर एवं रु० 1,30,000 मूल्य का एक ई-रिक्शा आदि की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु भावना के सदस्यों द्वारा समय समय पर दान दिया जा रहा है।

कोविड महामारी की पहली व दूसरी लहर में भी इस संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश प्रशासन के साथ मिलकर लगभग 07.50 लाख लोगों को भोजन, कच्चा राशन एवं अन्य खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया गया। आवासीय मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ में पाँच कम्यूनिटी किचन स्थापित किए गए। भोजन के अतिरिक्त 40 आक्सीजन सिलिंडर, चार कंसट्रेटर एवं दो बाई पैक मशीनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी।

वर्तमान में विजय श्री फाउण्डेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज में आठ अस्थायी रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गयी है तथा वहाँ रह रहे लोगों को कम्बल आदि की सुविधा प्रदान की गयी। इन सभी कार्यों में भावना के प्रसादम प्रकोष्ठ के सचिव एवं सदस्यों द्वारा संगठन को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। भावना के अन्य सदस्यों द्वारा भी यथासम्भव सहयोग दिया जा रहा है।

5. वैकल्पिक चिकित्सा कार्यक्रम

भावना ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इतर प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसके द्वारा समय-समय पर गोष्ठियाँ, कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर बिना औषधि स्वस्थ रहने के उपाय बताये जाते हैं। इस हेतु सदस्यों को आयुर्वेद, होम्योपैथ एक्जूपेशर, एक्जूपंचर, योग क्रिया आदि वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में जानकारी करायी जाती है। इस प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ० अंजली गुप्ता है।

6. वरिष्ठ नागरिकों हेतु उच्च कोटि का हैपी होम (भावना ओल्ड-एज होम येडा)

वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने दिल्ली एन०सी०आर० में आवेदन कर यमुना एक्सप्रेस वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी— येडा (YEIDA) में 3250 वर्गमीटर का एक विकसित भूखण्ड आवंटित कराया है तथा यहाँ पर वृद्ध जनों के सम्मानजनक खुशहाल व सामुदायिक जीवन के लिए एक अत्याधुनिक योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। भावना ओल्ड-एज होम येडा एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की हमारे देश की पहली परियोजना है जो सेल्फ-फाइनेंसिंग मॉडल पर संकल्पित की गयी है, जिसमें लागत का लगभग 25 प्रतिशत सी०एस०आर० व आयकर की धारा 80-जी के माध्यम से फण्डिंग का प्रावधान है। इस प्रकार मध्यम आय वर्ग के एफोर्डेबिल ओल्ड ऐज होम बनाने का सार्थक प्रयास किया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट जगत और सरकार के सहयोग की अपेक्षा की गयी है। भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति, एन०सी०आर० शाखा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार शर्मा, सचिव डॉ० हरीश तिवारी है।

इस योजना में 192 बुजुर्गों के आवास की व्यवस्था की जा रही है। हर्ष के साथ हम सूचित कर रहे हैं कि भवन निर्माण हेतु 9 अप्रैल 2022 को भूमि पूजन एवं शिलान्यास एक भव्य समारोह के रूप में येडा (YEIDA) में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉ० महेश शर्मा, सांसद, लोक सभा तथा भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री थे। उन्होंने इस परियोजना के संकल्पन व कार्यान्वयन के लिए भावना को साधुवाद दिया व इसमें उनकी ओर से सहयोग का आश्वासन भी दिया।

7. सांस्कृतिक कार्यक्रम योजना

भावना अपने सदस्यों के आपसी मेल-मिलाप व मनोरंजन हेतु नव वर्ष, होली मिलन, दीपावली समारोह, स्थापना दिवस एवं अन्य अवसरों पर कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करती रहती है। इन अवसरों पर भव्य सांस्कृतिक संध्या तथा सह-भोजन आदि की व्यवस्था करायी जाती है। प्रत्येक वर्ष 80 वर्ष पार कर चुके वरिष्ठ सदस्यों को पुष्प व अंग-वस्त्र देकर सम्मान भी किया जाता है। साथ ही साथ समय-समय पर पिकनिक एवं भ्रमण कार्यक्रम भी होते रहते हैं।

8. सहयोग एवं सेवा कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ नगर में अपने सदस्यों एवं अन्य बुजुर्गों की देखभाल एवं उनके साथ निरन्तर सम्पर्क बनाने का कार्य किया जाता है तथा आपात स्थिति में सहायता व सहयोग देने का कार्य किया जाता है। दिवंगत सदस्यों की विधवाओं से सम्पर्क स्थापित कर यथासम्भव उनकी देखभाल की जाती है। साथ ही सदस्यों के जन्म दिवस, विवाह वर्षगांठ आदि अवसरों पर शुभकामना सन्देश भेजकर उनमें एक नया जोश भरने का कार्य किया जाता है। साथ ही अपने सदस्यों का सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं को नगण्य दरों पर उपलब्ध कराने हेतु **भावना** द्वारा लखनऊ में आस्था वृद्ध रोग चिकित्सालय, अवध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुधा डेन्टल क्लीनिक तथा स्वास्थ्य एवं जड़ी-बूटी विकास संस्थान व संजीविनी सुपर स्पेशलटी हॉस्पिटल के साथ दीर्घकालीन अनुबन्ध किए गए हैं। अधिकतर सदस्य इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

भावना द्वारा अपनाई गयी सहयोग नीति के कारण संस्था को निम्न प्रमुख कार्यों को लागू करवाने में सफलता मिली:-

(अ) **भावना**, हेल्पज इण्डिया सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक समितियों के साथ मिलकर प्रयास करने के फल-स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार से “माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम” को 28 अगस्त, 2012 को अंगीकार कराने में सफलता मिली। शासन द्वारा 14 फरवरी, 2014 को उक्त अधिनियम की नियमावली की अधिसूचना जारी की गयी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली राज्य परिषद में गैर सरकारी पदों से दो पदों पर **भावना** के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ल तथा उपमहासचिव (एडवोकेसी) श्री सत्यदेव तिवारी की नियुक्ति समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा चुकी है।

(ब) हेल्पज इण्डिया, वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश तथा **भावना** द्वारा अन्य समितियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश शासन से “उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति” 21 मार्च 2016 को निर्गत कराई। **भावना** इस नीति के प्राविधानों का अनुपालन कराने हेतु सतत् प्रयास में लगी हुयी है।

(स) **भावना** अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर केन्द्र एवं राज्यों में पृथक वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय गठित कराने हेतु प्रयासरत है, क्योंकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अन्य प्राथमिकता वाले कल्याण सम्बंधी कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के हित सम्बंधी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है अथवा यह कहा जाय कि वह वरिष्ठ नागरिकों के कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

9. संवैधानिक दायित्वों का निर्वाहन

भावना अपना आय-व्यय का वार्षिक लेखा नियमित रूप से सम्प्रेक्षक एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रभावीगत कराती रहती है। प्रत्येक लेखा वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्य योजना वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत करके अनुमोदित कराई जाती है। **भावना** सोसाइटीज एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। अपनी वार्षिक विवरणी एवं आवश्यक पत्रावली सम्बंधित विभागों को नियमित रूप से भेजती रहती है। **भावना** आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत भी पंजीकृत है। **भावना** को दी गयी दान राशि आयकर की धारा 80-जी के अंतर्गत छूट योग्य है। **भावना** के सदस्य तथा अन्य भामाशाह इस छूट का लाभ लेते **भावना** को उदारपूर्वक आर्थिक सहयोग देते रहते हैं। **भावना** की प्रबंध समिति उनकी हृदय से आभारी है।

भावना के विशाल परिवार की वर्तमान सदस्य संख्या 1100 से अधिक है, जो देश के विभिन्न भागों में निवास कर

रही है। हमारे संस्थागत सदस्यों की संख्या 18 हैं, जिनके अपने अनेकानेक सदस्य हैं। **भावना** के सदस्यों की अद्यतन सूची **भावना** की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है।

भावना की स्थापना से अब तक हमारे लगभग 150 सम्मानीय सदस्य हमारे बीच नहीं रहे हैं। दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धाजलि देते हुए उनकी सूची **भावना** की वेबसाइट पर दी गई है। **भावना** के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। इसे नियति का चक्र मानकर हम दिवंगत आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारे इस विशाल एवं समृद्ध परिवार की स्थापना तथा उत्तरोत्तर वृद्धि में सभी वर्तमान एवं उपरोक्त दिवंगत साथियों का अद्वितीय एवं अविस्मणीय सहयोग रहा है। हम उन सभी के ऋणी हैं जिन्होंने हमें स्वावलम्बन, सहयोग एवं, सहिष्णुता एवं समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करने की भावना प्रोत्साहित की है तथा हमें उनकी सेवा करने का सुअवसर दिया है। आज **भावना** उत्तर प्रदेश ही नहीं, अपितु पूरे देश में अग्रणी वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं में से एक हो गयी है और अन्तर्राष्ट्रीय पहचान बना चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी समिति वरिष्ठ जनों की सेवा के साथ-साथ समाज एवं देश के बहुमुखी विकास में हमेशा अग्रसर रहेगी।

वरिष्ठ नागरिक हमारे मार्गदर्शक एवं अनुभव कलश हैं। भावना परिवार के सुधी पाठकों के सार्थक सुझावों का स्वागत है। यदि प्रकाशन में कोई त्रुटि रह गई हो तो सुधी पाठक इसे अपनी पत्रिका समझकर क्षमा कर देंगे।

जय भावना, जय भारत



पुरुषोत्तम केसवानी
संपादक, भावना संदेश

रहे बुढ़ापे में युवकों जैसा जोश!

भले देह कछुआ सही, मन रहे खरगोश!

दिनांक 30.11.24 को प्रबंध कारिणी की आकस्मिक विशेष बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति : श्री जगमोहन लाल वैश्य, अध्यक्ष, श्री विनोद कुमार शुक्ला, संरक्षक एवं संस्थापक, श्री रमा कान्त पाण्डेय, प्रमुख महासचिव, श्री अनिल कुमार शर्मा, अध्यक्ष भावना NCR, राजेंद्र कुमार चुघ, महासचिव प्रशासन, श्री जगमोहन लाल जैसवाल, महासचिव क्रियान्वयन, श्री सतपाल सिंह, महासचिव एडवोकेसी, श्री राम कृष्ण आनंद, कोषाध्यक्ष, श्री सुनील कुमार उप्रेती, सह कोषाध्यक्ष, श्री राज देव स्वर्णकार, उप महासचिव प्रशासन, श्री राम मूर्ति सिंह, उप-महासचिव एडवोकेसी, श्री सुभाष चंद्र विद्यार्थी, श्री ए. पी. सिंह, श्री एस. के. शर्मा, डाक्टर के. आर. कनौजिया, श्री आनंद जैन, डाक्टर राम संजीवन शुक्ला, श्री पुरुषोत्तम केसवानी

कार्यवाही विवरण

बैठक का संचालन श्री राजेन्द्र कुमार चुघ महासचिव प्रशासन द्वारा किया गया। सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करने के उपरांत भावना NCR के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार शर्मा जी को YEIDA में प्रस्तावित भावना ओल्ड एज होम के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री शर्मा जी ने प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण बताते हुए अवगत कराया कि **भावना** के सदस्यों एवं अन्य लोगों से वार्ता के साथ-साथ दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अनेक बार प्रयास करने के बाद भी ओल्ड एज होम के निर्माण के लिए वांछित राशि एकत्र नहीं की जा सकी है। इस सम्बन्ध में प्रबंध कारिणी की दिनांक 7.7.24 को हुई बैठक में हुई। चर्चा के आधार पर उनके द्वारा भवन निर्माण के लिए थर्ड पार्टी द्वारा कार्य सम्पादन हेतु किसी पार्टी से सम्पर्क किया गया जिसने इस भवन के निर्माण में रुचि व्यक्त की है परन्तु वह **भावना** के नाम से YEIDA द्वारा आवंटित भूमि को अपने ट्रस्ट को स्थान्तरित करने की शर्त रख रहा है जिसे स्वीकार नहीं किया गया है। इस शर्त को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में पार्टी द्वारा अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए कुछ समय माँगा गया है। श्री शर्मा जी ने इस सम्बन्ध में पार्टी से किए जाने वाले MoU हेतु अनुबंध का प्रारूप भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस MoU के प्रारूप पर सघन चर्चा की गई। प्रमुख महासचिव, श्री रमा कान्त पाण्डेय, महासचिव प्रशासन, श्री राजेन्द्र कुमार चुघ, महासचिव एडवोकेसी, श्री सतपाल सिंह ने प्रमुख रूप से चर्चा में अपने-अपने विचार रखे। सदस्य श्री मुकेश सरन द्वारा पूर्व में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त विचार से भी सभा को, उनकी व्यावसायिक विशेषज्ञता को भावना के हित में मार्ग-दर्शन हेतु सुझाव देने पर आभार सहित, अवगत कराया गया। श्री शर्मा जी द्वारा प्राप्त सभी सुझावों का अध्ययन कर उन्हें MoU में समावेश करने का आश्वासन दिया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी स्तर पर YEIDA से प्राप्त भूमि को किसी भी दशा में स्थानान्तरित किए जाने हेतु सम्प्रति विचार नहीं किया जाना है।

श्री शर्मा जी ने तत्काल में पार्टियों से MoU करने हेतु अध्यक्ष, NCR भावना के पक्ष में 'जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी' दिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

बैठक में सभी सदस्यों द्वारा YEIDA में भावना के ओल्ड एज होम के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार शर्मा जी के

समर्पित भाव एवं इस सम्बंध में योगदान की करतल ध्वनि के माध्यम से प्रशंसा की गई।

भावना के संस्थापक एवं संरक्षक सदस्य श्री विनोद कुमार शुक्ला जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार शर्मा जी को पहले ही भावना द्वारा पूर्ण अधिकृत किया जा चुका है। उनके अनुसार किसी अन्य प्राधिकार दिए जाने की आवश्यकता ही नहीं है।

बैठक में दिनांक 19.4.2019 को भावना द्वारा जारी **Resolution** को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार श्री अनिल कुमार शर्मा जी को पार्टी/इंस्टीट्यूसनल सदस्य आदि के माध्यम से **भावना** द्वारा भवन निर्माण से सम्बन्धित निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बैठक में पत्र संख्या **Bhavana/010/A/589**, दिनांक 23.4.2017 द्वारा जारी **Notification** को भी प्रस्तुत किया गया। इस **Notification** के प्रस्तर संख्या 9 में **भावना** ओल्ड एज होम प्रकोष्ठ के प्रबंधन के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है।

उक्त पूर्व **Resolution** और **Notification** के परिप्रेक्ष्य में श्री शर्मा जी को 'जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी' देने के प्रस्ताव को सम्प्रति स्वीकार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सर्वसम्मति बैठक में निम्न **Resolution** पारित किया गया:

Resolution

Resolved to authorize Sri Anil Kumar Sharma President NCR branch Bhartiya Varishth Nagrik Samiti to do all acts and deeds on behalf of Bhartiya Varishth Nagrik Samiti P-4/403, Chandra Panorama, Sushant Golf City, Lucknow 226 030 and enter into agreement, MoU/ Construction contracts in respect of Bhavana Old Age Home to be constructed on plot no OAH- 01, Pocket J Sector-18, YEIDA with any party in any manner as may be approved Management Committee duly constituted in Notification issued vide letter by no. Bhavana/010/A/589, dated 23.4.1017. **It is reiterated that the plot shall not be transferred to any party at any time without prior approval of the Central Executive Body of Bhavana.**

अध्यक्ष महोदय द्वारा **YEIDA** के साथ अनुबंधित पट्टा के प्रतिबंधात्मक प्रस्तरों के अनुपालन सहित निर्माण हेतु अनुमोदित डिजाइन के आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार **भावना ओल्ड एज होम** का निर्माण निर्धारित समय सीमा में कराने हेतु कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का बैठक में भाग लेने एवं सुझाव देने के लिए धन्यवाद दिया गया। सूक्ष्म जलपान के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का समापन घोषित किया गया।



राजेन्द्र कुमार चुघ
महासचिव (प्रशासन), भावना

The Maintenance and Welfare of Parents & Senior Citizens Act (2007)

- 1- The Act stipulates that states form tribunals to decide upon the order for maintenance (this includes the provision of proper food, shelter, clothing and medical treatment State Govts, have the powers to make the rules to carry out the objectives of the Act which shall be put before the concerned state legislature for adoption.
- 2- The Act not just provides for the maintenance of the elderly, but also for better medical facilities, protection of life and property as well as old age homes in every district.
- 3- A maintenance application can be filed by parents and senior citizens (above 60) unable to maintain themselves, against children (not minor) or relatives (who would inherit and are in possession of the property of the elderly). This application can be filed by the senior citizen or parent or by any other person or organisation authorised by him/her, if he or she is incapable of doing so, either in the district where the elderly resides, or where the children or relatives reside.
- 4- Notices would be sent and the proceedings should conclude within 90 days from the date of service of the maintenance application on the children or relatives. The case would be referred for conciliation, if appropriate, before hearing. The findings of the conciliation officer (who can be the maintenance officer, NGO representative or anyone on behalf of the elderly), should be submitted to the tribunal within a month. If an amicable settlement has been reached, the tribunal shall pass an order according to such settlement. If, children or relatives who are ordered by the tribunal to pay maintenance to the elderly fail to comply, they are liable to a fine or imprisonment.
- 5- Abandonment of the elderly is now a cognisable offence. Anyone responsible for looking after or protecting the senior citizen, who leaves him/her in any place with the intention of wholly abandoning him or her, shall be punished and fined.
- 6- The role of NGOs has also been legislated under the Act e.g. for filing maintenance applications on behalf of the elderly, if he/she is unable to do so himself/herself, for reconciliation and representation of his/her case or if unable to do so and authorises someone else to represent and facilitate



उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों हेतु

“उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का

भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014”

“उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण

तथा कल्याण नियमावली-2014 के मुख्य बिन्दु

60 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे वृद्ध / वृद्धा (वरिष्ठ नागरिक) जो स्वयं अर्जन से या अपने स्वामित्वाधीन हात्ति में से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने एक या अधिक वयस्क बालकों के विरुद्ध या सतान होने की दशा में अपने ऐसे नातेदार जो वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति के कब्जेदार हैं या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को विरासत के कब्जेदार हैं या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा, के विरुद्ध अपने सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए भरण पोषण हेतु आवेदन करने का हकदार होगा।

जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी पदेन “भरण-पोषण अधिकारी” होंगे।

शासन द्वारा भरण-पोषण अधिकारी से भिन्न निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले व्यक्ति को तीन वर्षों के लिए “सुलह अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

अधिनियम की धारा-5 के अधीन भरण-पोषण आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चय करने हेतु प्रत्येक राजस्व जिले की प्रत्येक तहसील में “भरण-पोषण अधिकरण का ठन किया गया है तथा सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारी (सब डिवीजन आफिसर / मजिस्ट्रेट) अधिकरण के अध्यक्ष हैं।

वरिष्ठ नागरिक द्वारा बिन्दु-1 में उल्लिखित स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर भरण-पोषण हेतु आवेदन-पत्र पूर्ण कर स्वयं या उसके अशक्त होने पर प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा तहसील अधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा या अधिकरण स्वप्रेरणा संज्ञान ले सकेगा।

भरण-पोषण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर तहसील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक विवरण भरण-पोषण दावा प्रकरण के रजिस्टर में दर्ज कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदक / प्राधिकृत व्यक्ति / संगठन को पावती दी जायेगी।

जहां अधिकरण भरण-पोषण दावे का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेता है, वहां पीठासीन अधिकारी तथ्यों को सुनिश्चित करने के उपरान्त अधिकरण के कर्मचारी बृन्द के माध्यम से यथार्थ रूप में यथासम्भव निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण करायेगा तथा यथा सम्भव सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिक / प्राधिकृत व्यक्ति / संगठन से अधिप्रमाणित कराते हुए रजिस्ट्रीकृत करवायेगा।

आवेदन-पत्र प्राप्ति के उपरान्त युक्तियुक्त ढंग से कमियों के निराकरण के उपरान्त अधिकरण नोटिस द्वारा विरोधी पक्षकार से नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा लिखित रूप से कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि भरण-पोषण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र क्यों न स्वीकृत कर दिया जाए। विरोधी पक्षकार को यह भी सूचित किया जायेगा कि उत्तर देने में विफल रहने की दशा में अधिकरण एकपक्षीय कार्यवाही करेगा। नोटिस की सूचना आवेदक को भी दी जायेगी। सूचना तामील करने के प्रयोजनार्थ “सिविल प्रक्रिया संहिता 1908” के सुसंगत उपबन्ध तथा परिवर्तित उप नियम लागू होंगे।

विरोधी पक्षकार से सूचना के उत्तर में कारण बताने में विफल रहने पर अधिकरण आवेदक से साक्ष्य लेकर तथा यथावश्यक जांच से आख्या प्राप्त कर सम्बन्धित प्रकरण में यथोचित एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आवेदन का

निपटारा करते हुए आदेश पारित करेगा। विरोधी पक्षकार के उपस्थित होने तथा आवेदक के भरण-पोषण करने हेतु दा करते हुए आदेश और दोनों पक्षों में आपसी समझौता होने की दशा में अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा।

नियत-तिथि पर यदि विरोधी पक्षकार उपस्थित होता है एवं भरण-पोषण दावे के विरुद्ध कारण दर्शाता है तो अधिकरण दोनों पक्षों से मामला सुलह अधिकारी के पास ले जाने की सहमति व्यक्त करने पर उसे सुलह अधिकारी नियुक्त करते हुए पत्र के माध्यम से प्रकरण निर्दिष्ट करेगा तथा सुलह अधिकारी से अनुरोध करेगा कि वह ऐसी सुलह के लिए निर्देश प्राप्ति की तिथि के एक माह के अन्दर दोनों पक्षों को मान्य समझौते का प्रयास करें।

अधिकरण से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त सुलह अधिकारी आवश्यकतानुसार दोनों पक्षों के साथ बैठक करते हुए निर्दिष्ट अवधि एक माह के अन्दर दोनों पक्षों को मान्य समझौता होने की स्थिति में समझौते का ज्ञापन तैयार करते हुए दोनों पक्षों का हस्ताक्षर लेगा तथा उसे अपने प्रतिवेदन के साथ प्रकरण में प्राप्त समस्त अभिलेखों सहित अधिकरण को वापस भेज देगा।

अधिकरण से प्रकरण प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि एक माह के अन्दर यदि सुलह अधिकारी दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौता कराने में असमर्थ रहता है तो समझौते के बारे में किये गये प्रयासों एवं दोनों पक्षों के बीच मतभेद के बिन्दुओं को दर्शाते हुए समस्त अभिलेखों / प्रपत्रों सहित रिपोर्ट अधिकरण को वापस भेज देगा।

सुलह अधिकारी से समझौते के ज्ञापन के साथ रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिकरण द्वारा दोनों को अपने समक्ष समझौते की पुष्टि हेतु सूचित किया जायेगा तथा दोनों पक्षकारों के निर्दिष्ट तिथि को उपस्थित होने और समझौते की उपस्थित होकर सुलह अधिकारी के समक्ष हुए अधिकरण अन्तिम आदेश पारित करेगा। पुष्टि किये जाने की दशा में हुए करार के अनुसार

सुलह अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को स्वीकार्य समझौता किये जाने में असमर्थता व्यक्त करने / नियत एक माह की सीमा के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त न होने / सुलह अधिकारी के समक्ष किये गये समझौते की पुष्टि एक या दोनों पक्षकारों द्वारा किये जाने से मना करने की स्थिति में अधिकरण दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा तथा संक्षिप्त जांच के उपरान्त यथोचित आदेश पारित करेगा।

आवेदक को भरण-पोषण के लिए भुगतान हेतु विरोधी पक्षकार को निर्देशित करते हुए आदेश पारित करते समय अधिकरण द्वारा आवेदक की मूलभूत आवश्यकताओं-विशेषकर भोजन, वस्त्र आवास तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि का ध्यान रखा जायेगा। साथ ही विरोधी पक्षकार की आय तथा विरासत / कब्जे में होगी, के मूल्य तथा सम्पत्ति से वास्तविक एवं सम्भावित आय को भी ध्यान में रखा जायेगा। पारित आदेश की एक-एक प्रति आवेदक/आवेदकों एवं विरोधी पक्षकार / उनके प्रतिनिधियों को समुचित माध्यम से प्रदान की जायेगी। अधिकरण द्वारा अधिकतम भरण-पोषण भत्ता ₹10,000/- प्रतिमाह के अध्यधीन रहते हुए विरोधी पक्षकार को भुगतान करने का इस रीति से आदेश किया जायेगा कि यह धनराशि विरोधी पक्षकार की सभी स्रोतों से मासिक आय से अधिक न हो।

भरण-पोषण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के दौरान वृद्धजन के वारिस के द्वारा वृद्धजन को अपने साथ न रखे जाने का मामला संज्ञान में आने पर ऐसे वृद्धजनों को सुनवाई के दौरान वृद्धाश्रम में रखने की अनुमति दी जायेगी।

ऐसे वृद्धजन जिनके प्रकरण में भरण-पोषण अधिकरण द्वारा वारिसों से धनराशि देने का आदेश कर दिया गया है तथा उसके परिजन उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते, उन्हें भी स्वयं के खर्च पर वृद्धाश्रम में निवास करने की अनुमति दी जायेगी।

प्रत्येक वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के रहने की अधिकतम क्षमता 150 होगी तथा उपलब्ध स्थानों से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने की स्थिति में अधिक निर्धन तथा जरूरतमन्द आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

अन्य बातें सामान्य होने की स्थिति में अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता दी जायेगी। महिला आवेदकों

को भी पुरुष आवेदकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी।

निरक्षर या अत्यधिक वरिष्ठ नागरिकों को बिना औपचारिक अनुमोदन के जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त वृद्धाश्रमों में प्रवेश में मामलों में धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

पुरुष तथा महिला अन्तःवासियों के प्रकरण पुरुष एवं महिला अन्तःवासियों के रक्त सम्बन्धी या अनुमति दी जायेगी। में आश्रम में ठहरने की अलग-अलग व्यवस्था होगी, किन्तु विवाहित युगल होने पर नियमानुसार एक साथ रहने की

वृद्धाश्रमों के प्रशासन, प्रबन्धन तथा संचालन की स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समिति का गठन किया गया है, जिसमें जनपद स्तरीय सम्बन्धित अधिकारियों के साथ-साथ स्वयं सेवी संगठनों, महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियमावली के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के अकेले वरिष्ठ नागरिकों की सूची अद्यतन करने, नियमित अंतराल पर उनके घर कम से कम माह में एक बार जाकर सहायता का अनुरोध करने पर सहायता उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों की सम्पत्ति आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गयी है।

भरण-पोषण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सुनवाई करने हेतु प्रत्येक राजस्व जिला में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में "अपील अधिकरण" का गठन किया गया है। जिसमें सम्बन्धित प्रकरण में कोई अपील अधिकरण के अपेक्षित आदेश की प्रति के साथ आवेदन दाखिल किया जायेगा।

अपील प्राप्त होने पर 'अपील अधिकरण' सम्बन्धित पंजिका में प्रकरण का पंजीकृत करने के उपरान्त अपील के क्रमांक तथा सुनवाई की अगली तारीख नियत करते हुए अपील की स्वीकृति देगा तथा प्रत्येकी को अपनी मोहर व हस्ताक्षर के साथ नोटिस तामील करायेगा।

ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं अथवा निर्धन एवं निराश्रित हैं तथा आश्रम में रहने के इच्छुक हैं, उनके लिए नियमावली की व्यवस्थानुसार प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में तीन चरणों में पीपीपी माडल पर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 'वृद्धाश्रम संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। इन वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, बिस्तर, फर्नीचर, चिकित्सा आदि सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

वृद्धाश्रम में प्रवेश हेतु वरिष्ठ नागरिकों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र सम्बन्धित वृद्धाश्रम, जिला समाज, कल्याण अधिकारी कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय या उप जिलाधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा।

ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो रेलवे स्टेशनों, आदि से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी के सम्पर्क में आते हैं तथा जिनके पास जिलाधिकारी की स्वीकृति से जिला समाज कल्याण अधिकारी / संस्था में रहने खाने की व्यवस्था नहीं है. वृद्धाश्रम में रहने की अनुमति दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सहायता एवं समस्या निराकरण हेतु निम्नांकित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :-

जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मण्डलीय उप निदेशक समाज कल्याण / जिला समाज कल्याण अधिकारी, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3 प्राग नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ।

प्रेषक,

सुनील कुमार

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०

2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०

समाज कल्याण अनुभाग-2

संख्या-8 / 2016 / 127 / 26-2-2016

लखनऊ: दि० 21 मार्च, 2016

विषय-उ०प्र० राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के संबंध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं अलग-अलग हैं, यथा स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता एवं गिरते स्वास्थ्य के कारण दैनिक कार्यों के साथ साथ जीवकोपार्जन की समस्या, परिवार के अन्य सदस्यों के रोजगार हेतु बाहर चले जाने पर उनके स्वयं की देखभाल करने की समस्या, अधिक आयु एवं शारीरिक असमर्थता के कारण स्वयं की देखभाल न कर पाने की स्थिति में किसी अन्य के सहायक न होने की समस्या, अधिक उम्र के कारण सक्रियता एवं गतिशीलता कम होने से एकाकीपन की समस्या इत्यादि। वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुरक्षा उपायों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से शान्तिपूर्वक सुरक्षित एवं सम्मान जनक ढंग से जीवन-यापन का अवसर देने के उद्देश्य से प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों हेतु मा० मंत्रिपरिषद् के आदेश अशासकीय पत्र संख्या -4 / 2 / 3 / 2016-सी० एक्स० (1), दिनांक 14 मार्च, 2016 के क्रम में “उ.प्र. राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति” निम्नवत् बनायी जाती है-

1. उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति के उद्देश्य निम्नवत् होंगे -

- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा की उचित एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य (Physical and Mental Health) के देखभाल की उचित एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा, आवासीय सुविधा, उनके कल्याण तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यथाआवश्यक सहयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- दुर्व्यवहार एवं शोषण से उनकी रक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय सृजनात्मक, उत्पादक एवं संतोषप्रद जीवन जीने हेतु उचित अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घकालीन अनुभवों को समाज के उत्थान हेतु उपयोग में लाने की सुढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे कार्यक्रम क्रियान्वित करना, जिससे उन्हें शहरी क्षेत्रों

के वरिष्ठ नागरिकों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

- प्रदेश में आयु समन्वित समाज की अवधारणा की मूर्त रूप प्रदान करना।
 - नीति के अनुरूप बनाये जाने वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समुचित बजट
2. उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु विभिन्न क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य किये जायेंगे।

2.1 आवास/वृद्धाश्रम

2.1.1 शासनादेश संख्या-4982-आ-1-99-79 बैठक ६९९, दिनांक 17.12.1999 में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित एवं आवासीय / व्यावसायिक भवनों / भूखण्डों के आबंटन में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। उक्त शासनादेश में समाज के वृद्धजनों को 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जो अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरणस्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है, तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण 10 प्रतिशत वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हारिजेन्टल होगा।

2.1.2 विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन योजनाओं के मास्टर प्लान में एक ही परिसर में वृद्धाश्रम व अनाथालय के निर्माण व संचालन हेतु भूमि आरक्षित की जायेगी।

2.1.3. स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा एक ही परिसर में वृद्धाश्रम एवं अनाथालय के निर्माण एवं संचालन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

2.1.4. विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में भी आवश्यकतानुसार वृद्धाश्रम व अनाथालय के संचालन हेतु सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के अंतर्गत भवन निर्माण कर प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं को संचालनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे वृद्धाश्रमों में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें वी.पी.एल. श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों हेतु आरक्षित की जायेगी एवं इन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा एवं भोजन उपलब्ध करायी जायेगी।

2.1.5. नगर / निगम नगर पालिका/नगर पंचायत भी वृद्धाश्रम व अनाथालय के संचालन हेतु भवन निर्माण कर प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं को संचालनार्थ उपलब्ध करायेंगे। ऐसे वृद्धाश्रमों में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें वी.पी.एल. श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों हेतु आरक्षित की जायेगी एवं इन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा एवं भोजन उपलब्ध करायी जायेगी।

2.1.6. राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण नियमावली, 2014 के अंतर्गत स्थापित वृद्धाश्रमों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु नियमानुसार चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा। ऐसे वृद्धाश्रमों में अशक्त एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों को आवासीय एवं भोजन आदि की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

2.1.7. प्रदेश में संचालित सभी प्रकार के वृद्धाश्रमों के लिए यह आवश्यक होगा कि उनकी संबद्धता निकटतम सरकारी अथवा निजी अस्पताल से हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर वृद्धाश्रमों के अंतः वासियों को आपातकालीन

चिकित्सीय सुविधा 24×7 उपलब्ध हो सके।

2.1.8. प्रदेश में वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश वृद्धाश्रम नियामक इकाई के द्वारा निर्गत की जायेगी।

2.1.9. राज्य सरकार सार्वजनिक भवनों के निर्माण हेतु नक्शों की स्वीकृति देने में ऐसे मानकों को सम्मिलित करेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों में गिरने का भय कम हो तथा वे अपने को सुरक्षित महसूस करें।

2.1.10. वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित एवं आरामदायक जीवन-यापन हेतु जो आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में नगर नियोजकों, वास्तुविदों, अभियंताओं व भवन निर्माण प्रशासकों को समुचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2.1.11. वरिष्ठ नागरिकों को आवास-क्रय एवं बृहद् मरम्मत हेतु सहजतापूर्वक कम दर पर ऋण प्रदान करने तथा किश्तें अदा करने की व्यवस्था की जायेगी।

2.1.12. युवावस्था से ही रोजगार में लगे व्यक्तियों को आवासीय योजनाओं में निवेश हेतु प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे वृद्धावस्था में आवास अथवा आश्रय की समस्या से दूर रहें।

2.2. स्वास्थ्य

2.2.1. “वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जायेगी।

(क) उपकेन्द्र स्तर पर-

- 1) उपकेन्द्र स्तर पर स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं उनके परिवारजनों के लिए वरिष्ठ नागरिकों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी देना।
- 2) उपकेन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए घर का भ्रमण एवं शारीरिक रूप से अशक्त वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करना।
- 3) उपकेन्द्र स्तर पर गांवों में कैम्प एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से जनमानस को वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य उत्थान, रोकथाम एवं उपचार सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में जागरूक करना।

(ख) प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्तर पर -

- 1) शारीरिक रूप से अशक्त वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से कैलीपर्स उपलब्ध कराना।
- 2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भी प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं शनिवार को अपराह्न 1:00 बजे से 2:00 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओ.पी.डी. संचालित करना।
- 3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वरिष्ठ नागरिकों का नियमित रूप से आँख, रक्तचाप, रक्त शर्करा से सम्बन्धित चिकित्सकीय परीक्षण कराना।

(ग) सामुदायिक केन्द्र स्तर पर -

- 1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा फिजियोथेरेपी एवं परामर्श प्रदान करना।
- 2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं शनिवार को अपराह्न 1 बजे से 2 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओपीडी संचालित करना।
- 3) गंभीर मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला चिकित्सालय एवं उच्च चिकित्सा केन्द्रों पर भेजना।

(घ) जिला स्तर पर -

- 1) जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोगी सेवा केन्द्र का संचालन।
- 2) जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ नागरिकों हेतु 10 शैय्या वाले वार्ड तथा मानव संसाधन द्वारा अन्तःरोग की सुविधा प्रदान करना।
- 3) शिक्षा चिकित्सालय पर उपलब्ध मेडिसिन, हड्डी रोग, ई0एन0टी0 सर्जन तथा मनोचिकित्सा के क्षेत्रों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना
- 4) जिला चिकित्सालय पर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सीय, परचिकित्सीय सेवा एवं परिवार में देखभाल करने हेतु व्यक्तियों की क्षमता का विकास करने हेतु परिवार के सदस्यों का 2 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उक्त प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शुल्क निर्धारित कर रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा करना।

(इ) मण्डल स्तर पर-1

- 1) मण्डलीय चिकित्सालयों में यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा संचालित लैबों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधा प्रदान करना।
- 2) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण करते हुये वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं उपचार हेतु उनके परिवारजनों को आवश्यक जानकारी, सूचना एवं सुविधाएं देने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।
- 3) भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल हेतु प्रशिक्षित नर्स / फिजियोथेरेपिस्ट आदि की सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को पंजीकृत कर स्वास्थ्य विभाग इन संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का भी निर्धारण किये जाने की व्यवस्था करना।

22.2 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सेन्टर फार एडवान्स रिसर्च इन एजिंग एण्ड जिरियाट्रिक मेन्टल हेल्थ की स्थापना की जा चुकी है।

2.2.3 नर्स व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अपने पाठ्यक्रम में “जिरियाट्रिक स्वास्थ्य सुरक्षा व देखभाल” विषय को सम्मिलित करने की कार्यवाही उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

2.2.4 वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की महती आवश्यकता है। इस हेतु वृद्धावस्था के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक स्वास्थ्य की देख-भाल हेतु स्टाफ को वांछित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सम्बन्धी व्ययभार समाज कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

2.2.5 चिकित्सा महाविद्यालयों को जिरियाट्रिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता देने के कार्यक्रम चलाने को निर्देशित किया जायेगा।

2.2.6 “स्वस्थ वृद्धावस्था” के सिद्धान्त को प्रोत्साहन दिया जाएगा। “निरोगी काया” सबसे बड़ा सुख माना गया है इसके लिए ‘करो योग, रहो निरोग’ का नारा देकर जगह-जगह वृद्धजनों के लिए योग शिविर लगाये जायेंगे तथा इन शिविरों में घरेलू उपचार स्थानीय जड़ी-बूटियों का प्रयोग एवं एक्यूप्रेसर का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

22.7 के.जी.एम.यू. एस.जी.पी.जी.आई. आदि संस्थानों में वृद्धावस्था की असाध्य बीमारियों डिमेन्सिया एवं अलजाइमर के लिए शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.3 आर्थिक सुरक्षा

वरिष्ठ नागरिकों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सुरक्षा एक अलांत संवेदनशील एवं अपरिहार्य कारक है। वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में एक न्यूनतम स्तर तक आय अर्जित होते रहने को उच्च वरीयता देते हुए लक्ष्य बनाना होगा तथा इसके लिए निम्नवत ठोस कदम उठाने होंगे-

2.3.1 राज्य सरकार द्वारा अशक्त एवं आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। पेंशन योग्य पात्र वरिष्ठ नागरिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा पेंशन राशि का वितरण निश्चित समय पर कराना सुनिश्चित किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि में राज्य सरकार द्वारा राज्यांश में ₹0 100/- प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि ₹0 400/- प्रतिमाह दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से की जाएगी।

2.3.2 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना में मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन रहते हुए वरिष्ठ नागरिकों से उनकी मांग के आधार पर कम श्रमपरक कार्य यथा-कार्य स्थल पर पानी पिलाने का कार्य वृक्षारोपण का कार्य, गड़ढ़ों का भरना, वृक्षारोपण में पानी डालना, ककड़ डालना, भूमि को समतल करना, नव-निर्मित दीवारों पर पानी छिड़कना, कार्य स्थल पर बच्चों की देख-भाल करने में मदद करना आदि कार्य कराये जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु परिवार के अन्द सदस्यों को भी ग्राम में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

2.3.3 सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, प्रावधानी निधि, ग्रेच्युटी, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब होने पर उत्तरदायी व्यक्ति/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.3.4 लम्बी अवधि की बचत योजनाओं, बीमा कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाओं को सरकार प्रदान कर इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो व्यक्ति पेंशन योजनाओं की परिधि में नहीं आते, वरिष्ठ नागरिक होने पर उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

2.3.5 सेवाकाल के दौरान ही वृद्धावस्था के लिए बचत करने की आदत को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय साक्षरता वित्तीय शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को विकसित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.3.6 अल्प आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को “वृद्ध स्वयं सहायता समूह” के माध्यम से अल्प बचत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ऐसे समूहों को जो नियमित होंगे तथा आपसी लेन-देन सफलतापूर्वक करेंगे, के सदस्यों को माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया जाएगा।

2.3.7 ऐसे वृद्ध जो सम्पन्न बच्चों के होते हुए भी उपेक्षित हैं एवं दीन-हीन अवस्था में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण कानून, 2007” के तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाया जाएगा।

2.3.8 “रिवर्स मार्टगेज” जैसी योजनाओं को विकसित किया जायगा, ताकि वरिष्ठजन आर्थिक संकटों से बच सकें।

23.9 सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा एवं ऐसे कार्यक्रमों को बलाने हेतु आवश्यक सहायता दी जाएगी। सरकारी / गैर सरकारी विभागों / प्रतिष्ठानों में सेवानिवृत्तिने है कार्यक्रम अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।

2.4. जीवन एवं सम्पत्ति सुरक्षा :

वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं सम्पत्ति का भय प्रायः तीन तरह के व्यक्तियों यथा स्वयं के परिवार से सेवाकारों से तथा अपराधीगण से होता है। सम्पत्ति की चाह में परिवारीगण से, अकेले रहने की दशा क घरेलू नौकरों से एवं सुनसान अकेले घरों में रहने के कारण घूमने वाले अपराधियों से वरिष्ठ नागरिक आसानी से शिकार हो जाते हैं। अतः समाज के उक्त श्रेणी के लोगों से वरिष्ठ नागरिक एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है। सड़क दुर्घटना भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए घातक है तथा इससे भी वृद्धजनों की सुरक्षा की जानी आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु निम्नवत् कदम उठाए जाएंगे

2.4.1. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन सम्पत्ति के सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को उत्तरदायी बनाते हुए धानावार एवं बीटवार एकांकी रह रहे एवं विभिन्न कारणों से प्रताडित वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की व्यवस्था की जायेगी। थानावार वरिष्ठ नागरिकों की सूची और उनके टेलीफोन नम्बर उपलब्ध रहेंगे तथा बीट कान्सटेबिल व्यक्तिगत रूप से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के घर निश्चित अंतराल पर जाकर उनसे सम्पर्क करेंगे। रात्रिगश्त में भी वरिष्ठ नागरिकों के घरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

2.4.2 वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के लिए “Women Power Line” भांति “वरिष्ठ नागरिकों हेतु हेल्पलाइन” (Helo Line For Senior Citizen) की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी।

2.4.3. बड़े नगरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा संगठनों के माध्यम से मोहल्ला एवं कालोनीवार वरिष्ठ नागरिकों का विवरण रखने, समय-समय पर उनकी मीटिंग करने एवं आवश्यक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

2.4.4. प्रदेश के गांवों, कस्बों एवं नगरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि के क्षेत्रवार वरिष्ठ नागरिक समितियों का गठन करके जिला, मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर अपने को जोड़े और उनकी समस्याओं का इन समितियों व महासमितियों के माध्यम से निराकरण कराया जायेगा।

2.4.5 लेखपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी को भी ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु आदेशित किया जायेगा।

2.5 जागरूकता एवं शिक्षा

2.5.1 बच्चों एवं युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं से परिचित कराया जाएगा तथा उन्हें अपने दादा-दादी, नाना-नानी अथवा अभिभावक एवं समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील किया जाएगा। इस विषय में शैक्षिक पाठ्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के प्रति जागरूक करना तथा

भावना के शीतकालीन सहायता शिविर 2024-25



भावना की प्रबंधकारिणी की बैठक दिनांक 30.11.24



भावना का संरक्षक मण्डल



पद्मभूषण श्री विजय कृष्ण शुंगलू
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (निवर्तमान)



श्री अजय प्रकाश वर्मा
आई.ए.एस. (से.नि.),
पूर्व मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार



पदमश्री प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा
पूर्व उप कुलपति
इन्दौर, लखनऊ एवं भोपाल विश्वविद्यालय



न्यायमूर्ति श्री घनश्याम दास अग्रवाल
पूर्व अध्यक्ष, नेशनल इन्स्टिट्यूटल ट्रिब्यूनल, मुम्बई,
न्यायाधीश(से.नि.), इलाहाबाद उच्च न्यायालय



न्यायमूर्ति श्री कमलेश्वर नाथ
न्यायाधीश (से.नि.), इलाहाबाद उच्च न्यायालय



न्यायमूर्ति श्री करण लाल शर्मा
न्यायाधीश (से.नि.),
इलाहाबाद उच्च न्यायालय



श्री हानेन्द्र कुमार खरे
अध्यक्ष (से.नि.), रेलवे बोर्ड, भारत



श्री ओम नारायण
निदेशक (से.नि.), कोषागार, उ.प्र.



न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी
न्यायाधीश (से.नि.),
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भावना का संरक्षक मण्डल



श्रीमती सुनन्दा प्रसाद
आई.ए.एस.(से.नि.), पूर्व अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ.प्र.



श्री अरुण कुमार वशिष्ठ
अध्यक्ष (से.नि.), उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद



श्री जय शंकर मिश्र
आई.ए.एस.(से.नि.)
पूर्व आयुक्त, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार



श्री अशोक कुमार पाण्डेय
ब्रिगेडियर(से.नि.), भारतीय सेना



श्री भानु प्रताप सिंह
पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०



श्री विनोद कुमार शुक्ल
संस्थापक सदस्य, भावना
मुख्य महाप्रबन्धक (से.नि.)
उ.प्र. पावर कोर्पोरेशन लि.



श्री सुशील शंकर सक्सेना
संस्थापक सदस्य, भावना
अध्यक्ष अभियन्ता(से.नि.), सिंचाई विभाग, उ.प्र.



श्री कृष्ण देव कालिया
संस्थापक सदस्य, भावना
अधिकांसी अभियन्ता(से.नि.)



श्री हरिवंश कुमार तिवारी
संस्थापक सदस्य, भावना
मुख्य अभियन्ता(से.नि.), लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.

भावना हैप्पी होम फॉर एल्डर्स

का भूमि पूजन तथा शिलान्यास की झलकियाँ



अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र पर गणतन्त्रदिवस 26 जनवरी 2025 की झलकियाँ



उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न करने सम्बन्धी मूल्यपरक शिक्षा को शामिल किया जाएगा।

2.5.2 वृद्धावस्था से सम्बन्धित जानकारी व शिक्षा हेतु पठन सामग्री तैयार की जायेगी और व्यापक रूप से वितरित की जायेगी साथ ही इसकी जानकारी दूरसंचार एवं अन्य माध्यमों से भी प्रसारित की जायेगी।

2.5.3 निरक्षर वरिष्ठ नागरिकों को साक्षर बनाने के लिए वृद्धाश्रमों व डे-केयर सेन्टर में उचित व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता / कार्यकर्ता / स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से निरक्षर वरिष्ठ नागरिकों को साक्षर बनाने का कार्य किया जाएगा।

2.5.4 वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक किया जाएगा।

2.5.5 स्कूल कालेजों में प्रतिवर्ष दिनांक 1 अक्टूबर को “दादा-दादी एवं नाना-नानी दिवस” मनाया जाएगा, जिससे परिवार के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा तथा उनकी रुचि का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश समाज कल्याण विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को प्रसारित किये जायेंगे।

2.5.6 राज्य वरिष्ठ नागरिक में मीडिया की अहम भूमिका है। मीडिया के माध्यम से अर्न्तपीढ़ीय सम्बन्धों को मजबूत किया जाएगा।

2.6 मनोरंजन

2.6.1 वरिष्ठ नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली का नेतृत्व करने व उन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु मनोरंजन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रायः दिन के समय जब परिवारों के अधिकांश सदस्य अपने काम पर चले जाते हैं, उस समय वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजक कार्यों के माध्यम से नयी स्फूर्ति, शांति, शिक्षा, विकास, नई चेतना एवं विश्वास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। यह वार्ड या पंचायत स्तर पर विभिन्न रचनात्मक एवं रोचक गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन हेतु मनोरंजन केन्द्रों, बहुउद्देशीय नागरिक सेवा केन्द्रों डे केयर सेन्टर, बहुउद्देशीय मनोरंजन केन्द्रों एवं अल्पकालिक निवास केन्द्र का गठन स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2.6.2 वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केन्द्र निम्नवत होंगे जो सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं वरिष्ठ नागरिकों की समितियों और अन्य समितियों के सहयोग से स्थानीय निकायों / विकास प्राधिकरणों व औद्योगिक प्राधिकरणों / आवास विकास परिषद द्वारा स्थापित किये जायेंगे-

- पुस्तकालय एवं वाचनालय वरिष्ठ नागरिकों की रुचि के अनुसार पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएँ, टी. वी. व संगीत के अन्य उपकरणों की उपलब्धता।
- आउटडोर खेलों की सुविधा प्रदान करना।
- दैनिक योग व शारीरिक व्यायाम हेतु आवश्यक व्यवस्था।
- विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार वितरण की व्यवस्था।
- समय समय पर धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी, राष्ट्र समाज व व्यक्तित्व विकास संबंधी विषयों पर गोष्ठी व प्रवचन का आयोजन करना।
- केंद्र व राज्य सरकार द्वारा एवं अन्य संगठनों, उपक्रमों द्वारा घोषित विभिन्न अनुदान, पेंशन, लाभ, सुविधा,

सहूलियत राहत एवं समय-समय पर ऑन लाइन सुविधाओं का विवरण सूचीबद्ध तरीके से वरिष्ठ नागरिकों हेतु निर्दिष्ट केन्द्रों पर उपलब्ध कराना।

- वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा व एकता हेतु औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर पास-पड़ोस के वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से संगठित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना ताकि वे आपसी तालमेल में अपनी मनोरंजक, दैनिक गतिविधियों सामाजिक जागरूकता एवं आकस्मिक परिस्थितियों में आपत्त में एक-दूसरे का सहयोग कर सकें।
- समय-समय पर मनोरंजन के साथ-साथ सामान्य स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता, शिक्षा एवं सेवा कार्य हेतु प्रोत्साहन परामर्श (Counselling) की व्यवस्था करना।
- विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों, मेलो, प्रदर्शनी, पार्को आदि में भाग लेने हेतु वरिष्ठ नागरिकों को प्रवेश निःशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- वर्तमान संचार माध्यमों यथा वाट्सअप्प WhatsApp द्वारा एवं वरिष्ठ नागरिकों की वेबसाइट पोर्टल का प्रयोग कर देश-विदेश एवं सभी राज्यों में संचालित कार्यक्रमों एवं सुविधाओं से अद्यतन रखना ताकि वरिष्ठ नागरिक एक-दूसरे की जीवन शैली, जीवन स्तर, विभिन्न समस्याओं व उनके समाधान तथा मनोरंजन सम्बन्धी विषयों पर अनुकरण कर लाभान्वित हो सके।

2.6.3 वरिष्ठ नागरिकों को सार्वजनिक उद्यानों में प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट उपलब्ध करायी जाएगी।

2.7 वृद्ध महिलाओं हेतु विशेष प्राविधान

2.7.1 वरिष्ठ नागरिकों में विशेषकर वृद्ध महिलाओं को विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह सहायता उनके निवास स्थान पर ही उपलब्ध हो जाये ताकि उन्हें अनावश्यक आवागमन की परेशानी न उठानी पड़े।

2.7.2 विभिन्न आवासीय योजनाओं में आरक्षण के अन्तर्गत वरिष्ठ महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

2.8 वरिष्ठ नागरिक संगठनों से सहयोग

2.8.1 वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा एवं विकास कार्य में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, वरिष्ठ नागरिक महासमिति और उसके मार्गदर्शन में कार्यरत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिक समितियों एवं संगठनों का सहयोग लेकर वरिष्ठ नागरिकों की सेवा एवं मनोरंजन हेतु प्रोत्साहित किया जाना तथा विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु आवश्यकतानुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना।

2.9 वरिष्ठनागरिक कल्याण निधि

2.9.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य स्तर पर “वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि” (Welfare fund for Senior Citizen) की स्थापना की जायेगी। इस निधि में सरकार, निजी क्षेत्र की कम्पनियों, ट्रस्टों धर्मार्थ संस्थाओं व निजी व्यक्तियों से प्राप्त सहायता अथवा दान राशि जमा करायी जायेगी तथा ऐसी धनराशि को कर मुक्त किया जायेगा। निधि में प्राप्त धनराशि का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखकर किया जाएगा। निधि की स्थापना/शुरूआत राज्य सरकार के ₹0 5 करोड़ के योगदान से की जाएगी।

2.10 अन्य विविध कार्य

2.10.1 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं जन सुविधा से सम्बन्धित सभी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं व परिवादों को प्राथमिकता दें। कर इत्यादि के मामलों में वरिष्ठ नागरिकों के कार्य को त्वरित गति से निपटाया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ऐसे कार्यों के लिए परेशान नहीं किया जाए।

2.10.2 तहसील दिवस/थाना दिवस आदि में वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों / शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जायेगा एवं इसकी अलग से समीक्षा सम्बंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

2.10.3 सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सहयोगात्मक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण परिलक्षित हो, यथा-प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को परिचय पत्र जारी करना, यात्रा के सभी साधनों में रियायती दर पर यात्रा की सुविधा देना, समस्त सार्वजनिक वाहनों में उनके लिए सीट आरक्षित करना आदि कार्य किये जायेंगे।

2.10.4 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ जनों के लिए 2 सीटों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में किराये में छूट प्रदान करने संबंधी निर्देश यथासमय नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे तथा यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रदत्त छूट के वित्तीय व्ययभार की प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को की जाय।

2.10.5 सभी सरकारी कार्यालयों/भवनों के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों के सुगमतापूर्वक गमन हेतु रैम्प होना अनिवार्य होगा। पूर्व से निर्मित भवनों को पुनरावलोकन कर उसमें भी रैम्प की व्यवस्था की जायेगी। जिससे वरिष्ठ नागरिकों को वहां आने-जाने परेशानी का सामना न करना पड़े।

2.10.6 वरिष्ठ नागरिकों की देख-भाल हेतु सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे असहाय हो चुके वरिष्ठ नागरिकों की समुदाय द्वारा उचित देखभाल सुनिश्चित होगी।

2.10.7 राज्य की आपदा से निपटने की तैयारी की सामुदायिक स्तर की कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे न सिर्फ उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा अपितु आपदा की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बचाव एवं राहत कार्य में उसको प्राथमिकता पूर्वक सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो सकेगा।

2.10.8 वरिष्ठ नागरिकों द्वारा धोखाधड़ी व अन्यायपूर्ण लेन-देन आदि की प्राप्ति होने वाली शिकायत प्राथमिकता के आधार पर दर्ज करते हुए उनका स्वरित एवं प्रभावी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

2.10.9 वरिष्ठ नागरिकों की आम समस्याओं शारीरिक व्याधियों एवं उनके निवारण के लिए प्रचलित योजनाओं व कार्यक्रमों इत्यादि की जानकारी हेतु जनसम्पर्क एवं जन संचार के साधनों का भरपूर प्रयोग किया जायेगा।

2.10.10 सभी व्यक्तियों, परिवारों व समुदायों को वृद्ध होने की प्रक्रिया, उम्र के साथ बदलती हुयी जिम्मेदारियों व सम्बन्धों की जानकारी दी जायेगी।

2.10.11 पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम बनाये जायेंगे। युवा वर्ग को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में व पीढ़ीगत दूरी के प्रभाव से मुक्त रहने के बारे में संवेदनशील करने के प्रयास किये जायेंगे।

2.10.12 विधिक न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर वृद्धावस्था एवं वृद्ध लोगों के प्रति संवेदनशीलता सृजित करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

2.10.13 कार्पोरेट समूह की कम्पनियों को वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित योजनाओं हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.10.14 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देय सुविधायें गरीब वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

2.10.15 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के अन्तर्गत लघु व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को कमतर ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

2.10.16 वृद्धाश्रम के अंतःवासी के निधन हो जाने की दिशा में यदि परिजनों को सूचित करने के उपरांत भी 24 घंटे के अंदर कोई परिजन मृतक के अंतिम संस्कार हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो वृद्धाश्रम के संचालक नियमानुसार मृतक के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे।

3 वृद्धाश्रम नियामक इकाई

3.1 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संचालित सभी प्रकार के वृद्धाश्रमों से संबंधित नीति विषयक प्रकरणों के निर्धारण, अनुश्रवण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक वृद्धाश्रम नियामक इकाई (Old age Home Regulatory Unit) का गठन किया जायेगा।

3.2 वृद्धाश्रम नियामक रोकई की अध्यक्षता निदेशक, समाज कल्याण करेंगे तथा विभागीय संयुक्त निदेशक इसके सदस्य सचिवसंयोजक होंगे। इसके अतिरिक्त 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे जिनका चयन समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्य सचिव के अनुमोदन से किया जायेगा।

3.3 वृद्धाश्रम नियामक इकाई पर होने वाले व्यय की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के बजट में जायेगी।

4. क्रियान्वयन

वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण कराते हुए उनके हिताधिक को सुरक्षित करने हेतु उक्त नीति के सम्यक क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

4.1 प्रदेश में “उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक नीति” के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु उक्तानुसार संचालित कार्यक्रमों एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों क्रियाकलापों, सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव सदस्य होंगे। समिति सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त नीति के तहत निर्दिष्ट क्रियाकलापों के सम्बन्ध में तैयार किये गये कार्ड योजना, उसके कार्यान्वयन की प्रगति की तीन माह में समीक्षा करेगी। नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग होगा।

4.2 वरिष्ठ नागरिकों के हितों से सम्बन्धित उक्त नीति के सम्यक कार्यान्वयन हेतु निदेशालय समार कल्याण, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत “उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति प्रकोष्ठ” गठन किया जायेगा, जो उक्त नीति के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन के प्रगति सम्बन्ध में जनपदों से प्रगति आख्या प्राप्त कर शासन स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा समय-समय पर आने वाली समस्याओं एवं सुझावों से भी शासन स्तर की समिति को अवगत करायेगी ताकि तदनुसार शासन स्तर की समिति उक्त सुझाव पर वांछित कार्यवाही कर सके।

4.3 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को समुचित स्तर पर अध्ययन कर समस्या का निदान करने तथा तद्विषयक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में “जनपद स्तरीय वरिष्ठ नागरिक समिति” का गठन किया जायेगा, जिसमें निर्दिष्ट कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य होंगे। इस समिति में स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया जायेगा ताकि इससे सम्बन्धित समस्याओं व सुझाव वरिष्ठ नागरिक परिषद के समक्ष प्राप्त हो सके। वरिष्ठ नागरिक समिति में गैर सरकायें संस्थाधसंगठनों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी तथा यह संगठन समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में कार्य करेगा।

4.4 वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय काउन्सिल की संस्तुति के अनुसार प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य वरिष्ठ “नागरिक काउन्सिल” का गठन मा. मुख्यमंत्री उ.प्र. की अध्यक्षता में की जायेगी। राज्य काउन्सिल वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों, नीतियों एवं सुझाव आदि के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी। काउन्सिल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। इसमें निम्नवत् सदस्य होंगे:-

1. मा. मंत्री, समाज कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, गृह, आवास, नगर विकास, ग्राम्य विकास, औद्योगिक विकास, राजस्व, खाद्य एवं रसद
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन
3. राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति में उल्लिखित कार्यों से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव
4. शासन द्वारा नामित 3 मण्डलायुक्त तथा 5 जिलाधिकारी
5. वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कार्यों के स्वैच्छिक संगठनों के 5 प्रतिनिधि
6. मीडिया के 2 प्रतिनिधि
7. वरिष्ठ नागरिक संगठनों के 2 प्रतिनिधि

4.5 उत्तर प्रदेश, राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागों तथा गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम विकास, नगरीय विकास, परिवहन, औद्योगिक विकास, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण तथा समाज कल्याण विभाग का यह दायित्व होगा कि वह नीति में उल्लिखित कार्यक्रमों के सम्यक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं तकनीक विकसित कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभाग द्वारा उनसे सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों तथा उसके सापेक्ष वित्तीय प्राविधान से सम्बन्धित पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जायेगी। सम्बन्धित विभाग द्वारा वर्ष के अन्त में उसके सापेक्ष प्रगति रिपोर्ट कार्यक्रम हेतु नोडल विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

4.6 कार्यक्रम के सम्यक कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

- ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र विकास कार्यालयों, पंचायती राज संस्थाओं एवं ट्राइबल काउन्सिल / ग्राम सभाओं की अहम भूमिका होगी। खण्ड विकास अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित पेंशन, प्रपत्रों एवं शारीरिक रूप से वांछित उपस्थिति से सम्बन्धित मामलों में सहयोग हेतु विशेषकर महिलाओं के मामलों में सहयोग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्ति करेगा।
- शहरी क्षेत्र में संबंधित नगर निकाय के प्रशासक / अधिशासी अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों के उक्त कार्य में वांछित सहयोग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों ६ अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी स्पष्टतः
- निर्देशित करेंगे कि यह राज्य चरिष्ठ नागरिक नीति के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यक्रमों एवं सुविधाओं को प्राप्त करने में वरिष्ठ नागरिकों को अपेक्षित एवं ससमय सहयोग प्रदान करेंगे।
- ग्रामीण एवं ट्राइबल क्षेत्रों में ट्राइबल काउन्सिल या ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थाएँ नीति के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी।
- निर्दिष्ट कार्यों की प्रगति की शासन, निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश व जनपद स्तर पर गठित समिति की प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वरिष्ठ नागरिकों के हित में संचालित कार्यक्रम सुचारू रूप से क्रियान्वित होते रहे।
- नोडल विभाग द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में नीति के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा करेगा तथा तत्संबंध में अपना-अपना मंतव्य, प्रतिवेदन, सुझाव सरकार को प्रस्तुत करेगा ताकि तत्सम्बन्ध में तदनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।
- राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर नीति के मुख्य अंश सतत रूप से आम जन के संज्ञान में लाने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित जायेगी।
- वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं से जुड़े सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- राज्य वरिष्ठ नागरिक नीति के कियान्वयन में उदासीनतापूर्ण कार्यवाही करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

संस्कार

संस्कार शब्द का मूल अर्थ है, “शुद्धीकरण”। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं, किन्तु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभीष्ट गुणों को जन्म देना भी है।

संस्कार का अर्थ है संस्कृति या शिष्टाचार। इसे संस्कार या संस्कृति के रूप में भी उच्चारित किया जा सकता है जो दार्शनिक शब्द हैं।

जन्म लिए हुए हर व्यक्ति के लिए संस्कार बड़े आवश्यक हैं। उनका किसी भी उपासना पद्धति से कोई संबंध नहीं है। संस्कार करने के पीछे प्रमुख कारण है, हर व्यक्ति को प्रकृति के नियमों से परिचित कराना और जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज के सामाजिक नियमों से परिचित कराना।

मानव में जन्म से जो ज्ञान होता है, वह सुप्त रूप में होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में बाहर से दिखाई नहीं देता। अपने शरीर की सफाई का ज्ञान मानव में जन्म से नहीं होता। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही कूदने लगता है। शरीर की सफाई कैसे की जाए, उस बछड़े को सिखाना नहीं पड़ता। उसके शरीर की रचना ही ऐसी होती है कि मलमूत्र उसके शरीर पर नहीं गिरता। मानव शरीर में यह बात नहीं होती। यही कारण है कि बच्चे का शरीर साफ करना, उसे खाना खिलाना, कोई दूसरा करता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसे इन बातों का ज्ञान होता जाता है। इस प्रकार का जो ज्ञान दिया जाता है, उसे संस्कार कहते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है। मानव को सबसे पहले उसके शरीर से संबंधित ज्ञान देना पड़ता है। इसी प्रकार उसकी बुद्धि का परिचय भी कोई दूसरा ही उसे देता है। हर इंसान को जन्म से ही बुद्धि होती है, किंतु उसे उसका परिचय नहीं होता या ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान उसे अनुकरण से और मार्गदर्शन से ही प्राप्त होता है।

इन दोनों तरीकों से जैसे-जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे-वैसे मानव को प्राकृतिक तथा सामाजिक नियमों का परिचय होता जाता है। दोनों तरह के नियमों का परिचय सही तरीके से ना हो, तो व्यक्ति पशु ही रह जाएगा। यही कारण है कि इन बातों का ज्ञान होने के लिए संस्कारों की जरूरत होती है। यहां रामभक्त हनुमान का उदाहरण दिया जा सकता है। हनुमान प्रखर शक्तिशाली थे। किंतु अपनी इस शक्ति का ज्ञान उन्हें नहीं था। कोई दूसरा कहे, तभी उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होता था। इसलिए सागर लांघकर लंका जाने का काम उन्हें दिया गया, तब वे शंकित हो गए कवे यह काम कैसे कर सकेंगे। तभी जाम्बुवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का अनुभव दिलाया और कहा, ‘आप ही समुद्र लांघ सकते हैं। किसी और के बस की यह बात नहीं है।’ यही बात हर एक मानव में देखी जाती है। कोई दूसरा एहसास दिलाता है, तभी व्यक्ति अपनी शारीरिक या बौद्धिक क्षमता को पहचान पाता है।

ऐसा नहीं है कि यह ज्ञान मानव को नहीं होता, किंतु वह सुप्त रूप में होने के कारण बाहर से दिखाई नहीं देता। सुप्त रूप में होने वाले इस ज्ञान को प्रकट करने का काम संस्कार करते हैं। संस्कारों की आवश्यकता पर विचार करते समय हम जो अन्न सेवन करते हैं, उस अन्न का विचार किया जा सकता है। हम चावल, सब्जियां आदि चीजें पकाते हैं। इसे ही संस्कार करना कहते हैं। बिना पकाए, अन्न का सेवन करें तो उससे नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए उस पर पकाने का संस्कार करने की आवश्यकता होती है। उसे केवल पकाने से काम नहीं होता, वरन् उसमें जरूरत के अनुसार नमक, मिर्च, मसालें डालकर उसे स्वादिष्ट बनाने की भी आवश्यकता होती है। नमक-मिर्च सही मात्रा में मिलाया जाए, तो हम कहते हैं कि उस पर सही रूप में संस्कार हुए हैं। नमक-मिर्च की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना। इसे ही उचित या अनुचित संस्कार कहा जा सकता है।

यही बात मानव के लिए भी कही जा सकती है। चोरी करना अनुचित संस्कार है। जन्म लेते समय मानव को

चोरी करने की बुद्धि नहीं होती। चोरी करने की क्रिया कोई उसे सिखाता है। हो सकता है कि पूर्वजन्म के सुप्त संस्कारों का भी वह एक हिस्सा हो। बात चाहे कुछ भी हो, चोरी करना सामाजिक नियमों के खिलाफ है और इसलिए यह एक अनुचित संस्कार है। जिस पर संस्कार करने हो, वह मानव या चीज, योग्य होना जरूरी है। साथ ही संस्कार करने वाला भी योग्य होना जरूरी है। इंसान का स्वभाव अनुकरण करने का है। इसलिए संस्कार करनेवाले का ही अनुकरण किया जाता है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस पर संस्कार करने हैं, उसकी बुद्धि की क्षमता भी देखना जरूरी है। अन्न का ही फिर से उदाहरण लें, तो कहा जा सकता है कि जिनसे पदार्थ बनाना हैं, वे घटक द्रव्य ही अच्छे होने से काम नहीं चलेगा।

अच्छे संस्कारों का अर्थ है, दूसरों के प्रति सम्मान और आदर करना, नैतिकता और अच्छे मूल्यों का पालन करना, सहानुभूति और दया रखना, जिम्मेदारी और अनुशासन का पालन करना, और सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना। अच्छे संस्कारों वाले व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है।

- अच्छे संस्कारों से जुड़ी कुछ और बातें:
- अच्छे संस्कारों से आत्म-जागरूकता बढ़ती है।
- अच्छे संस्कारों से व्यक्ति को अपने मन, शरीर, और आत्मा से जुड़ने में मदद मिलती है।
- अच्छे संस्कारों से व्यक्ति को बाहरी कारकों के प्रभाव को समझने में मदद मिलती है।
- अच्छे संस्कारों से व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और वह मजबूत बनता है।
- अच्छे संस्कारों से व्यक्ति की पहचान बनती है और वह अपने परिवेश की भी पहचान बन जाता है।
- अच्छे संस्कारों से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका हौंसला बुलंद होता है।
- अच्छे संस्कारों से व्यक्ति व्यापक बनता है और सामाजिक परिवेश और दृष्टि को बदल सकता है।



संकलनकर्ता
पुरुषोत्तम केसवानी
सम्पादक, भावना सन्देश

कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो; चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो।
मन शान्त रखों, विचार करो, फिर निर्णय लो; आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है।
कष्ट केवल आपको होगा, दुख भी आप ही को होगा।
मन शान्त रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा।

वार्षिक स्वास्थ्य शिविर-2024

विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी **भावना** एवं **आस्था अस्पताल** के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन रविवार दिनांक 8 दिसम्बर 2024 को प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक विदिशा पार्क (सेक्टर-J), महानगर विस्तार में आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह जी द्वारा एवं श्री असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर शहर के कई लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर एवं गण मान्य नागरिक उपस्थित रहे। **भावना** की तरफ से **वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम लाल गुप्ता जी** मुख्य अतिथियों एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ मंच पर उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का आरम्भ विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए भावना गीत के गायन से हुआ।

श्री राम लाल गुप्ता जी ने इस कार्यक्रम में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के साथ-साथ **भावना** द्वारा समाज कल्याण के लिए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। श्री गुप्ता जी ने यह भी अवगत कराया कि इस वर्ष का आयोजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक वृहद स्तर पर किया गया है और सभी से अपील किया कि केवल पूर्व में निदान हुए बीमारियों के अतिरिक्त भी अन्य उपलब्ध जाँचों की सुविधा का लाभ उठायेँ जिससे शरीर के अन्दर अथवा मानसिक स्तर पर शुरू हो रहे विकारों का शुरुआती स्तर पर पता चलते ही उसका शमन कर स्वस्थ दीर्घ जीवन का लाभ उठा सकें। श्री गुप्ता जी ने सहयोग के लिए आस्था अस्पताल के प्रबंधन को धन्यवाद दिया एवं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की।

कार्यक्रम में **भावना** के संरक्षक एवं संस्थापक सदस्य श्री विनोद कुमार शुक्ला, उपाध्यक्ष श्री तुंग नाथ कनौजिया और श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ला, प्रमुख सचिव श्री रमा कान्त पाण्डेय, महासचिव प्रशासन श्री राजेन्द्र कुमार चुघ, महासचिव क्रियान्वयन श्री जगमोहन लाल जैसवाल, सम्प्रेक्षक श्री राकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री राम कृष्ण आनंद, महिला प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती नीना अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे। इस स्वास्थ्य शिविर में लगभग रुपये 6000.00 से अधिक मूल्य की निम्न जाँचें निःशुल्क उपलब्ध करायी गईं :

शुगर रैंडम और HbA1C, रक्तचाप (BP), फेफड़ों की कार्यक्षमता जाँच (PFT), लीवर की जाँच (फाइब्रोस्कैन), हृदय की विद्युत गतिविधि की जाँच (ईसीजी), तंत्रिका तंत्र की जाँच (न्यूरोपैथी), कोलेस्ट्रॉल और वसा की जाँच (लिपिड प्रोफाइल), थायरॉइड हार्मोन की जाँच (TSH), प्रोस्टेट की जाँच (PSA टेस्ट), शरीर के वसा, मांसपेशी और जल का विश्लेषण (बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस), आहार और पोषण परामर्श (आहार विशेषज्ञ), सुनने की क्षमता की जाँच (श्रवण तंत्र की जाँच), मूत्र संक्रमण की जाँच (UTI), इंसुलिन के उपयोग और जानकारी के लिए जागरूकता (इंसुलिन जागरूकता), हड्डियों की मजबूती की जाँच (हड्डी खनिज घनत्व – BMD), आँखों की जाँच (रेटिनोपैथी), लीवर की कार्यक्षमता की जाँच (LFT), खून में यूरिक एसिड की जाँच, स्मृति और मानसिक स्वास्थ्य की जाँच (डिमेंशिया मूल्यांकन), मानसिक स्वास्थ्य और सहायता परामर्श (काउंसलर)।

इन जाँचों के आधार पर डॉक्टर अभिषेक शुक्ला जी एवं डॉक्टर अमित शुक्ला जी सहित उपस्थित विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया गया। डॉक्टर के परामर्श से यथावश्यक अधिकतम 7 दिनों के लिए दवाएँ भी निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी। शिविर में एलोपैथी के अतिरिक्त होमिओपैथी, एक्युप्रेशर, एक्युपंकचर के डॉक्टर, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विशेषज्ञ वैद्य भी परामर्श हेतु उपलब्ध रहे।

शिविर में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा का लाभ भी अत्यन्त सराहनीय रहा। सफलता के मानदण्डों को स्थापित करते हुए शिविर में अभूतपूर्व रूप से 1500 से अधिक नागरिकों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लिया गया।



रमा कान्त पाण्डेय

प्रमुख महासचिव

भावना

Donations received from 21.9.24 to 21.12.24

S.N.	Name	Membership no	Shiksha sahayta	Nirdhan sahayta	Prasadam Sewa	Informal education	Others	Total
1	Smt. Sneha Lata	S-55/276	5100					5100
2	Sri Laxmi Dutt Upadhaya	L-7/600	6000	4000				10000
3	Sri Harish Nigam	Not Member			500			500
4	Sri Dhiraj Nigam	Not Member			500			500
5	Sri Devashish Nigam	Not Member			2100			2100
6	Sri Murari Lal Agarwal	M-34/643(V)	6000	4000				10000
7	Sri Khazan Chandra	K-34/574	11000					11000
8	Sri Raj Kumar Gupta	Not Member		3000				3000
9	Smt Usha Kiran Jaiswal	U-24/984(V)	1200					1200
10	Sri Ashok Kumar Pandey	A-91/964(V)	19440					19440
11	Smt. Uma Shashi Mishra	U-10/475(V)		3600				3600
12	Smt Asha Kalichran Kalia	Not Member		3000				3000
13	Sri Yugal Kishore Gupta	Y-7/603(V)		4500				4500
14	Sri Ananad Prakash Singh	Not Member		1000				1000
15	Sri Avinash Kumar	Not Member		600				600
16	Sri Sunil Chandra Mishra	Not Member		1101				1101
17	Sri Akhilesh Kumar Singh	Not Member		1500				1500
18	Sri Vinod Kumar Srivastava	Not Member		1000				1000
19	Sri Prem Sawroop Sharma	P-58/1016		1200				1200
20	Sri Satya Veer Rathore	Not Member		1510				1510
21	Justice Karan Lal Sharma	K-24/449(V)	5000					5000
22	Sri Laxmi Dutt Upadhaya	L-7/600	4000	6000				10000
23	Sri Manoj Kumar Jain	Not Member		1100				1100
24	Sri Anandeshwar Shankar Prasad	A-84/804(V)		1500				1500
25	Sri Pratap Bhan	Not Member		2000				2000
26	Sri Awani Kant Dubey	Not Member		1001				1001
27	Sri Sriram Tiwari	Not Member		1001				1001
28	Sri Deepankar Nigam	Not Member		500				500
29	Sri Akhil Srivastava	Not Member		500				500
30	Sri Sukamal Jain	Not Member		900				900
31	Sri Vijay Pratap Singh	Not Member		300				300
32	Sri Subir Chakraborty	Not Member		1000				1000
33	Sri Anil Kumar Gupta	Not Member		900				900
34	Sri Vijay Pratap Singh	Not Member		1100				1100
35	Sri Mahendra Prasad Srivastava	Not Member		3000				3000
36	Sri Devendra	Not Member		500				500
37	Syed Muzammil Zanvi	Not Member		1000				1000
38	Sri Naresh Chandra Agarwal	Not Member		1100				1100
39	Bhartiya	Not Member		1000				1000
40	Sri Surendra	Not Member		1000				1000

41	Sri Ashok Rathore	Not Member		3000			3000
42	Sri S.K.Vidyarthi	S-80/412(V)		1000			1000
43	Sri Anil Kumar	Not Member		2000			2000
44	Sri Anil Johri	Not Member		600			600
45	Sri Pramod Kumar Singh	Not Member		1000			1000
46	Sri Arun Kumar Kanchan	Not Member		300			300
47	Smt Deepa Srivastava	Not Member		300			300
48	Sri Ranjan Singh	Not Member		5000			5000
49	Sri Jai Gopal Gupta	Not Member		1500			1500
50	Sri Atul	Not Member		500			500
51	Sri Shamim Ahmed	Not Member		300			300
52	Sri Daya Shankar Singh	Not Member		2000			2000
53	Smt Rashmi Juneja	Not Member		1500			1500
54	Sri Suresh Chandra	Not Member		500			500
55	Sri Aakarsh Upadhaya	Not Member		500			500
56	Sri Pankaj Pandey	Not Member		2000			2000
57	Sri Manish Kumar Agarwal	Not Member		500			500
58	Sri Ravi Shankar	Not Member		1000			1000
59	Sri Madan lal	Not Member		600			600
60	Sri Yadvendra Kumar Sharma	Not Member		2000			2000
61	Sri Rama Shankar Maurya	Not Member		1000			1000
62	Smt Tripti Barnwal	Not Member		500			500
63	Sri Naavneet Singh	Not Member		500			500
64	Sri Ravi Arora	Not Member		1000			1000
65	Sri Subhash Chandra Verma	Not Member		500			500
66	Sri Sudhakar Gautam	Not Member		1000			1000
67	Sri Ghanshyam	Not Member		1000			1000
68	Sri Samar Nath	Not Member		1000			1000
69	Sri Om Shankar Maurya	Not Member		500			500
70	Sri Anukrant	Not Member			1100		1100
71	Sri Dharendra	Not Member		600			600
72	Sri Dheeraj Kumar Upadhay	Not Member		50			50
73	Smt. Jaya Tiwari	Not Member		1000			1000
74	Atrimuni Mall	Not Member		3000			3000
75	Smt. Indira	Not Member		500			500
76	Smt. Usha Varshney	Not Member		1500			1500
77	Sri Puneet tandon	Not Member		2000			2000
78	Sri Manoj Kumar Maurya	Not Member		1000			1000
79	Sri Rajendra Kumar Sharma	Not Member		1000			1000
80	Smt. Zaiba Siddiqui	Not Member		1000			1000
81	Sri Arun Kumar Gupta	Not Member		500			500
82	Sri Anup Kumar Verma	Not Member		1000			1000

83	Sri Bhanu Pratap Singh Rathore	Not Member		1000				1000
84	Sri Sushil kumar Sharma	Not Member		1000				1000
85	Sri Akhilesh Kumar Mishra	Not Member		1000				1000
86	Sri Brejesh Kumar Khare	Not Member		1000				1000
87	Rajendra Nath Kakkad	Not Member		500				500
88	Sri Shabeer Abbas	Not Member		100				100
89	Sri Gangadhar Singh	Not Member		2100				2100
90	Sri Anil Narain Singh	Not Member		1000				1000
91	Sri Rajesh Khandelwal	Not Member		501				501
92	Sri Vijay	Not Member		1500				1500
93	Smt. Abha Sri Ajay Kumar Garg	Not Member		8000				8000
94	Sri Yatendra Pal Singh	Not Member		1500				1500
95	Sri Brijendra Kumar	Not Member		1500				1500
96	Sri Pawan Kumar	Not Member		1000				1000
97	Smt. Malti Dubey	Not Member		500				500
98	Sri Kamlesh Chandra	Not Member		501				501
99	Sri Gopal Sawroop Sinha	Not Member		1100				1100
100	Sri Karunderar Kumar Verma	Not Member		1000				1000
101	Sri Brahma Pandey	Not Member		500				500
102	Sri Anurag Mishra	Not Member		2000				2000
103	Sri Ram Prasad Prajapati	Not Member		500				500
104	Smt. Renuka Jain	Not Member		1000				1000
105	Sri Anil Kumar Verma	Not Member		201				201
106	Sri Kanishk Grover	Not Member		1000				1000
107	Sri Shvaran Parti	Not Member		1000				1000
108	Sri Pradeep Kakkad	Not Member		1000				1000
109	Sri Kailash Kumar Soni	Not Member		500				500
110	Sri Anil Kumar Verma	Not Member		2000				2000
111	Sri Dinesh Rastogi	Not Member		2100				2100
112	Sri Alok Kumar	Not Member		1000				1000
113	Sri Pankaj	Not Member		1000				1000
114	Sri Satish Kumar	Not Member		1000				1000
115	Sri Shiv Lakhan Chaurasia	Not Member		500				500
116	Sri Vinay Kumar	Not Member		2000				2000
117	Sri J.K.Utreja	Not Member		1500				1500
118	Sri Amod Kumar	Not Member		5000				5000
119	Sri Vikalp Verma	Not Member		1000				1000
120	Sri Gaurav Gupta	Not Member		1100				1100
121	Smt. Madhu Gupta	Not Member		500				500
122	Sri Rakesh Verma	Not Member		1000				1000
123	Smt. Vinita Khatri	Not Member		2100				2100
124	Minutia	Not Member		500				500
125	Sri Rohit Singh	Not Member		2000				2000
126	Sri Prakash	Not Member		1101				1101

127	Sri Manish Diwedi	Not Member		501				501
128	Sri Vaibhav Kaushal	Not Member		1000				1000
129	Sri Naveen Vishwkarma	Not Member		2200				2200
130	Sri Kishan Singh	Not Member		1000				1000
131	Sri Dinesh Kumar Tripathi	Not Member		500				500
132	Sri Yogendra Kumar Sharma	Not Member		1100				1100
133	Sri Adit	Not Member		1000				1000
134	Sri Adesh Kumar Sharma	Not Member		501				501
135	Sri Rakesh Kumar Verma	Not Member		1000				1000
136	Sri Amit Tiwari	Not Member		5000				5000
137	Sri Ram Swarath	Not Member		1000				1000
138	Sri Himanshu Verma	Not Member		5000				5000
139	Sri Kris	Not Member		2100				2100
140	Sri Hrideysh Chandra	Not Member		2100				2100
141	Sri Santosh	Not Member		2100				2100
142	Sri Dharma Dev Ram Kushwaha	Not Member		1500				1500
143	Sri Rajesh Kumar Singh	Not Member		1500				1500
144	Sri Hari Chand	Not Member		2100				2100
145	Sri Chandra Kailash	Not Member		300				300
146	Smt Sneh Lata	S-55/276		2100				2100
147	Sri Anil	Not Member		1500				1500
148	Sri Devanshu Yadav	Not Member		3000				3000
149	S.C.Trivedi Memorial Trust	Not Member					25000	25000
150	Aastha Hospital	A-34 /350 (Instit)					50000	50000
151	Sri Samar Nath	Not Member		1100				1100
152	Sri Shailendra Singh Ballu	Not Member		1100				1100
153	Total		57740	199869	4200	0	75000	336809

अप्रैल 2024 से दिसम्बर 2024 तक विभिन्न मदों में प्राप्त कुल दानराशि रू0 9,39,409 /—

सम्माननीय भावना सदस्यों एवं सहृदय नागरिकों से सविनय अनुरोध है कि आर्थिक व अन्य सहायता (तन, मन, धन) से देकर भावना के कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग दें।

भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति (भावना) को की गई दान राशि आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत कर मुक्त है। भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति के लिए ऑनलाईन दान राशि भी स्वीकार्य है। इसका विवरण इस प्रकार है:-

1. खाते का नाम : भारतीय वरिष्ठ नागरिक समिति
2. बैंक का नाम और शाखा — एक्सिस बैंक, इन्दिरा नगर, लखनऊ
3. बचत खाता संख्या— 355010100011769
4. आई0एफ0एस0 कोड— **UTIB0000355**



राम कृष्ण आनन्द
कोषाध्यक्ष भावना

भावना के निर्धन-जन सेवा कार्यक्रम वर्ष 2024-25

भावना के निर्धन-जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत, लखनऊ जनपद तथा पड़ोसी जनपद के ग्राम्यांचलों के निर्धन एवं असहाय निवासियों को शीतकाल में ठण्ड से बचाव हेतु ऊनी कम्बल वितरण किये जाते हैं। भावना के ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में दिनांक 29-12-2024 से 30-01-2025 तक 7 शीतकालीन सहायता शिविरों का लखनऊ व आसपास के क्षेत्र में आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में कुल 653 कम्बल व 57 स्वेटर/जैकेट वितरित किये गये।

इन सभी कैम्पों में, प्रकोष्ठ के संयोजक श्री सुधीर कुमार वर्मा, सदस्य श्री प्रभात किरण चौरसिया, श्री जगमोहन लाल जायसवाल, श्री आदित्य प्रकाश सिंह, श्री एस.एन. श्रीवास्तव, श्री राम मूर्ति सिंह, श्री अनिल खन्ना तथा भावना के अन्य सदस्यों तथा सम्बंधित ग्रामों के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

सुधीर कुमार वर्मा, संयोजक
जगमोहनलाल जायसवाल, महासचिव कार्यान्वयन, भावना

अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र, संत गाडगे जलाशय पार्क, रतन खंड, शारदा नगर लखनऊ मे 26 जनवरी-2025 को गणतंत्र दिवस

गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में भावना के वर्तमान अध्यक्ष श्री रामलाल गुप्ता जी द्वारा ध्वजा रोहण किया गया। तदोपरान्त राष्ट्रीय गान का सामूहिक रूप से गायन हुआ। इस अवसर पर भावना के संस्थापक-निवर्तमान अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ल, उपाध्यक्ष एवं संस्थापक सदस्य श्री सुशील शंकर सक्सैना, उपाध्यक्ष श्रीतुंगनाथ कनौजिया, महासचिव एडवोकेसी श्री सतपाल सिंह, सदस्य संसाधन प्रकोष्ठ श्री रमेशचन्द्र प्रसाद जायसवाल, संयोजक महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ श्रीमती नीना अग्रवाल, सदस्य सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधानसंपादक अमरनाथ, सदस्य अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र श्री चन्द्र भूषण तिवारी जी, पूजा जायसवाल, के अतिरिक्त दोनो शिक्षिकाएँ बीनू शुक्ला, कामाक्षी गौतम, आचार्य अयोध्या प्रसाद, तथा स्थानीय व्यक्तियों में शारदा साहू, श्री राय, नीलम सिंह आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर विभिन्न मनोहारी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा पेश किए गये।

कार्यक्रम करने वाले छात्र/छात्राओं में श्री राम शुक्ला, आदित्य कुमार, अंजलि, राजकुमारी, सोनाली, सावित्री, सीमा, नंदिनी, संध्या, शहनाज, राधा, वन्दना थीं। इन सभी को श्री आर पी जायसवाल द्वारा पुरस्कार स्वरूप टिफिन बाक्स दिये गये।

भावना निर्धन जन सेवा प्रकोष्ठ की ओर से बच्चों को 54 वूलेन स्वेटर व उनके पालकों को 26 कंबल बांटे गये। श्री अयोध्या प्रसाद प्रशिक्षक व श्रीमती बीनू शुक्ला प्रशिक्षिका व श्रीमती कामाक्षी पूर्व प्रशिक्षिका को भी कंबल दिये गये।

श्री रामलाल गुप्ता अध्यक्ष भावना, श्री वी.के. शुक्ला पूर्व अध्यक्ष भावना, श्री टी.एन. कनौजिया उपाध्यक्ष भावना व श्री आर.पी. जायसवाल विशिष्ट सदस्य भावना द्वारा बच्चों को बिस्किट, फ्रूटी व अन्य उपयोगी सामग्री वितरित की गई। अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र हेतु श्री आरपी जायसवाल विशिष्ट सदस्य भावना द्वारा साउंड सिस्टम उपलब्ध कराया गया। श्री अमरनाथ प्रमुख संपादक, भावना संदेश, द्वारा बच्चों के पालकों को पुराने किन्तु उपयोग योग्य कपड़े वितरित किए गए। मिष्ठान वितरण व अन्य व्यवस्थायें श्री सतपाल सिंह महासचिव भावना द्वारा की गई।

समूचे कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन एवं समस्त व्यवस्थाएँ श्री सतपाल सिंह जी द्वारा किया गया।

प्रस्तुति

अमर नाथ, प्रधान संपादक, भावना संदेश

नारी शिक्षा और सशक्तिकरण का महत्व— एक साक्षात्कार

एक दिन, एक कंपनी में साक्षात्कार के दौरान, बॉस, जिसका नाम अनिल था, ने सामने बैठी महिला, सीमा से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनखाह की उम्मीद करती हैं?

सीमा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपये।

अनिल ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, 'आपको किसी खेल में दिलचस्पी है?'

सीमा ने जवाब दिया, जी, मुझे शतरंज खेलना पसंद है।

अनिल ने मुस्कराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है। चलिए, इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज्यादा पसंद है? या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित हैं?

सीमा ने मुस्कराते हुए कहा, वजीर।

अनिल ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है।

सीमा ने गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में वो सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरों में अलग-अलग रूप से पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा को बचाता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है, और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है।

अनिल ने उसकी समझ से प्रभावित होते हुए पूछा, बहुत दिलचस्प! लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है?

सीमा ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमजोर मानती हूँ। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा से रक्षा कर सकता है।

अनिल सीमा के जवाब से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार! बेहतरीन जवाब। अब ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं?

सीमा ने बिना किसी देर के जवाब दिया, राजा।

अनिल थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो राजा को कमजोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप क्यों खुद को राजा मानती हैं?

सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूँ और मेरा वजीर मेरा पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बढ़कर करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है।

अनिल को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा, और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं?

सीमा की आवाज भर्राई, उसकी आँखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है।

यह सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनिल ने तालियाँ बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, सीमा। आप एक सशक्त महिला हैं।

यह कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना बेहद जरूरी है, ताकि अगर कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो वे खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सकें।

किसी विद्वान ने कहा है, एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो, और पति की गैरमौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझ उठा सके।



संकलनकर्ता—

सतपाल सिंह, महासचिव (एडवोकेसी)

भावना

खाना पचेगा या सड़ेगा

खाना खाने के बाद पेट में खाना पचेगा या खाना सड़ेगा, यह जानना बहुत जरूरी होता है। हमने रोटी खाई, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने दही खाया लस्सी पी, दूध, दही छाछ, लस्सी फल आदि यह सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। यह सब कुछ हमें उर्जा देते हैं और पेट उस उर्जा को आगे ट्रांसफर करता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है, जिसको हम हिन्दी में 'आमाशय' कहते हैं। इसका संस्कृत नाम है 'जठर'। यह एक थैली की तरह होता है।

यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। यह बहुत छोटा सा स्थान है। हम जो कुछ भी खाते हैं, वह सब इस आमाशय में आ जाता है। आमाशय में जो अग्नि प्रदीप्त होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। यह जठराग्नि आमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। जैसे ही हम खाना खाना खाते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यह ऑटोमेटिक है, जैसे ही हमने रोटी का पहला टुकड़ा मुँह में डाला, कि इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। यह अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। अब हमने खाना खाते ही गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया। अब जो आग (जठराग्नि) जल रही थी, वह बुझ गयी। आग अगर बुझ गयी, तो पचने की जो क्रिया है वह रुक जाती है।

अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खाना पेट में जाने पर पेट में दो ही क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं पचना, और दूसरी है, सड़ना। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा। रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल, मूत्र और अस्थि बनेगा और सबसे अंत में मेद बनेगा। यह तभी होगा जब खाना पचेगा। खाना सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वह है **यूरिक एसिड**। यूरिक एसिड बढ़ने से ही घुटने, कंधे, कमर में दर्द होता है।

जब खाना सड़ता है, तो यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल)। खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही ब्लड प्रेशर (बीपी) बढ़ता है। ये सभी बीमारियां तब आती हैं जब खाना पचता नहीं है, बल्कि सड़ता है।

खाना पचने पर किसी भी प्रकार का कोई भी जहर नहीं बनता है। खाना पचने पर जो बनता है वह है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल, मूत्र, अस्थि और खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल और यही हमारे शरीर को रोगों का घर बनाते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज्यादा बढ़कर खून में आता है, तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता और रोज थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आया है, इकट्ठा होता रहता है और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है। इसी से हार्ट अटैक होता है।

अतः हमें ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं, वह ठीक से पचना चाहिए, इसके लिए पेट में ठीक से आग (जठराग्नि) प्रदीप्त होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पचता नहीं है और खाना पकता भी नहीं है। महत्व की बात खाने को खाना नहीं खाने को पचाना है। हमने क्या खाया, कितना खाया यह महत्वपूर्ण नहीं है।

खाना अच्छे से पचे इसके लिए वाग्भट्ट जी ने सूत्र दिया है— भोजनान्ते विषं वारी' (खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है)। इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे में मिस होता है और फिर खाना पेस्ट में बदलता है। पेस्ट में बदलने की क्रिया होने तक एक घंटा 45 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है। बुझती तो नहीं, लेकिन बहुत धीमी हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है।



संकलनकर्ता
पुरुषोत्तम केसवानी
सम्पादक, भावना सन्देश

वर्ष 2025 का स्वागत एवं वर्ष 2024 की विदाई

नव-वर्ष द्वार पे खड़ा, भीतर बुलाइये,
उठिये संभल के गले बढ़कर लगाइये।
जो जा रहा है 'शांत' विदा हस के कीजिये,
नवगीत नये वर्ष में फिर गुन गुनाइये।

नवगीत

किसी से न कहिये नववर्ष आया,
महकने लगेगा स्वयं आपका घर
उजाला बिखर जायेगा हर दिशा में
निकल आये चांद भी घिरे निशा में
खुशियाँ थिरकने लगें हर दशा में
समझना नया वर्ष झूमा नशा में
संगीत का शोर इतना बढ़ेगा
कि मिट जायेगा प्राकृतिक मौन का डर ॥1॥
सुख-शांति समृद्धि की बात करना
अभी से नहीं ठीक रुक जाइएगा
यश-कीर्ति उपलब्धियों का खजाना
खुलेगा जरा सब्र भी कीजिएगा
नया वर्ष थोड़ा बड़ा भी तो होवे
शिशु पर न यूँ डालिए बोझ मन भर ॥ 2 ॥
स्वयं आपने पिछले वर्षों को देखा
तोड़ी हमी ने थी सीमायें
नये वर्ष को दोष देने के पहले
विचार भी होता कि त्रुटि है हमारी
इस बार तो आप संयम न खोयें
धरें धैर्य सोचें-विचारें परस्पर ॥ 3 ॥ नये-वर्ष को 'शांत' गौरव दिलाएं
उपलब्धियाँ खुद-ब-खुद पास होंगी
निरंतर करें ध्यान में लक्ष्य अपना
विवशतायें अपनी स्वयं दास होंगी
भारत बनेगा शिखर विश्व भर का
वर्ष के अंत में दपन होगा हर एक डर ॥4॥
किसी से न कहिए नया-वर्ष आया ।
महकने लगेगा स्वयं आपका घर ॥



—देवकीनन्दन 'शान्त', साहित्यभूषण

लखनऊ— 206016 (उ. प्र.)

9935217841, 8840549296

योगाभ्यास एवं स्वास्थ्य (भाग-10)

प्राणायाम अभ्यास हेतु अन्य महत्वपूर्ण हस्त मुद्राएं, अनुलोम – विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम एवं सूर्यभेदी प्राणायाम आदि

गत अंकों में हमने प्राणायाम रहस्य (Pranayam Vigyan), कुछ हस्त मुद्राओं (Hand Gesture), बंध (Perenium] Abdominal & Throat Lock), कुंभक (Breath Retention) एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी प्राणायामों (गहरे – लम्बे श्वास, ओंकार ध्रुणव एवं भ्रामरी प्राणायाम) की सरलीकृत विधि के बारे में विस्तार से जाना ।

अब इस अंक में हम अनेकों प्राणायाम के अभ्यास में उपयोगी प्राणायाम मुद्रा तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्राणायाम के अभ्यास की सरलीकृत विधि के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे ।

प्राणायाम मुद्रा (Pranayama Mudra)

यह एक आध्यात्मिक महत्वपूर्ण हस्तमुद्रा है । इस प्राणायाम-मुद्रा को विष्णु –मुद्रा (Vishnu Mudra) अथवा नासाग्र-मुद्रा (Nasagra Mudra) के भी नाम से जाना जाता है ।

विधि :

हाथ की पांचो उंगुलियों को एक दूसरे से सटाते हुए बाहर की तरफ खोल कर रखें । अब तर्जनी (Index) और मध्यमा (Middle) उंगुलियों (पहली दो अंगुलियों) को मोड़ते हुए अँगूठे की गद्दी (Base of the thumb) पर लगायें, बाकी दोनों अंतिम उंगुलियाँ (अनामिका व कनिष्ठिका अंगुली) तथा अँगूठा सीधा रहेगा ।

लाभ :

1. यह मुद्रा प्राणायाम के अभ्यास में उपयोगी है ।
2. प्राण को दाएँ स्वर से, बाएँ स्वर से एवं मध्य स्वर से इच्छानुसार प्रवाहित करती है । इस लक्ष्य की प्राप्ति में यह मुद्रा इसलिए सहायक है कि बाएँ नासारंध्र से श्वास लेने में, दाएँ नासारंध्र को अँगूठे से बंद करने एवं दाएँ स्वर से प्राण प्रवाहित करने में अँगूठे को ढीला कर अनामिका अंगुली से बाएँ नासारंध्र को दबाना सुविधाजनक रहता है ।
3. हमारी तर्जनी अंगुली वायु तत्व का तथा मध्यमा अंगुली आकाश तत्व का प्रतीक है । अतः इस मुद्रा के अभ्यास से इन दोनों तत्वों में संतुलन बनता है (Air & Space elements are balanced)
4. इस मुद्रा के अभ्यास से विषाक्त पदार्थ (Toxing) हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं । यह मुद्रा स्नायु के दर्द, आंतों की सूजन में लाभकारी है । इसके नियमित अभ्यास से रक्त शुद्ध होता है एवं कफ रोगों में भी लाभकारी है ।
5. नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं तथा नाड़ी – शोधन, चंद्र भेदी एवं सूर्यभेदी आदि प्राणायाम का अभ्यास इस मुद्रा के साथ करने में इनका प्रभाव और अच्छा हो जाता है ।

‘अनुलोम विलोम प्राणायाम’ नाड़ी शोधन प्राणायाम

इस प्राणायाम के अभ्यास से दाएं एवं बाएं स्वर के मध्य संतुलन बनता है। शरीर की संपूर्ण नाड़ियों की शुद्धि-शोधन होता है और मुख्य रूप से इड़ा व पिंगला नाड़ी तत्काल सक्रिय हो जाती है। मन को नियंत्रित, शांत, निर्मल एवं अंतर्मुखी करने में यह प्राणायाम बेजोड़ है। शारीरिक व मानसिक तनाव ठीक होता है। फेफड़ों के दोष, सिरदर्द व मानसिक रोग (अनिद्रा, चिंता आदि) आदि ठीक होते हैं। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के Flight-Flight रिस्पॉन्स को नियंत्रित कर हृदय गति को सामान्य बनाए रखता है। अपचन, पेट – आंत रोग में बहुत लाभदायक है। प्राणों का भंडारण और नियंत्रण भी होता है।

इस प्राणायाम का अभ्यास तीन अवस्थाओं में किया जा सकता है।

पहली अवस्था – (नए साधकों के लिए –For Beginners) विधि

कमर व गर्दन सीधी रखते हुए ध्यान के किसी भी आसन में (यदि घुटनों में दर्द है तो कुर्सी / स्टूल / बेंच / तख्त पर टांगे नीचे कर) सुविधाजनक स्थिति में बैठें। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। ध्यान श्वासों की गति पर केंद्रित कर श्वासों को स्वाभाविक स्थिति में आने दें। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं।

दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं नासापुट पर तथा अनामिका को बाएं नासापुट पर रख दें। दाएं नासारंध्र को दाएं अंगूठे से बंद करके बाएं नासारंध्र से धीरे-धीरे गहरा – लंबा श्वास भरें। अनामिका से बायां नासारंध्र बंद कर दें। अंगूठे को हटाते हुए दाएं नासारंध्र से अत्यंत धीमी गति से श्वास को अधिकतम बाहर निकाल दें। अब दाएं नासारंध्र से गहरा – लंबा श्वास भरें। अंगूठे से दाएं नासारंध्र को बंद कर दें। अनामिका को हटाते हुए बाएं नासारंध्र से श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकाल दें। श्वास पूरा भरने व निकालने पर मूलबंध अवश्य लगाएं। यह एक आवृत्ति हुई। इसकी पांच से सात आवृत्तियां दोहराएं।

श्वास को भरने व निकालने में प्रारंभ में एक-एक का अनुपात बनाएं। धीरे धीरे श्वास भरने के सापेक्ष श्वास निकालने की अवधि को बढ़ाने का प्रयास करें। आवृत्तियां पूरी करने पर पूर्व स्थिति में आकर श्वासों को सामान्य करके शांत बैठ मानसिक स्थिति का अवलोकन करें।

दूसरी अवस्था –

पहली स्थिति का अभ्यास पक्का होने पर उक्त क्रिया में प्रश्वास (Exhalation) यानि रेचक को भौंरे के गुंजन (भ्रामरी की ध्वनि) के साथ लयबद्ध करें अर्थात् भ्रमर के समान मधुर गुंजन करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें।

जैसे दाएं नासारंध्र को अंगूठे से बंद करके बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे गहरा – लंबा श्वास भरें। बाएं नासारंध्र को अनामिका से बंद करके दाएं नासारंध्र से भ्रमर के समान मधुर गुंजन करते हुए श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालें। अब दाएं नासारंध्र से श्वास को भरकर बाएं नासारंध्र से भ्रमर के समान मधुर गुंजन करते हुए धीरे – धीरे श्वास को बाहर निकालें। यह एक आवृत्ति हुई। इसकी पांच आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्तियां पूर्ण होने पर पूर्व स्थिति में आकर श्वासों को सामान्य कर शांत बैठ मानसिक स्थिति का अवलोकन करें।

तीसरी अवस्था –

प्राणायाम की पहली दो अवस्थाओं में परिपक्वता प्राप्त होने पर अभ्यास को 1 : 2 के अनुपात में नियंत्रित ढंग से करें। जैसे चार की मात्रा में श्वास को बाएं नासारंध्र से भरें तथा आठ की मात्रा के साथ दाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर निकालें। इसी अनुपात में दाएं नासारंध्र से भरें व बाएं से बाहर निकालें। यह 1 : 2 का अनुपात हुआ। इसकी पांच

आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्तियां पूर्ण होने पर बाएं नासारंध्र से अधिकतम श्वास बाहर निकाल कर दाएं हाथ को भी ज्ञान मुद्रा में लाकर पूर्व स्थिति में आएं। श्वास सामान्य कर शांत बैठ मानसिक स्थिति का अवलोकन करें।

विशेष — उक्त प्राणायाम का अभ्यास कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधानुसार कभी भी (खाली पेट उत्तम अन्यथा भोजन के 2 घंटे बाद भी) कर सकता है। स्लो ब्रीदिंग होने की वजह से इसे ज्यादा वक्त तक कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसे हम जितनी बार करेंगे, उतना ही हमें लाभ मिलेगा।

सूर्यभेदी प्राणायाम (Suryabhedana Pranayam)

सूर्य सारे सौरमंडल को शक्ति देता है। सूर्य नाड़ी (पिंगला नाड़ी) को जागृत करने (सक्रिय बनाने) में सहायक होने की वजह से इसे सूर्यभेदी प्राणायाम कहा जाता है। पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होकर रीढ़ के मध्य सुषुम्ना के दाईं ओर से आज्ञा चक्र तक जाती है। इस प्राणायाम के अभ्यास से दाएं स्वर से प्राण के प्रवाह में सुविधा होने से शरीर की संपूर्ण नाड़ियों में सूर्य के समान तप का संचार हो जाता है। अतः इस प्राणायाम को सर्दियों के मौसम में ही करना अधिक लाभकारी है।

सावधानी/निषेध— उच्च रक्तचाप के रोगी, हृदय रोगी एवं पित्त प्रधान प्रकृति वाले व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। गर्मी के मौसम में भी इसका अभ्यास न करें।

विधि —

कमर गर्दन सीधी रखते हुए सुविधाजनक स्थिति में बैठें। आंखें कोमलता से बंद कर लें, चेहरे पर प्रसन्नता हो। बाएं हाथ को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें एवं दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे को दाएं नासापुट पर तथा अनामिका व कनिष्ठा को बाएं नासापुट पर रखें।

अनामिका से बाएं नासारंध्र को बंद करके श्वास को दाएं नासारंध्र से धीरे — धीरे अधिक से अधिक गहरा भरें। मूलबंध लगाएं। अब अंगूठे से दाएं नासारंध्र को बंद करके बाएं नासारंध्र से धीरे — धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। मूलबंध रेचक की अवधि पूरा करने से ज्यादा लगभग दोगुनी रखने का प्रयास सहजता से करें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार हर बार दाएं नासारंध्र से श्वास भरकर बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे बाहर निकालें। इसकी पांच आवृत्तियां दोहराएं।

आवृत्तियां पूर्ण करके पूर्व स्थिति में वापस आकर श्वास सामान्य कर मानसिक स्थिति का अवलोकन करें।

लाभ —

- निम्न रक्तचाप, चिंता, अवसाद (Depression) के रोग ठीक करने में सहायक।
- मस्तिष्क शक्ति को जागृत करता है और शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है।
- कफ दोष ठीक करने में, रक्त की अशुद्धिता को दूर करने और त्वचा जनित रोगों को दूर करने में सहायक।



अरविंद कुमार अग्रवाल

सदस्य, वैल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ, भावना
क्षेत्रीय प्रधान, भारतीय योग संस्थान, लखनऊ
मो. 9450631489

(अगले अंक में कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका प्राणायाम एवं चंद्रभेदी प्राणायाम आदि विषयों पर चर्चा)

भारतीय संविधान

स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत का संविधान बनाया जाना था, इसके लिये भारतीय संविधान लिखने वाली सभा का गठन किया गया। इस सभा के 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष डा० भीमराव अम्बेडकर थे इसलिए, इनें संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया और इसे 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया अर्थात् प्रभावी किया।

संविधान लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था इसके लिये पंडित नेहरू जी ने श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब से लिखने का अनुरोध किया। यह कैलीग्राफी में अत्यन्त निपुण थे। यह लिखने को तैयार हुए और किसी प्रकार फीस लेने से मना कर दिया, परन्तु हर पेज के नीचे के कार्नर पर अपना नाम तथा अन्तिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसको हाथ से लिखने में 6 महीने लगे तथा इस कार्य 432 निबें घिस गईं। संविधान मूल रूप (पांडुलिपि) में हाथ से इटैलिक लिखावट में लिखा गया है।

इसके मुखपृष्ठ तथा पन्नों को शांतिनिकेतन के श्रीनन्द लाल बोस तथा राम मनोहर सिन्हा और उनकी टीम ने सजाया है। मूल कॉपी 22 इंच लम्बी और 16 इंच चौड़ी है। इसका वजन 13 किलो है। इसका हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध कैलीग्राफर श्री बसन्त कृष्ण वैद्य ने किया है। संविधान को अपनाये जाने के समय मूल प्रति में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं और 22 भागों में विभाजित था। वर्तमान संस्करण में 467 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसे 25 भागों में बांटा गया है।

संविधान के मुख पृष्ठ पर भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह अर्थात् शेरों का चिन्ह है। कवर पृष्ठ को सुनहरे रंग के कमल के शतदल और अन्य फूलों से सजाया गया है। अशोक चिन्ह में सामने से शेरों के तीन मुख दिखाई देते हैं। नीचे के गोल आधार पर घोड़ा, चक्र और सांड का चिन्ह है। मुख पृष्ठ पर फूलों की बीचोबीच में "CONSTITUTION OF INDIA" लिखा है। अगले पृष्ठ पर प्रस्तावना अर्थात् उद्देशिका लिखी गयी है।

“हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और असर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज आज की तारीख 26 नवम्बर 1949 को, तदनुसार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान के पहले भाग का आरम्भ पृष्ठ-1 पर सिन्धु घाटी की सभ्यता जेबू बैल के चित्र से हुआ है। जेबू बैल को सबसे शक्तिशाली वंश और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा का प्रतीक माना जाता है। जेबू बैल को समूह के शक्तिशाली नेता के रूप में देखा जाता था, जो अपने लोगों की हिफाजत करता था। इस भाग का नाम संघ और उसका राज्य है।
2. संविधान के भाग-2 का आरम्भ पृष्ठ 3 पर वैदिक काल के गुरुकुल से हुआ है। यह संविधान का पृष्ठ तीन है। उस समय तक अग्नि इन्द्र और सूर्य की पूजा आम जीवन में शामिल हो चुकी थी। यह नागरिकता से सम्बन्धित

पहलुओं को संबोधित करता है।

3. संविधान के तीसरे भाग का आरम्भ पृष्ठ 6 पर पुष्पक विमान के चित्र से होता है। पुष्पक विमान से भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण के लंका से लौटने का चित्र है। इस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है।
4. संविधान के भाग चार का आरम्भ पृष्ठ 17 से हुआ है। इस भाग का प्रारम्भ कुरुक्षेत्र के चित्र से हुआ है इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए, चित्रित किये गये हैं। इस भाग में राज्य के नीति के निदेशक तत्व बताये गये हैं।
5. संविधान का भाग पांच का आरम्भ पृष्ठ संख्या 20 से भगवान बुद्ध के चित्र से हुआ है। इसमें भगवान बुद्ध लोगों को ज्ञान देते दिख रहे हैं। यह भाग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियों और कर्तव्यों से सम्बन्धित है।
6. संविधान के भाग छः का आरम्भ पृष्ठ संख्या 63 से हुआ है इसका आरम्भ 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के चित्र से हुआ है। चित्र में भगवान महावीर ध्यान में बैठे हैं। इस भाग नाम है है राज्य इसमें पहली अनुसूची के भाग-क के राज्य हैं। यह राज्य सरकारों की शक्तियों और कार्यों का विवरण देता है।
7. संविधान के भाग सात का प्रारम्भ पृष्ठ 98 से सम्राट अशोक के चित्र से हुआ है। इसमें अशोक भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार करते, दिख रहे हैं। इस भाग का नाम राज्य है इसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं।
8. संविधान के भाग आठ का आरम्भ पृष्ठ संख्या 102 से हनुमान जी के चित्र से हुआ है। चित्र में हनुमान सीता जी की खोज में उड़ते हुए, लंका जा रहे हैं। इस भाग का नाम राज्य है इसमें पहली अनुसूची के भाग ग के राज्य हैं।
9. संविधान के भाग नौ का आरम्भ पृष्ठ संख्या 104 से महाराजा विक्रमादित्य के चित्र से हुआ है इसमें महाराजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी पर बैठे हुए हैं। इस भाग में पहली अनुसूची के भाग घ के राज्य क्षेत्र है। यह नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से सम्बन्धित है।
10. संविधान के भाग दस का आरम्भ पृष्ठ संख्या 105 से प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय के चित्र और उसकी मुहर से हुआ है। मुहर पर नालन्दा विश्वविद्यालय देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के शासन पर चर्चा की गयी है।
11. संविधान के भाग 11 का आरम्भ पृष्ठ 106 से राजा भरत के चित्र से हुआ है। इसमें राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हैं। इस भाग का नाम संघ और राज्यों का सम्बन्ध है।
12. संविधान के भाग 12 का आरम्भ पृष्ठ संख्या 113 से नटराज के चित्र से हुआ है। यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है जिसमें काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। इस भाग का नाम वित्त, सम्पत्ति, संविदा, और वाद अर्थात् मुकदमे हैं।
13. संविधान के भाग 13 का आरम्भ पृष्ठ संख्या 130 से राजा भगीरथ के चित्र से हुआ है। इसमें महाबलीपुरम मन्दिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है। शेषनाग के साथ-साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं। इसी चित्र में राजा भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतार. को भी दिखाया है। इस भाग का नाम "भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है।

14. संविधान के भाग 14 का आरम्भ पृष्ठ संख्या 132 से अकबर के दरबार के चित्र से हुआ है। इस चित्र में अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए, हैं पीछे चंवर डुलाती हुई महिलायें हैं। यह भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवारत तथा न्यायाधिकरणों से सम्बन्धित है।
15. संविधान के भाग 15 का प्रारम्भ पृष्ठ संख्या 141 से मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह के चित्र से हुआ है। दोनों चित्र एक साथ हैं। इस भाग का नाम चुनाव है।
16. संविधान के भाग 16 का आरम्भ पृष्ठ संख्या 144 से रानी लक्ष्मीबाई के चित्र से हुआ। इसी में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान का चित्र भी बना है। इस भाग का नाम "कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध है।
17. संविधान के भाग 17 का आरम्भ पृष्ठ संख्या 149 पर महात्मा गांधी के चित्र से हुआ है। चित्र में महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। इस भाग का नाम अधिकारिक भाषा या राजभाषा है।
18. संविधान के भाग 18 का प्रारम्भ पृष्ठ संख्या 154 से महात्मा गांधी के चित्र से हुआ है। यह चित्र बंटवारे से पहले साम्प्रदायिक दंगों के समय का है। तब महात्मा गांधी नोआखाली में दंगे शांत कराने गये थे यह इलाका अब बांग्लादेश में है। चित्र में गांधी जी के साथ दीनबन्धु एड्यूज भी हैं। एक हिन्दू महिला तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़ कर खड़े हैं। इस भाग का नाम आपात उपबन्ध है।
19. संविधान के भाग 19 का प्रारम्भ पृष्ठ संख्या 160 से नेताजी सुभाष चन्द्रबोस जी के चित्र से हुआ है। नेताजी आजाद हिन्द के झण्डे को सैल्यूट कर रहे हैं। चित्र में अंग्रेजी में लिखा है "हमारे राष्ट्रपिता महात्माजी भारत की आजादी की इस पवित्र लड़ाई में हमें अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें। इस भाग का नाम प्रकीर्ण अर्थात् विविध है।
20. संविधान के भाग 20 का प्रारम्भ पृष्ठ संख्या 167 से पर्वत राज हिमालय के चित्र से हुआ है। इस चित्र से संविधान में देश की भौगोलिक विविधता को दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इस भाग का नाम संविधान संशोधन है।
21. संविधान के भाग 21 का आरम्भ पृष्ठ संख्या 168 से ऊँट के काफिले के चित्र से हुआ है। चित्र में थार रेगिस्तान के बीच ऊँटों का काफिला गुजरता नजर आता है। इस भाग का नाम अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध है।
22. संविधान के भाग 22 का आरम्भ पृष्ठ संख्या 181 के समुद्र में जहाज के चित्र से हुआ है। यह चित्र हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक है। इस भाग का नाम "संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन है।

संविधान के पिछले कवर पृष्ठ पर सुनहरे रंग का पुष्पहार बना है जो स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है।



संकलनकर्ता
इं० जगमोहन लाल जायसवाल
 महासचिव (कार्यान्वयन),
 भावना

SEHAT KA UTSAV (सेहत का उत्सव)

VRADDH AVASTHA SWAASTH JAGRUKTA SHIVIR EVAM SANGOSHTI

(वृद्ध अवस्था स्वास्थ्य जागरूकता शिविर एवं संगोष्ठी)

Aastha Centre for Geriatric Medicine, Palliative Care Hospital, Hospice & Social Welfare Society, in association with Bharatiya Varishta Nagrik Samiti (BHAVNA), Late S.C. Trivedi Memorial Trust and the South Asian Journal of Geriatric Medicine, Palliative Care & Hospice, successfully hosted a free medical camp and seminar, Sehat Ka Utsav, on December 8th 2024 from 9:00 AM to 4:00 PM at Vidisha Park in Mahanagar, Lucknow. The camp witnessed a tremendous turnout, with over 1,740 attendees, and catered to a diverse group of people with an array of healthcare services tailored to the needs of the elderly.

The event was graced by the presence of Justice Rajeev Singh (Hon'ble Judge Allahabad High Court), who commended the joint efforts of Aastha Centre and Bharatiya Varishta Samithi (BHAVNA). In his address, he remarked, "Sehat Ka Utsav is a shining example of how community partnerships can bridge the healthcare gap for senior citizens, empowering them to lead healthier, more dignified lives."

The camp also featured seminars on essential topics for senior citizens. During a session on "Advanced Care Planning and Living Will," Prof. Sandeep Kumar highlighted the importance of documenting healthcare preferences to ensure dignity and autonomy in medical decisions. He explained, "Advanced care planning allows individuals to express their wishes about future healthcare, while a living will ensure these preferences are respected, especially in critical medical situations."

Another session on "Healthy and Graceful Ageing" by Dr. Abhishek Shukla (founder director, Aastha Geriatric Centre) offered practical insights from healthcare experts on maintaining physical, mental, and emotional well-being in later years. Dr. Abhishek Shukla emphasized, **"Ageing is not just about adding years to life; it's about adding life to years. By focusing on physical, mental, and emotional well-being, we can empower the elderly to lead fulfilling and dignified lives."**

The camp provided over 30 free diagnostic tests, including blood sugar, HbA1c, retinopathy screening, dementia assessment, bone density, blood pressure, cholesterol, ECG, and kidney function tests (KFT). These tests were particularly beneficial for underprivileged patients, who received comprehensive and compassionate care at no cost.

A significant revelation from the camp was that many senior citizens were unaware that their eye problems, such as blurry vision and retinopathy, were being caused by high blood sugar and diabetes. In diabetic patients, uncontrolled blood sugar levels often damage the blood vessels in the eyes, leading to vision issues. The camp also hosted a special seminar for senior citizens, where experts explained the connection between diabetes and eye health, emphasizing the importance of monitoring and managing blood sugar to prevent such complications.

The camp featured a special Ayushman Bharat stall for senior citizens aged 70 and above, providing them with information about the scheme and facilitating the creation of free Ayushman cards.

Additionally, a Giving Saturday stall was set up where clothes and other essential items were distributed to those in need. This initiative aimed to support underprivileged individuals and bring a positive change to their lives.

With its impactful diagnostics, awareness seminars, and remarkable participation, Sehat Ka Utsav set a benchmark for addressing the healthcare challenges faced by the elderly and reaffirmed the commitment of Aastha Centre and its partners to serve the aging population with excellence and compassion.



Dr. Abhishek Shukla

Founder Director

Aastha Centre for Geriatric Medicine, Palliative Care Hospital

An Institutional Member of BHAVANA

माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम-2007

Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens Act 2007

(सार संक्षेप)

1. वरिष्ठ नागरिक वह है जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
2. माता-पिता के लिये कोई आयु-सीमा इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है।
3. "Children" (बच्चे) शब्द का तात्पर्य वयस्क पुत्र, पुत्री, पौत्र तथा पौत्री से है।
4. यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अथवा माता-पिता अपनी आय तथा/अथवा सम्पत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो उनके बच्चों का दायित्व है कि वे उसका उचित भरण-पोषण सुनिश्चित करें, अर्थात् उनके भोजन, निवास, चिकित्सा तथा वस्त्र आदि की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करें।
5. जिन वरिष्ठ नागरिक अथवा माता-पिता के बच्चे नहीं हैं उनके भरण-पोषण का दायित्व उन सगे सम्बंधियों का होगा जो उनके वैधानिक उत्तराधिकारी होंगे।
6. उपरोक्त प्रस्तर 4 तथा 5 के अनुरूप निर्धारित दायित्व का निर्वहन न होने पर वरिष्ठ नागरिक अथवा माता-पिता Tribunal में आवेदन करके बच्चों/उत्तराधिकारियों को आदेशित करा सकते हैं कि ये उन्हें भरण पोषण हेतु नियमित रूप से एक निश्चित धनराशि का भुगतान प्रति माह करें।
7. यह मासिक धनराशि अधिकतम दस हजार रुपए तक हो सकती है।
8. आदेशित धनराशि में Tribunal द्वारा समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है।
9. अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व Tribunal द्वारा अन्तिम आदेश करके अन्तरिम धनराशि भी निर्धारित की जा सकती है।
10. प्रकरणों का निस्तारण Tribunal द्वारा 90 दिन में करना होगा। विशेष परिस्थितियों में निर्णय देने में अधिकतम 30 दिन का विलम्ब किया जा सकता है।
11. Tribunal के समक्ष आवेदन किसी NGO के द्वारा भी दिया जा सकता है। Tribunal स्वतः भी किसी प्रकरण को संज्ञान में लेकर कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।
12. जिले का समाज कल्याण अधिकारी/RDO भरण-पोषण अधिकारी की हैसियत से Tribunal के समक्ष आवेदक की ओर से पैरवी कर सकता है।
13. Tribunal द्वारा किसी व्यक्ति को Conciliation Officer नियुक्त किया जा सकता है जो दोनों पक्षों से बात करके समझौता कराने का प्रयास करेगा।
14. दोषी उत्तराधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। दोषी सिद्ध होने पर उसे 5000 रुपए जुर्माना या तीन माह की कैद या दोनों की सजा हो सकती है।
15. Tribunal के समक्ष किसी भी पक्ष की ओर से कोई अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हो सकेगा।
16. इस अधिनियम से सम्बंधित प्रकरण की अपील किसी सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती है।
17. यदि कोई पक्ष असन्तुष्ट है तो वह Appellate Tribunal में अपील कर सकता है।
18. असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन किए जाने का भी प्राविधान है।
19. इन वृद्धाश्रमों का निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन किए जाने एवं इनमें रहने वालों की देखरेख, चिकित्सा, मनोरंजन आदि का उचित स्तर सुनिश्चित करने हेतु नियमावली भी बनाई जाएगी।
20. वरिष्ठ नागरिकों तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का निर्धारित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिक

हमारे वरिष्ठजन, हमारे मार्ग दर्शक

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेदिनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम् ॥

पाश्चात्य संस्कृति ने भारत की वैदिक संस्कृति को प्रदूषित कर दिया और नैतिकता तथा मर्यादा हमसे दूर हो गयी। इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व श्रवण कुमार आदि ने मातृ पितृ भक्ति के आदर्श स्थापित किये हैं। वहीं आज माता पिता घर घर अपमानित हो रहे हैं। उन्हें अपने ही बच्चों का दुर्व्यहार सहन करना पड़ रहा है। अपने जीवन के अन्तिम चरण में जीवन की संध्या में वृद्धाश्रमों में शरण लेने के लिये विवश होना पड़ रहा है। यह सामाजिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है।

इस बढ़ती कुप्रथा के कारण भारत सरकार ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 बनाया, जिसे उ0प्र0 सरकार ने वर्ष 2012 में प्रदेश में लागू किया। इस अधिनियम के सुगम संचालन चालन हेतु वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 बनाई और 2016 में उ0प्र0 राज्य वरिष्ठ नागरिक राज्य परिषद का गठन 10.08.2022 सम्पन्न हुआ। दिनांक 23.08.2022 को भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ में श्री असीम अरुण माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि एवं नामित सदस्यों की गोष्ठी हुई। इस अधिनियम में तथा इसकी सुविधा के लिये बनी नियमावली / नीति में प्रदेश के लगभग 2 करोड़ 40 लाख वरिष्ठ नागरिकों (60 से अधिक उम्र) के कल्याण की व्यवस्था की गई है। जिसमें प्रमुख रूप में उनका भरण पोषण, सुरक्षा / सम्पत्ति सुरक्षा, चिकित्सा अर्थिक सुदृढ़ता, एकाकीपन, जागरूपता, मनोरंजन महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, परिवहन विभाग की बसों में सीट आरक्षण, तहसील/थाना दिवस में प्राथमिकता, वृद्धावस्था पेंशन आदि हेतु तमाम व्यवस्थायें की गई हैं। प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल आफिसर हैं और जिलाधिकारी एवं अन्य जिला स्तर अधिकारी द्वारा उनकी देख रेख होनी है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिये उ0प्र0 सरकार ने वरिष्ठ नागरिक नीति के अन्तर्गत निम्न विभागों को निम्नवत उत्तरदायित्व निश्चित किये हैं। इन तमाम विभागों का शासन के निर्देशों के अनुपालन के अतिरिक्त उनका नैतिक दायित्व भी है कि समाज के धरोहर हमारे वरिष्ठजन अपने जीवन के अन्तिम पड़ाव को बाधा रहित पार कर सकें। उनकी प्रसन्नता में ही देश और समाज की प्रगति निहित है।

1 समाज कल्याण विभाग (नोडल विभाग)

- सभी विभागों से समन्वय,
- वरिष्ठ नागरिक संगठनों से सहयोग, प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की समितियों के गठन में सहयोग एवं वरिष्ठ नागरिक महासमिति उ0प्र0 को सुदृढ़ करने में सहयोग एवं प्रोत्साहित करना,
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में सरकार, निजी क्षेत्र की कम्पनी, ट्रस्ट, धर्मार्थ संस्था व निजी व्यक्तियों से सहायता। दान से फंड बढ़ाना,
- नगर/देहात क्षेत्र में डे केयर सेन्टरों की स्थापना कराना व उन्हें खेल साधन, समाचार पत्र, टेलीविजन, संगीत उपकरण से सुसज्जित करना,

v) वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों का लाभ लेना, इत्यादि।

2. सूचना विभाग

- नियमावली 2014 व नीति 2016 को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना तथा उसका प्रचार प्रसार करना
- समय-समय पर वरिष्ठ नागरिकों को शासनादेशों की जानकारी,
- हेल्प लाइन 14567 व सवेरा एप का प्रचार प्रसार,
- विभिन्न माध्यमों से अन्तर्पीढ़ी सम्बन्धों को मजबूत करने वाले कार्यक्रम,

3. चिकित्सा / स्वास्थ्य विभाग (सर्वोच्च प्राथमिकता)

- वरिष्ठ नागरिकों को व उनके परिवारीजनों को स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था,
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा अशक्त नागरिकों की देशभाल करने वाले को प्रशिक्षित करना, वृद्धाश्रम के स्टाफ, आशा वर्कर को “केयर गिवर” प्रशिक्षण,
- सभी प्रकार के चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को पर्चा बनवाने से लेकर भर्ती होने तक प्रत्येक कार्य में प्राथमिकता,
- अशक्त, साधन विहीन वरिष्ठ नागरिकों की घर पर ही चिकित्सा व्यवस्था,
- आवश्यकतानुसार भुगतान / निःशुल्क घर Medical Attendant की व्यवस्था,
- वृद्धाश्रमों में चिकित्सक / चिकित्सा व्यवस्था
- समय-समय पर मोहल्ला / गावों में चिकित्सा कैम्प,
- साधन सम्पन्न मोबाइल चिकित्सा वाहनों की व्यवस्था, इत्यादि,

4. गृह / पुलिस विभाग (महत्वपूर्ण विभाग)

जिला प्रशासन

- जिलाधिकारियों द्वारा अधिनियम 2007 का सुगम अनुपालन,
- लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लाक, ग्राम चौकीदार एवं नागरिक सुरक्षा संगठनों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक, आर्थिक एवं चल / अचल सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना,
- जिलाधिकारी द्वारा जिला समिति का नियमित संचालन,
- वृद्धाश्रम पर प्रभावी नियंत्रण,
- वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था, इत्यादि

पुलिस प्रशासन

- सवेरा एप को प्रभावी बनाया जाना,
- थानावार अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सूची अद्यतन रखना,
- बीट व्यवस्था के अर्न्तगत अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के घर निर्धारित अवधि में जाकर मिलते रहना,
- वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यहार पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करना एवं अपराध घटित होने पर प्रभावशाली एवं संवेदनशील कार्यवाही करना
- वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित अपराधों एवं शिकायतों पर वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर मासिक परीक्षण एवं प्रभावी नियंत्रण करना।
- वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु स्वयं सेवी संस्था, वरिष्ठ नागरिक समिति का गठन व सहयोग

लेना,

- vii) रात्रि गश्त में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के घरों का विशेष ध्यान रखा जाय,
- viii) थानावार वरिष्ठ नागरिक सेल का गठन किया जाय व जिला स्तर पर इस पर नियंत्रण रख जाए,
- ix) वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य रूप से (1) परिवार (2) सेवक (3) असामाजिक तत्त्व (4) सड़क दुर्घटना से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, इत्यादि।

5. नगर विकास / ग्राम्य विकास विभाग

- i) कालोनी, मोहल्ला में डे केयर सेन्टर की स्थापना,
- ii) प्राधिकरण, आवास विकास, नगर निकाय के आवासीय / अनावासीय भवनों में वरिष्ठ नागरिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था,
- iii) नवीन योजनाओं के मास्टर प्लान में एक ही परिसर में वृद्धाश्रम व अनाथालय के निर्माण हेतु भूमि आरक्षण,
- iv) नगर निकायों द्वारा वृद्धाश्रम भवनों का निर्माण व प्रतिष्ठित एन0जी0ओ को संचालन हेतु प्रदान करना,
- v) वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु सस्ते ऋण व सरल भुगतान की व्यवस्था,
- vi) वृद्धाश्रमों में मनोरंजन व चिकित्सीय व्यवस्था.
- vii) गांवों / शहरों में रोजगार के अवसर की व्यवस्था,
- viii) थानावार गांव मोहल्लो में वरिष्ठ नागरिक समितियों का गठन एवं मंडल तथा प्रदेश से सम्बद्धता की व्यवस्था,
- ix) वरिष्ठ नागरिकों को सहायता समूहों के माध्यम से अल्प बचत के लिये प्रेरित करना तथा सफलता पूर्वक संचालित होने वाले समूहों के सदस्यों को माइक्रो फाइनेन्स के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने पर जोर दिया जाना, इत्यादि।

6. शिक्षा विभाग

- i) शैक्षिक पाठ्यक्रम में बच्चों / युवाओं को वरिष्ठ नागरिक समस्या सम्बन्धी शिक्षा का सम्मिलित किया जाना
- ii) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति रिश्तों के प्रति आदर व उत्तरदायित्व का ज्ञान बच्चों व युवाओं को दिया जाना, सस्कार युक्त मूल्यपरक शिक्षा का दिया जाना।
- iii) 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दादा-दादी, नाना-नानी दिवस उत्साह से मनाना इत्यादि।

7. वित्त विभाग

- i) वृद्धावस्था पेंशन रू0 3000/- प्रतिमाह किया जाना।
- ii) 5 करोड़ का फण्ड उपलब्ध कराना।

8. परिवहन विभाग

- i) परिवहन निगम की बसों में वरिष्ठ नागरिकों की सीट का आरक्षण।
- ii) गरीबी रेखा के नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क बस यात्रा व्यवस्था।

9. न्याय विभाग

- i) वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

10. वाणिज्य विभाग

- i) वरिष्ठ नागरिकों को "रिवर्स मार्ट गेज" जैसी बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना।

11. श्रम विभाग

- i) कार्य स्थलों पर उम्र के अनुसार श्रम स्तर निश्चित करना ।
- ii) कार्य स्थलों पर विश्राम की व्यवस्था ।
- iii) कार्य स्थलों पर चिकित्सा व्यवस्था ।
- iv) पारिश्रमिक नियमित भुगतान व्यवस्था इत्यादि ।

12. खेल विभाग

- i) वरिष्ठ नागरिक खेल कूद प्रतियोगिता का जनपद वार आयोजन व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार आदि ।
- ii) देश के बाहर वरिष्ठ नागरिक खेलों में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
- iii) वरिष्ठ अनुभवी खिलाड़ियों को समाज निर्माण, खेल भावना जागृति में सहयोग लेना इत्यादि ।

वरिष्ठ नागरिक महासमिति उ०प्र० एकै समाज सेवी संस्था है । जो प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित है जिसमें प्रदेश के कई जनपदों की वरिष्ठ नागरिक समितियां मिलकर वरिष्ठजनों के लिए कार्यरत है । प्रदेश के प्रत्येक गांव, कस्बा, जिला तक इसका विस्तार का कार्यक्रम है तभी अन्तिम वरिष्ठ नागरिक तक शासन का लाभ पहुंचाया जा सकेगा ।

हमारा हर सम्भव प्रयास है कि प्रदेश के हर वरिष्ठ नागरिक (जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है) तक वांछित सहयोग सहायता पहुंच सके । यह तभी सम्भव होगा जब हर जगह वरिष्ठ नागरिक समिति का गठन हो और महासमिति से उनका गठबन्ध हो सके ।

अन्त में मैं अपने सभी वरिष्ठ नागरिक साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि -

कुण्डी बेवजह खट-खटाया करो

आसपास के लोगों से मिलते रहा करो,
उनकी थोड़ी खैर खबर भी रखा करो ।
जाने कौन कितने अवसाद में जी रहा है,
पता नहीं कौन बस पलों को गिन रहा है ।
कभी निकलो अपने घरों से,
औरों के आशियाने में भी जाया करो ।
कभी कभी अपने पड़ोसियों की कुण्डी
तुम बेवजह ही खट-खटाया करो ।
कभी यों ही किसी के कंधे पर हाथ रख,
साथ होने का अहसास दिलाया करो ।
कभी बिन मतलब लोगों से बतियाया करो,

बिना जज किये बस सुनते जाया करो ।
बहुत कुछ टूटे मिलेंगे, कुछ रूठे मिलेंगे,
जिन्दगी से मायूस भी मिलेंगे ।
बस कुछ प्यारी सी उम्मीदें
कभी उनके दिलों में जगाया करो ।
ऐसा न हो फिर वक्त ही न मिले,
और मुट्ठी की रेत की तरह लोग फिसलते रहे ।
यूं वक्त-बेवक्त ही सही,
लोगों को गले तो लगाया करो ।
कुण्डी बेवजह खट-खटाया करो ।



संकलनकर्ता
श्याम पाल सिंह

अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक महासमिति उ०प्र० एवं
सदस्य, वरिष्ठ नागरिक राज्य परिषद उत्तर प्रदेश

हँसना-हँसाना

1. मकान मालिक - मकान किराये के लिए खाली है, केवल उनके लिए जिनके बच्चें न हो। बालक - अंकल ! मकान मुझे किराये पर दे दीजिये। मेरे बच्चें नहीं हैं। सिर्फ माँ बाप हैं।
2. होटल में दादाजी एवं पौत्र। दादाजी - तुम से आधा-आधा बॉटने को कहा था, पर तुमने बड़ा भाग स्वयं लिया और मुझे छोटा दिया। पौत्र - वही तो मैंने किया है, आपके मन की बात जानते हुए!
3. टीचर: - 15 फलों के नाम बताओ। टीटू - आम, केला, अमरुद। टीचर - शाबास, 12 और फलों के नाम बताओ। टीटू - एक दर्जन केले!
4. पागल - डॉक्टर साहब! मैं चश्मा लगाकर पढ़ तो सकूंगा। डॉक्टर - हाँ! हाँ! बिल्कुल पढ़ सकोगे। पागल - आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आपने अनपढ़ आदमी की जिंदगी बना दी।
5. होली के दिन तेज़ रफ़्तार गाड़ी चला रही युवती को रोककर चालान काटते हुए - ट्रैफ़िक पुलिस - आपने पढ़ा नहीं कि चालीस के ऊपर गाड़ी चलाना मना है। लड़की - (गहरी सांस लेते हुए) लेकिन मैं तो अभी 23 की हूँ।
6. मरीज़ - आपके इलाज से मुझे बहुत लाभ हुआ, डॉक्टर साहब। डॉक्टर - मुझे तो याद नहीं, मैंने कब आपका इलाज किया था। मरीज़ - मेरा नहीं, मेरे चाचा का इलाज आपने किया था। वे परलोक सिंघार गये और मैं उनका एकमात्र वारिस हूँ।
7. अध्यापक - दर्दनाक शब्द का अर्थ बताओ। मोहन - जब किसी की नाक में दर्द होता है तो उसे दर्दनाक कहते हैं।
8. सोनू - दादाजी, बगुला हमेशा एक ही टांग पर पानी में क्या खड़ा रहता है। दादाजी - अगर वह अपनी दोनों टांगें उठा लेगा तो पानी में डूब नहीं जायगा क्या?

लघु कथा

संगीतमय मृत्यु

राम व श्याम अपने-अपने कानों में इयर-फोन ठूँसे हुए मोबाइल से गाना सुनते हुए रेलवे की पटरियों के बीच चले जा रहे थे। गाना सुनने में वे इतने मस्त थे कि उन्हें पीछे से ट्रेन की लगातार आ रही सीटी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। संगीत उनके दिल व दिमाग पर पूरी तरह हावी था और इयरफोन्स ने उनकी वाह्य श्रवण शक्ति को अवरुद्ध कर रखा था। जब ट्रेन काफी पास आ गयी तो कुछ राहगीर उन्हें सचेत करने के लिए चिल्लाए भी लेकिन गाने की मस्ती में खोए वे किशोर कुछ भी न सुन पाये। ट्रेन ने तेजी से दोनों को उछालकर पटरी से बाहर फेंक दिया। राहगीर उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। राम तब तक अपना दम तोड़ चुका था। उसका सिर रेल की पटरी से टकराकर फट गया था। श्याम खून से लथपथ पटरी से बाहर बेहोश पड़ा था। राम का इयरफोन छिटक कर बाहर पड़ा था और मोबाइल से अब भी गाना निकल रहा था -

जिन्दगी एक सफर है सुहाना
यहाँ कल क्या होगा, किसने जाना ?

-अमरनाथ

प्रधान सम्पादक, भावना सन्देश



प्रबंधकारिणी के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य

अध्यक्ष सदस्यता क्र.- आर-16/150 (विशिष्ट सदस्य) श्री राम लाल गुप्ता उप कृषि निदेशक (से.नि.), उत्तर प्रदेश 2/518, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन : 0522-2392341/09335231118 ई मेल: guptarlguptalko67@gmail.com	उपाध्यक्ष (प्रथम) सदस्यता क्र.- टी-3/106 (विशिष्ट सदस्य) श्री तुंग नाथ कनौजिया अधिशाली अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. 10/77, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन : 09936942923/08738948562 ई. मेल: kartikeya.investments@yahoo.co.in
उपाध्यक्ष (द्वितीय) सदस्यता क्र.- डी-24/563 (विशिष्ट सदस्य) श्री देवेन्द्र स्वरूप शुक्ल अधीक्षण अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद 15/51, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन : 0522-4006191/09198038889 ई.मेल: devpreet1977@yahoo.com	महासचिव (प्रशासन)/प्रमुख महासचिव सदस्यता क्र.- आर-55/428 श्री राजेन्द्र कुमार चुघ वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (से.नि.), उ.प्र. निर्यात निगम डी-43, महानगर विस्तार, लखनऊ-226006 फोन: 0522-2330614/09450020659 ई.मेल: rajanchugh53@gmail.com
महासचिव (कार्यान्वयन) सदस्यता क्र.- जे-17/533 (विशिष्ट सदस्य) श्री जगमोहन लाल जायसवाल सहायक अभियन्ता (से.नि.), सिंचाई विभाग, उ.प्र. 538क/182, त्रिवेणी नगर-1, लखनऊ-226020 फोन: 09450023111/09140839653 ई.मेल: jmljaiswal@gmail.com	महासचिव (एडवोकेसी) सदस्यता क्र.- एस-84/432 (विशिष्ट सदस्य) श्री सतपाल सिंह अधीक्षण अभियन्ता (से.नि.), सिंचाई विभाग, उ.प्र. बी-404, रोहतास हैम्पटन कोर्ट अपार्टमेंट्स, कानपुर रोड, लखनऊ-226012 फोन: 09839043458 ई.मेल: satpalsngh@yahoo.com
उप-महासचिव सम्बद्ध प्रमुख महासचिव संयोजक, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ सदस्यता क्र.- एन-14/176 (विशिष्ट सदस्य) श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी उप महाप्रबंधक (से.नि.), उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि., 12/5/3, मेट्रो सिटी, पेपर मिल कम्पाउन्ड, लखनऊ-226006 फोन : 0522-3917334/09452156978 ई मेल: nkrastogil@gmail.com	उप-महासचिव सम्बद्ध महासचिव (प्रशासन) संयोजक, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ सदस्यता क्र.- आर-51/414 श्री राजदेव स्वर्णकार मुख्य प्रबंधक (से.नि.), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया सी-16, सेक्टर ई, अलीगंज, लखनऊ-226024 फोन: 0522-4045984/09450374814 ई.मेल: rajdeooswarnkar@gmail.com
उप-महासचिव सम्बद्ध महासचिव (कार्यान्वयन) सदस्यता क्र.- डी-34/770 श्री धनंजय द्विवेदी निजी उद्यम में सेवारत 538ख/559क, शिवनगर, खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ-226020 फोन: 09260985710	उप-महासचिव सम्बद्ध महासचिव (एडवोकेसी) संयोजक, बाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ सदस्यता क्र.- आर-82/653 श्री राम मूर्ति सिंह सहायक अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि. डी-57, महानगर विस्तार, लखनऊ-226020 फोन: 09415438548 ई.मेल: rmmurtisingh231218@gmail.com

नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं,
काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है।

<u>कोषाध्यक्ष</u> <u>संयोजक</u> सदस्यता क्र.- आर-112/899 श्री राम कृष्ण आनन्द जे.सी.ओ. (से.नि.), भारतीय जल सेना डी-72/बी, महानगर विस्तार, लखनऊ-226006 फोन: 09235631292 ई.मेल: rkanand.pkt@gmail.com	<u>सह-कोषाध्यक्ष</u> <u>सदस्य, ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- एस-215/1021 श्री सुनील कुमार उप्रेती उपसचिव (से.नि.), उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. ए-22, कुर्मांचल नगर, लखनऊ-226016 फोन: 08368314558/7042022583 ई.मेल: sunilupreti033@gmail.com
<u>सम्प्रेक्षक</u> सदस्यता क्र.- आर-117/930 (विशिष्ट सदस्य) श्री राकेश चन्द्र अग्रवाल उपमहाप्रबंधक (से.नि.), बैंकिंग सेवा 6/656, विकास नगर, लखनऊ-226022 फोन : 0522-2739873/09389484866 ई.मेल: neenaag.2009@gmail.com	<u>संयोजक, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- एन-46/931 (विशिष्ट सदस्य) श्रीमती नीना अग्रवाल निजी सचिव (से.नि.), उ.प्र. सचिवालय सेवा 6/656, विकास नगर, लखनऊ-226022 फोन : 0522-2739873/9415011189/9454410500 ई.मेल: neenaag.2009@gmail.com
<u>सह-सम्पादक, भावना प्रकाशन</u> सदस्यता क्र.- ए-40/444 श्री आदित्य प्रकाश सिंह स्पेशल असिस्टेंट (से.नि.), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया डी-24, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 फोन: 09628180153	<u>सह-सम्पादक, भावना प्रकाशन</u> सदस्यता क्र.- ए-47/508 प्रो० (डॉ.) अवनीश अग्रवाल प्रोफेसर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के-03 राप्ती अपार्टमेंट्स, सेक्टर 4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010 फोन: 09451244456/08887791897 ई.मेल: dravneesh@yahoo.com
<u>सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- वी-50/739 श्री विनोद कुमार कपूर फेकल्टी (से.नि.), कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पंतनगर बी-2, गुल पैलेस, 116बी, फैजाबाद रोड, विवेकानन्दपुरी, महानगर, लखनऊ-226006 फोन: 0532-2321002/09984245000 ई.मेल: vinodhkapur@rediffmail.com	<u>सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ-</u> <u>प्रभारी, महानगर तथा आसपास का क्षेत्र</u> सदस्यता क्र.- ए-99/1026 श्री आनन्द जैन इन्जीनियर (से.नि.), एच.ए.एल. लखनऊ बी-951, सेक्टर ए, महानगर, लखनऊ-226006 फोन: 9453198352 ई.मेल: 13anandjain@gmail.com
<u>सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- एस-67/351 (विशिष्ट सदस्य) श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा मुख्य अभियन्ता (से.नि.), लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. 15/3/सी मेट्रो सिटी, पेपर मिल कम्पाउन्ड, लखनऊ-22602 फोन: 0522-6546507/09415104636 ई.मेल: surendra1.sharma@gmail.com	<u>सदस्य, वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- एस-80/412 (विशिष्ट सदस्य) श्री सुभाष चन्द्र विद्यार्थी अवर अभियन्ता (से.नि.), लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. 1/22, सेक्टर सी, प्रियदर्शिनी कॉलोनी सीतापुर रोड, लखनऊ 226006 फोन: 0522-2756481/09415151323 ई.मेल: vidyarthi.su.bhashchandra@gmail.com
<u>सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- ए-38/440 (विशिष्ट सदस्य) श्रीमती अंजली गृहणी 21/6/2-ए-2, मेट्रो सिटी, लखनऊ-226006 फोन : 09415900607/09935045146 ई.मेल: dineshkumaragr@gmail.com	<u>सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- पी-34/564 (विशिष्ट सदस्य) श्रीमती प्रीति शुक्ल गृहणी 15/51, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन : 0522-4006191/09198038889
<u>सचिव, प्रसादम सेवा प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- ए-54/584 (विशिष्ट सदस्य) श्री अशोक कुमार अरोरा अधिशासी अभियन्ता (से.नि.), भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र. 401, हलवासिया उत्सव एन्क्लेव, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन : 08808053688 ई.मेल: ashokarora1101@gmail.com	<u>सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- एस-133/601 (विशिष्ट सदस्य) श्री सत्य नारायण गोयल व्यवसायी (ह्यूम पाइप तथा लॉकिंग टाइल्स निर्माता) 20, मुरारी नगर, फैजाबाद रोड, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर लखनऊ-226016 फोन: 09335243519

<u>सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- बी-25/604 (विशिष्ट सदस्य) श्रीमती बीना कुमारी गुप्त गृहणी 4/221, विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन : 08756125555	<u>सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- पी-36/609 (विशिष्ट सदस्य) श्री प्रभात किरण चौरसिया अधिषासी अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. सिंचाई विभाग 2/246, विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन : 09451244670 ई.मेल: prabhatkiranchaurasia@gmail. com
<u>सचिव, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- पी-37/611 (विशिष्ट सदस्य) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता (से.नि.), सिंचाई विभाग, उ.प्र. 9/1047, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन: 0522-2701927/09450295754 ई.मेल: pkgupta1948@gmail.com	<u>सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- एस-135/612 (विशिष्ट सदस्य) श्रीमती सुषमा गुप्ता गृहणी 9/1047, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन: 0522-2701927/09450295754 ई.मेल: pkgupta1948@gmail.com
<u>सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- आर-79/633 (विशिष्ट सदस्य) श्री रमेश प्रसाद जायसवाल अपर आयुक्त ग्रेड-1 (से.नि.), उ.प्र. वाणिज्य कर विभाग 3/160, विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन: 09760617045 ई.मेल: jaiswalrp1954@gmail.com	<u>सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ</u> <u>सदस्य वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र. ए-84/804 (विशिष्ट सदस्य) श्री आनन्देश्वर शंकर प्रसाद एम.आई.जी-34 सेक्टर सी, एस.बी.आई. कॉलोनी सीतापुर रोड योजना, लखनऊ-226021 फोन : 09415902884 ई.मेल: aspv@rediffmail.com
<u>सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ -</u> सदस्यता क्र.- यू-21/934 (विशिष्ट सदस्य) श्री उपेन्द्र कुमार वाजपेयी प्रबंध निदेशक, रसेल टेक्नोलोजीज़ इन्डिया (इन्डियन ऑपरेसन्स) सी-2/290, सेक्टर एफ, जानकीपुरम्, लखनऊ-226021 फोन : 0522-4027541/09450760411/09452135991 ई.मेल: upendra.vajpayee@gmail.com	<u>प्रधान सम्पादक, सम्पादन प्रकोष्ठ,</u> सदस्यता क्र.- ए-32/337 श्री अमर नाथ अवर अभियन्ता (से.नि.), लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. 401-ए, उदयन-1, बँगला बाजार, लखनऊ-226002 फोन : 09451702105
<u>सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- डी-6/131 श्री देवकी नन्दन 'शांत' उप महाप्रबन्धक (से.नि.), उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. 10/30/2, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन : 09935217841/09889098841 ई.मेल : shantdeokin@gmail.com	<u>सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ</u> सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ सदस्यता क्र.-आर-27/229 श्रीमती रेखा मित्रल गृहणी बी-64, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 फोन : 0522-2746862/09415089151
<u>सचिव, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- यू-5/277 श्री उदय भान पाण्डेय मुख्य महाप्रबन्धक, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. 1/252, विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन : 0522-2393436/09415001459 ई मेल: udaibhanp@yahoo.com	<u>सदस्य, वाह्य सम्पर्क प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- ए-25/286 श्री अशोक कुमार मल्होत्रा चीफ मैनेजर (प्रोजेक्ट्स) (से.नि.), एच.ए.एल., लखनऊ 18/416, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन : 0522-2357738/09451133617 ई मेल: akmalhotra123@rediffmail.com

<u>सम्पादक, भावना प्रकाशन</u> सदस्यता क्र.- पी-26/422 श्री पुरुषोत्तम केशवानी वरिष्ठ प्रबंधक (से.नि.), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया एम.एम.-247, सेक्टर डी, दीप विहार, अलीगंज, लखनऊ-226024 फोन: 09450021082/08707738342 ई.मेल: purshottam.keswani@gmail.com	<u>सदस्य, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- पी-31/525 श्री पाल प्रवीण अध्यक्ष (से.नि.), काशी ग्रामीण बैंक (यूनियन बैंक का उपक्रम) एम.एस.-120, सेक्टर डी, अलीगंज, लखनऊ-226024 लखनऊ-226007 फोन: 07309820581 ई.मेल: palpravin@rediffmail.com
<u>सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- ए-49/535 श्री अशोक कुमार मेहरोत्रा अधिकांसी निदेशक (से.नि.), उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पो. लि. डी-303, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, फैजाबाद रोड, फोन: 0522-2780177/09794122946 ई.मेल: mehrotra_ak2006@yahoo.co.in	<u>सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ-</u> <u>प्रभारी, गोमती नगर,</u> <u>सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- एस-121/555 श्री सुभाष मणि तिवारी अग्निशमन अधिकारी (से.नि.), उ.प्र. पावर कॉर्पोरेशन लि. 2/9, विनीत खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन: 09415086952/07054065111 ई.मेल: smt1946@yahoo.co.in
<u>सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- के-34/574 श्री खजान चन्द्रा कन्सल्टेन्ट (चन्द्रा एन्ड एसोसिएट) 2/112, विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 फोन: 0522-4064068/09415004395 ई.मेल: kchandra51@rediffmail.com	<u>सदस्य, सांस्कृतिक कार्य प्रकोष्ठ,</u> <u>सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ-</u> <u>प्रभारी जानकीपुरम (विस्तार सहित) एवं आसपास</u> सदस्यता क्र.- एस-140/625 पंतनगर श्री सुशील कुमार शर्मा अपर निदेशक (से.नि.), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ.प्र. 13/24 यमन, सहारा स्टेट्स, जानकीपुरम, लखनऊ-226021 फोन: 0522-2735951/08765351190 ई.मेल: sksharma.ed@gmail.com
<u>सदस्य, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- के-36/659 प्रो. काशी राम कनौजिया निदेशक (से.नि.), कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, डी-56, महानगर विस्तार, लखनऊ-226020 फोन: 09411159498 ई.मेल: kashiramkanaujia@yahoo.com	<u>सदस्य, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- डी-35/777 डॉ. दारोगा पाण्डे संयुक्त निदेशक उद्यान (से.नि.), उत्तराखंड ए-54, शिवपुरी, कल्याणपुर, लखनऊ-226022 फोन: 09415793457 ई.मेल: drdpandey1948@gmail.com
<u>सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- आर-99/808 श्री राज कुमार गुप्ता ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (से.नि.), अभियोजन विभाग, उ.प्र. 14/227, विकास नगर, लखनऊ-226022 फोन: 09838550289	<u>सचिव, ग्रामाचल एवं निर्धनजन सेक्क प्रकोष्ठ</u> प्रभारी, इन्दिरानगर तथा आसपास का क्षेत्र सदस्यता क्र.- एस-225/1050 (विशिष्ट सदस्य) श्री सुधीर कुमार वर्मा प्रबन्ध निदेशक (से.नि.) उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 एफ-903, शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट, महानगर (विज्ञानपुरी), लखनऊ फोन: 9415084699 ई.मेल: onllysudhir17@gmail.com
<u>सचिव, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ एवं सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ</u> प्रभारी, कानपुर रोड तथा रायबरेली रोड के दोनों ओर का क्षेत्र सदस्यता क्र.- आर-116/923 श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह सहायक अभियंता (से.नि.), लोक निर्माण विभाग उ.प्र. एम-3/571, सेक्टर एच, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ-226012 फोन: 09984537440	<u>सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- डी-5/118 (विशिष्ट सदस्य) श्रीमती दया शुक्ल गृहणी तथा सामाजिक कार्य पी4/403, चन्द्रा पैनोरमा, सुशांत गोल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ-226030 फोन : 0522-4016048/09335902137 ई मेल: dayashukla45@gmail.com

भावना संदेश

<u>सदस्य, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- एम-5/155 (विशिष्ट सदस्य) श्रीमती मंजुला सक्सेना गृहणी एवं सामाजिक कार्य सी-1103, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 फोन : 0522.2350763 ई. मेल: sushilshanker2003@yahoo.com	<u>सदस्य, पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- आई-10/631 (विशिष्ट सदस्य) श्री इन्द्र कुमार भारद्वाज उप महाप्रबंधक (से.नि.), उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. सी-1/523, सेक्टर जी, जानकीपुरम, लखनऊ-226021 फोन: 09415911702 ई. मेल: ikbhikw@yahoo.co.in
<u>सदस्य, वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- ए-14/149 श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल सिविल इंजीनियर, (से.नि.) लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. सी-69, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ-226006 फोन : 0522-2320857 / 09450631486 ई. मेल: aggarwala.arvind@gmail.com	<u>सदस्य, संसाधन प्रबंध प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.-एस-104/504 श्री सुमेर अग्रवाल व्यापारी-तीर्थ पीके वेन्चर बी-4, निराला नगर, लखनऊ-226020 फोन: 0522-3919319 / 09415025151 ई.मेल: sumeragarwal@gmail.com
<u>सचिव, वैकल्पिक चिकित्सा प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- ए-48/509 डॉ. (कु) अंजली गुप्ता मनोचिकित्सक, नूर मंजिल मनोचिकित्सा केन्द्र कमरा-13, नूर मंजिल, लालबाग, लखनऊ-226001 फोन: 09935224997 ई.मेल: njl_omer@yahoo.co.in	<u>सदस्य, प्रसादम सेवा प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- ओ-7/787 श्री ओम् प्रकाश पाठक विशेष सचिव (से.नि.), अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. 111, चन्द्रलोक कॉलोनी, अलीगंज, लखनऊ-226024 फोन: 0522-2323728 / 09415022932 ई.मेल: pathak.op@gmail.com
<u>सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- जी-23/800 श्री गुरु दयाल शुक्ला जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (से.नि.), वित्त विभाग, उ.प्र. 538क/505, त्रिवेणीनगर-2, लखनऊ-226020 फोन: 0522-2759277 / 09415003605	<u>सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- पी-53/911 श्री पंकज जेटली सहायक लेखाधिकारी, भारतीय डाक विभाग 521/38, रॉयल अपार्टमेंट्स, बड़ा चांदगंज, महानगर, लखनऊ-226006 फोन: 09455446877
<u>सदस्य, ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- ओ-10/941 श्री ओम प्रकाश शर्मा इंजीनियर (से.नि.), प्राइवेट संस्थान में 8/96, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016 फोन: 09335918885 / 08004745922 ई.मेल: opsharma948@gmail.com	<u>सदस्य सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ</u> <u>प्रभारी, निरालानगर व आसपास का क्षेत्र</u> सदस्यता क्र.- एच-18/1033 श्री हरीश कुमार राजादा सहायक प्रबंधक, (से.नि.), यूनाइटेड इंडिया इश्योरेन्स कं. लि., 495/112, माया नगर, डाली गंज, लखनऊ- 226020 फोन - 099355 99177 ई मेल: harishkraizada@gmail.com
<u>सदस्य सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ</u> <u>प्रभारी, विकास नगर व आसपास का क्षेत्र</u> सदस्यता क्र.- आर-124/999 (विशिष्ट सदस्य) श्री राम अचल वर्मा अधिशासी अभियन्ता, (से.नि.), उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 5/901, विकास नगर, लखनऊ- 226022 फोन - 8795810067 ई मेल: ramachalverma.1959@gmail.com	<u>सदस्य, शिक्षा सहायता प्रकोष्ठ</u> सदस्यता क्र.- सी-17/1018 श्री चन्द्र शेखर आज्ञाद सहायक अभिन्ता यांत्रिक (से.नि.), सिंचाई विभाग उ.प्र. 532/196, चौधरी टोला, अलीगंज, लखनऊ-226022 फोन: 09450515312 ई.मेल: cs11azad@gmail.com
<u>सदस्य, वैकल्पिक चिकित्सा सेवा</u> सदस्यता क्र.- आर-134/1081 (विशिष्ट सदस्य) श्री. रतनेन्द्र कुमार जौहरी अभियन्ता (से.नि.), एच.ए.एल. लखनऊ ए-100, इन्दिरानगर, लखनऊ फोन : 9450020439 ई. मेल: rkjohri2007@gmail.com	<u>सदस्य, सहयोग एवं सेवा प्रकोष्ठ</u> <u>प्रभारी त्रिवेणीनगर, प्रियदर्शिनीनगर, केशवनगर सहित सीतापुर रोड</u> <u>तथा आई.आई.एम. रोड के दोनों ओर का क्षेत्र</u> सदस्यता क्र. - आर-128/1014 डा. राम सजीवन शुक्ल एसोसिएट प्रोफेसर/प्राचार्य (से.नि.), पी.जी. कालेज 528क/922, एकतापुरम, त्रिवेणीनगर, सीतापुर रोड, लखनऊ फोन : 94519109230

सचिव, सोनभद्र शाखा सदस्यता क्र.- यू-1/104 डॉ. उदय नारायण सिंह होम्योपैथी चिकित्सक 9-एफएच-3/154, ओबरा कॉलोनी, ओबरा-231219, जिला सोनभद्र फोन : 05445-262043 / 09936181902 / 09125761899 ई. मेल: brijeshsingh2020@gmail.com	अध्यक्ष, सोनभद्र शाखा सदस्यता क्र.- डी-3/73 देवी दयाल गुप्ता व्यापारी आर्य समाज मंदिर, ओबरा-231219, जिला सोनभद्र, (उ.प्र.) फोन : 05445-262392 / 09415323335-7
सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शाखा सदस्यता क्र.- एस-173/802 (विशिष्ट सदस्य) श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अधीक्षण अभियन्ता (से.नि.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सी-27, पॉकेट 6, केन्द्रीय विहार-2, सेक्टर 82, नोयडा-201304, उ.प्र. फोन : 09910646264 ई.मेल: surendersujni@gmail.com	अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शाखा अध्यक्ष, येडा शाखा सदस्यता क्र.- ए-59/621 (विशिष्ट सदस्य) श्री अनिल कुमार शर्मा विशेष मुख्य महानिदेशक (से.नि.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बी-99, सेक्टर 30, नोयडा-201303, उ.प्र. फोन: 09868525057 / 09794427788 ई.मेल: ksharmacpwd@yahoo.com
अध्यक्ष, उन्नाव शाखा सदस्यता क्र.- एस-2/30 श्री शिव शंकर प्रसाद शुक्ल अधिकाधी अभियन्ता (से.नि.), उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि. 572, सिविल लाइन्स, उन्नाव (उ.प्र.)-209801 फोन : 0515-2820614 / 09415058113 ई.मेल: sspshukla123@gmail.com	सचिव, उन्नाव शाखा सदस्यता क्र.- के-38/686 श्री कृष्ण पाल द्विवेदी प्राचार्य (से.नि.), सरस्वती महाविद्यालय, कानपुर 599, मौहारी बाग, सिविल लाइन्स, उन्नाव-209801, उ.प्र. फोन: 09839325599

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिये 10 महत्वपूर्ण सरकारी योजनायें

1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ।
2. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ।
3. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना ।
4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना ।
5. वरिष्ठ मेडिकलेम पॉलिसी ।
6. प्रधानमंत्री जन आरोग्या योजना ।
7. रिवर्स मॉर्टगेज योजना ।
8. वयोवृद्ध सम्मान योजना ।
9. सीनियर सिटीजन वेलफेयर फण्ड
10. नेशनल प्रोग्राम फार द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली ।

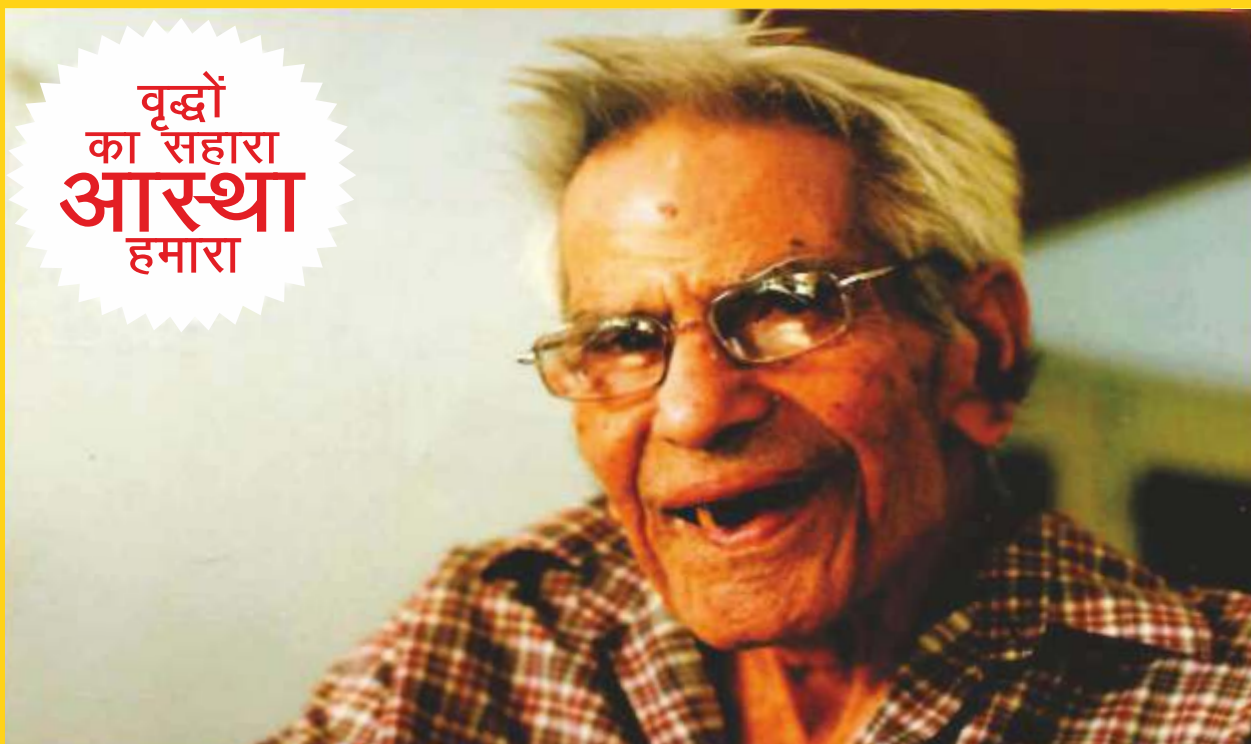


भावना तथा आस्था हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य शिविर

दिनांक 08 दिसम्बर 2024 – सेहत का उत्सव



वृद्धों
का सहारा
आस्था
हमारा



AASTHA HOSPICE & GERIATRIC CARE CENTRE

HOME HEALTH CARE

SERVICES AT YOUR DOOR STEP

ECG X-Ray Trop T ABG Ambulance Dialysis
Doctor's Home Visit Home Nursing Physiotherapy

OPD Charges `100/- Month for Senior Citizens

B-52, J-PARK MAHANAGAR, LUCKNOW-06

 **7275222222, 8005050200**